लोक-सभा वाद-विवाद
का
संधि अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपए

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 35, गुरुवार, 21 जुलाई, 1977/30 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 35, Thursday, July 21, 1977/Asadha 30, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नो के मौखिक उत्तर--	Oral Answers to Questions— . .	1—14
*तारांकित प्रश्न संख्या 565 से 568	*Starred Questions Nos. 565 to 568 .	1—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	Written Answers to Questions .	14—102
तारांकित प्रश्न संख्या 569—584	Starred Questions Nos. 569 to 584	14—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 4254 से 4256, 4258 से 4353 और 4355 से 4401	Unstarred Questions Nos. 4254 to 4256, 4258 to 4353 and 4355 to 4401 .	22—102
दिनांक 7-7-1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2800 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण।	Statement correcting Answer to USQ 2800 dated 7-7-1977	102-03
अध्यक्ष का चुनाव	Elcetion of Speaker .	103-04
अध्यक्ष महोदय को बधाइयां--	Felicitations to the Speaker	104—08
श्री मोरारजी आर० देसाई	Shri Morarji R. Diesai	104-05
	Shri Yeshwantrao Chavan	105
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	105
श्री अरबिन्द बाला पजनौर	Shri A. Bala Pajanor .	105-06
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M. N. Govindan Nair .	106
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah . .	106
श्री पी० के० देव-	Shri P. K. Deo . . .	106
श्री जार्ज मैथ्यू	Shri George Mathew . . .	107
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	107
श्री ए० ई० टी० बैरो	Shri A. E. T. Barrow .	107
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri . .	107

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	107
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair . . .	107-08
अध्यक्ष महोदय	Mr. Speaker	108
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee . . .	108-09
तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Third Report presented .	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Annual Report of University Grants Commission for 1975-76— .	109—
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	109-10
श्री दिलीप चक्रवर्ती	Shri Dilip Chakravarty . . .	110—12
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan . .	112-13
डा० सुब्रह्मण्यम	Dr. Subramaniam Swamy . .	113—16
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	116
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi .	116—19
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh	119-20
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . .	120-21
श्री पी० एस० रामलिंगम	Shri P. S. Ramalingam . .	122-23
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh .	123
प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना	Prof. Shibban Lal Saksena . .	123-24
श्री भगत राम	Shri Bhagat Ram . .	124
श्री राम सेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari .	124-25
श्रीमती चन्द्रावती	Shrimati Chandravati .	125
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy .	125
डा० प्रताप चन्द चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder . .	125—28
सदस्य द्वारा त्याग पत्र	Resignation by Member	128-29
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion—	129—34
निर्धन ग्रामीण	Rural poor—	
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu . .	129-30
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . . .	131
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . . .	131-32
श्री कृष्ण चन्द हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . .	132
श्री समर गुह	Shri Samar Guha .	132
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala . .	132-33, 134

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 21 जुलाई, 1977/30 आषाढ़, 1899 (शक)

Thursday, July 21, 1977/Asadha 30, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में देशी औषधियों का उत्पादन

***565. श्री अनन्त दुबे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और अन्य देशी औषधियों के उत्पादन के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a) It has been decided to form a Corporation in Public Sector under the Companies' Act, 1956 for managing a Central Pharmacy of Indian Medicines at Ranikhet.

(b) The main objectives of the Corporation shall be :

(i) Collection of good quality herbs from the Himalayan region.

(ii) Cultivation of adequate quantities of herbs required for the manufacture of medicine.

(iii) Manufacture of Drugs and sell them to the dispensaries under the C.G.H.S. Scheme and the Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy, to start with. Supply will, however, be extended in phases, with the corresponding increase in production to other hospitals/institutions and in the market. For manufacture of medicines, necessary machines and maximum man-power shall be used.

(c) Does not arise.

Shri M. Ramgopal Reddy : How is it that question in part (c) does not arise?

Shri Anant Dave : The hon. Minister announced this decision in a conference while Parliament was in session. He should have, therefore, announced it first here in Parliament. May I know the reasons for it and the persons who participated in this conference?

Shri Raj Narain : It is not directly linked with the question but I consider it the duty of the Minister to furnish information to the members. When the Parliament is not in session, we can take a decision. We hold a conference of renowned scholars and take a decision after consultations with them. As regards part (c), since we have already taken a decision, and its implementation is in progress, the question of taking a final decision does not arise.

Shri Anant Dave : Do Government propose to set up a Central Ayurvedic university in Delhi.

Shri Raj Narain : It does not arise out of this question. Of course, there is another question about it. This point would be covered in reply to that question.

Shri Anant Dave : My question regarding the persons who took part in the conference and the main recommendations of the conference, has not been answered.

Shri Raj Narain : I have answered all the three parts of the original question.

Dr. Karan Singh : The hon. Minister has said that a decision has been taken but I may humbly submit that this decision has not been taken now but was taken by me six months or twelve months before. May I know when it is likely to be implemented and when this corporation will come into existence? Secondly, the Himalaya has a vast stock of medicines, which prompted the great poet Kalidasa to say:

पूर्वापरौः तोयनिधीऽवगाह्य स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्डः ।

We are happy to know that the corporation is going to be set up at Ranikhet. May I know whether similar corporations or agencies of this corporation are planned to be set up in other areas of Himalayan range with a view to utilise the vast medicinal resources of the Himalayan Region?

Shri Raj Narain : Shri Karan Singh has referred to only half of the *shloka* of Kalidasaa.

अस्तुत्तरस्यां दिशिदेवतात्मा हिमालयो नाम नगधिराजः ।

पूर्वापरयोः तोयनिधिऽवगाह्य स्थितः पृथिव्याः इव मानदंडः

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It should be translated so that we may also follow it.

Shri Raj Narain : With the permission of the chair I may translate it.

In the first *shloka* of *Kumarsambhata* Kalidasa describes the Himalaya as—O Himalaya! You are the king of mountains, godly and spread over in the North-East of India.

I respect Dr. Karan Singh very much for being a symbol of Indian culture although he wears *Sherwani* and *Pyajama*. I would like to draw his attention to the description of Himalaya in *Matsaya Purana*, which is as under—

अहीन शरणं नित्यं
अहीन जन सेविताम्
अहीन पश्यति गिरिं
अहीन रत्न सम्पदा ।।

O Himalaya, you are glorious, a glorious person alone can get your patronage and one who himself is glorious can look towards you since you abound in jewells and other properties. May I submit for the information of the hon. members that India had such an impotent Government which could not dare to look at the Himalaya and who surrendered the entire territory of Tibet, Kailash, Mansarovar and Sangpu river to China.

Dr. Karan Singh : Mr. Speaker, my question has not been answered.

Shri Raj Narain : I am coming to that. We have set up a company at Ranikhet for manufacture of indigenous medicines. Other points such as plant and machinery to be installed there, the cost of the plan, the herbs available there etc. would be covered in reply to a later question for the day. If the two could be doubled by the chair, I could take up both of them together.

Shrimati Chandrawati : May I know whether Government will extend all help to Dr. Karan Singh if he launches a campaign for exploration of Himalaya for herbs?

Shri Raj Narain : Certainly, I request him right now to walk over and join us in this programme.

Shri M. Ramgopal Reddy : May I know whether the medicines are being prepared from herbs in the open or in factories and airconditioend buildings ?

Shri Raj Narain : I may tell the hon. Member that medicines are not prepared in the open. There must be a building, machines and other equipment and all these have been provided. There is no need for air-conditioning there. My hon. friend does not understand the Himalaya; it is air-conditioned by nature. If he goes there, these clothes won't do.

Shri Krishna Chandra Halder : The hon. Minister may be aware that West Bengal Government is also trying to manufacture ayurvedic medicines. May I know whether Union Government will extend assistance to the State Government in its plan for setting up a factory in the State for manufacture of Ayurvedic medicines?

Shri Raj Narain : I entirely agree with the hon. Member, we will extend all possible help to State Governments in their efforts for developing and promoting all Indian systems of medicines whether it be Ayurvedic or Unani.

Shri Yagya Datt Sharma : Is the hon. Minister aware that certain Ayurvedic medicines such as *Kasturi*, *Medha*, *Mahamedha*, *Banslochan*, are vanishing and are not available. Has the hon. Minister set up a cell, research department or research laboratory to revive these medicines and arrange for their plantation and supply, complete information in regard thereto.

Shri Raj Narain : Yes, sir. I may also inform the member that we have taken a decision now to set up a company and Dr. Karan Singh is perhaps misinformed that it was taken earlier. This decision was taken in the third or fourth meeting of the cabinet held recently.

Dr. Karan Singh : The Ministry had taken a decision earlier and the cabinet decision came now.

Shri Raj Narain : The Ministry places its proposal before the cabinet for approval. After the installation of Janta Government, the ministry put up its proposal before the cabinet. The hon. Member Shri Karan Singh had been an hon. Minister of that Ministry and he might be well aware of the fact that the draft is initially prepared by the Ministry before it is placed before the Cabinet for their approval.

We have decided to establish a company for which a building is being made available there. It will involve an expenditure of Rs. 11 lakhs—Rs. 7·5 lakhs on the building and necessary equipments and Rs. 2·5 to 3 lakhs on the purchase of drugs and herbs. Steps are also being taken for cultivation of Saffron there. The hon. Member had asked about *Banslochan* (manna obtained from bamboo). Efforts are also being made to devise ways and means to produce and preserve it. As regards musk, deliberations are going on as to how to get pure musk which is required in the manufacture of various vital and life-saving drugs.

I would like to add for the information of the hon. member from Bengal who had asked a question earlier that West Bengal had been given assistance for the purpose and will continue to get necessary help in future also.

Shri Durga Chand : I want to know the percentage of drugs and medicines supplied by the Government pharmacies as also by the private concerns, separately to meet the requirement of Ayurvedic hospitals and dispensaries in the country.

Shri Raj Narain : I am thankful to the hon. Member for providing me this opportunity. Mr. Deputy Speaker, sir, I would request you kindly to give me some more time so that I may give details and hon. Members may have not to put many questions.

First, let us understand where our institutes at all India level, are located. Government of India have set up a National Ayurvedic Institute at Jaipur. A similar institute is being opened in Poona. Similar institutes for *Siddha, unani,* systems will also be set up in the course of time. A research centre for *Yoga* is being established in Delhi. The location of Ayurvedic colleges in states is as under:—

Andhra

1. Government Ayurvedic College, Chandulal Bela, Hyderabad.
2. Government Anantlakshmi Ayurvedic College, Station Road, Warrangal.
3. Dr. Nariram Shastri Government Ayurvedic College, Vijayawada.
4. Shri Rangachari Rammohan Ayurvedic College, Guntur.

In addition to these four colleges there are private colleges also in Andhra. Information about them is being collected.

Assam

5. Government Ayurvedic College, Gauhati.

Bihar

6. Government Ayurvedic College, P. Kadamkuan, Patna.
7. Shri Yatindra Narain Ashtavga Ayurvedic College, Champanagar, Bhagalpur.
8. Ayodhya Shiv Kumari Ayurvedic College, Begusarai, Distt. Champaran.

Gujarat

9. Sheth J. P. Ayurvedic Mahavidyalaya, old Samaldas College, Badwa, Bhavnagar (Saurashtra)
10. Akhanda Nand Ayurvedic Mahavidyalaya, opposite Victoria Garden, Bhadra, Ahmedabad.

Shri Vasant Sathe : I will request the hon. Minister to place the list on the Table.

Shri Raj Narain : Sir, previously when I was a member of opposition party, I used to charge the Government with concealing the facts and always asked them to give full information. But now the position is that when I, in the capacity of a Minister, want to give full information to the house, the hon. members opposite are not willing to listen.

Shri Vasant Sathe : But the answer should be precise and brief instead of a lengthy one.

Shri Raj Narain : When I have only to add that there are other Government Ayurvedic hospitals also.

कलकत्ता टेलीफोन के लिए संसद् सदस्यों की समिति की स्थापना

*566. **श्री समर गुह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कलकत्ता टेलीफोन उपभोक्ताओं की कठिनाइयों की जांच करने तथा कलकत्ता टेलीफोन के कार्यकरण में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु संसद सदस्यों की एक छोटी समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) इस प्रस्ताव की जांच कर ली गई है। कलकत्ता टेलीफोन प्रशासन टेलीफोन उपभोक्ताओं की कठिनाइयों पर निरन्तर ध्यान देता है और उन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई करता है। टेलीफोन सलाहकार समिति टेलीफोन उपभोक्ताओं की विभिन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में विचार करती है और स्थानीय तथा ट्रंक सेवाओं में सुधार

लाने के लिए विभाग को सलाह देती है। कलकत्ता के लिए यह समिति शीघ्र ही घोषित होनी है। संसद सदस्य, विधान-सभा सदस्य, नागरिक और स्थानीय संगठनों के सदस्य इस समिति के सदस्य होंगे। चार महानगर टेलीफोन जिलों के कुशलतापूर्वक कार्यकरण के लिए संगठनात्मक ढांचा, कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया, पुर्वानुमान प्रणाली और परिप्रेक्ष्य योजना जैसे आवश्यक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए वरिष्ठ विशेषज्ञों की एक समिति का गठन कर दिया गया है। इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसा विचार है कि कलकत्ता टेलीफोन के टेलीफोन उपभोक्ताओं की कठिनाइयों की जांच करने के लिए एक विशेष संदीय समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री समर गुह : मैं जनता पार्टी के माननीय मंत्री महोदयों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि वे जनता पार्टी के मंत्री है, फिर भी उनकी मनोवृत्ति पर अभी तक कांग्रेस राज का काफी असर है। इस बारे में यही प्रश्न मैंने कई बार पहले भी उठाया था। मैं एक ही किस्म का प्रश्न पूछता हूं। टेलीफोन उपभोक्ताओं की कठिनाइयों की जांच करने के लिए लगातार ध्यान दिया जा रहा है किन्तु उनकी कठिनाइयां निरन्तर चलती आ रही हैं। वहां टेलीफोन सेवा ठीक नहीं चल रही है। यदि कलकत्ता में टेलीफोन सेवा के बारे में वास्तविक सर्वेक्षण किया जाये तो सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा तथा धक्का लगेगा कि वहां टेलीफोन सेवा कितने घंटे ठीक चलती है और कितने घंटे तथा कितने दिनों तक बन्द रहती है, यदि आप अब सर्वेक्षण करें तो आप कलकत्ता में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को देखकर हैरान होंगे।

मंत्री महोदय ने वैसा ही घिसा-पिटा जवाब दिया है जैसा पहले कांग्रेस सरकार देती थी कि वहां टेलीफोन सेवा के कुशलतापूर्वक कार्यकरण के लिए संगठनात्मक ढांचा, कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया, पुर्वानुमान प्रणाली आदि की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा कहा गया है कि एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है, इस विशेषज्ञ समिति को पहली बार ही नियुक्त नहीं किया जा रहा है पिछले दो लोक-सभाओं के दौरान भी इस किस्म की विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। मैं टेलीफोन सलाहकार समिति का लगातार तीन बार पूरी अवधि तक एक सदस्य रहा हूं। मैं इस समिति के कार्यकरण से अवगत हूं। इसमें लगभग 40 या 45 सदस्य हैं। बैठक प्रारम्भ होने के एक घंटे बाद तक तो वहां हुल्लड़बाजी चलती है। वहां यही बात चलती है कि कितने सदस्यों को विशिष्ट किस्म के टेलीफोन दिये जा सकते हैं। इस समिति का केवल यही कृत्य है। मूल तथा बुनियादी समस्याओं पर वहां कभी विचार-विमर्श नहीं होता।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भी समरगुह से अनुरोध करूंगा कि वह उन सदस्यों का भी ध्यान रखें जिन्होंने उनक बाद प्रश्न पूछने हैं।

श्री समर गुह : आपकी बात ठीक है। लेकिन कलकत्ता के हजारों पीड़ित टेलीफोन उपभोक्ताओं में से मैं भी एक हूं। विशेषज्ञ समिति कुछ भी नहीं कर रही है और न करेगी। मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार इस प्रश्न पर पुर्नविचार करेगी क्योंकि संसदीय समिति नियुक्त करने का एक भिन्न अर्थ होता है। वहां के अधिकारियों तथा जनता पर ऐसी समिति

का अच्छा प्रभाव पड़ेगा । क्या भूतपूर्व संचार मंत्री श्री फर्नेन्डीज ने जो यह आश्वासन दिया था कि इस मामले पर पूरी तरह विचार किया जायेगा, उसे पूरा किया जायेगा और कलकत्ता टेलीफोन सेवा जो वर्षों से निरन्तर खराब चलती आ रही है, उस पर विचार करने तथा इस खराबी को दूर करने के लिए एक संसदीय समिति गठित करने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जायेगा ?

Shri Brij lal Verma : So far we have not decided to appoint a Parliamentary Committee. But I would like to tell the hon. Member that steps are being taken to lay 3000 k.m. cable in the Calcutta area within two years in order to remove the defects which have developed in the cables there.

Shri Smar Guha : Have you laid cable there? Please go there and see it yourself. कलकत्ता अब पूर्वी भारत की औद्योगिक राजधानी नहीं रहा है क्योंकि वहां टेलीफोनों की स्थिति अत्यधिक खराब है । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह करते रहे तो वह और अधिक समय लेंगे ।

Shri Brijlal Verma : Sir, to a certain extent the complaint is correct that there are many defects in the telephone lines there. But steps are being taken to improve the situation. We are going to lay 3,000 k.m. cable of improved variety there within two years in order to remove these defects. The work is in progress and we shall be able to lay 1500 k.m. cable of this variety during the current year. Efforts are being made afresh to do the needful.

श्री समर गुह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू (क) इस समय बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता में उपभोक्ताओं को कितने टैलीफोन कनक्शन दिए हुए है और 1977-78 में उपभोक्ताओं को कितने टेलीफोन कनक्शन दिए जायेंगे और (ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन विस्तार कार्यक्रम में, सरकार बहुत अधिक राशि ले रही है ।

Shri Brijlal Verma : Forty thousand new telephone connections will be given in Calcutta during the current year.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछले दो वर्षों में कलकत्ता क्षेत्र में 3000 लाइनें बिछाई गई है। टेलीफोन केन्द्र संख्या 67,64, 618 44, 24 और 47 हमेशा खराब रहते है। लेकिन अजीब बात यह है कि टेलीफोन विभाग महीने के आखिर में इस प्रकार नियमित रूप से बिल भेज देता है जैसे कि ये टेलीफोन केन्द्र पूरे महीने भर काम कर रहे हों क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है ? कलकत्ता क्षेत्र में इन केन्द्रों तथा टेलीफोन लाइनों के अनुरक्षण तथा रख-रखाव की क्या प्रक्रिया है ?

Shri Brijlal Verma : 1400 telephones were out of order on the 1st July. Out of these, 700 connections have since been put into proper working order. The work is going on round the clock in order to remove the defects as early as possible.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अनुरक्षण की प्रक्रिया मालूम करने के लिए टेलीफोन भवन गया था, वहां का प्रभारी व्यक्ति यह कह रहा था कि कलकत्ता में टेलीफोन व्यवस्था में इतनी अत्यधिक खराबी अनुरक्षण प्रक्रिया तथा अनुरक्षण व्यवस्था के कारण है । किन्तु केन्द्र इस मामले की जांच नहीं कर रहा है । उनकी यह शिकायत है ।

Shri Brij lal Verma : The preservaition system is being adopted to rectify the defects ofdables. Steps are going to be taken shortly and new methods adopted as well. to plug the holes which are created as a result of digging the pits. A new instrument is now used to locate the hole and other defects and every effort is made to remove these defects.

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती : विभाग के प्रभारी मंत्री ने, आगामी दो वर्षों के दौरान काम करने हेतु जो योजनायें बनाए गई है, उनकी जानकारी दी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह यह चाहते हैं कि कलकत्ता टेलीफोन प्रयोक्ता इस दो वर्ष की अवधि तक प्रतीक्षा करते रहे ? मैं यहां अपने व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख करना चाहता हूं । मैं अपना नामजदगी पत्र 16 फरवरी को प्रस्तुत किया था तथा मतदान 16 मार्च को होना था । इस अवधि के दौरान 20 दिन तक मेरा टेलीफोन खराब पड़ा रहा यद्यपि मैं कलकत्ता टेलीफोन केन्द्र के महाप्रबन्धक को अनेक पत्र लिखे किन्तु मुझे तीन सप्ताह बीत जाने पर ही उत्तर प्राप्त हुआ । इस के अतिरिक्त मैं एक और रोचक अनुभव भी सुनाऊंगा । दिल्ली टेलीफोन केन्द्र की स्थिति भी इससे अच्छी दिखाई नहीं देती । मैंने परसों श्री जार्ज फर्नानडिस को, जो तब तक इस विभाग के भारसाधक मंत्री थे, मिलने का प्रयास किया । उनके निवासस्थान के दोनों टेलीफोन खराब थे । टेलीफोन नं० 198 भी यह बताने के लिए कि ये टेलीफोन खराब है । आधे घंटा से अधिक समय ले लिया । अत : मुझे यह प्रतीत होता है कि दिल्ली टेलीफोन केन्द्र की भी खराब ही हालत है । क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है ?

Shri Brij lal Varma: I am well aware that there are so many shortcomings here also and the conditions prevalent in Calcutta ar the worst. Efforts are being made to remove these shortcomings shortly. An expert commettee has also been constituted to overhaul the system.

Shri Somjibhai Damor : Mr. Deputy Speaker, Sir, will the Minister for Communications, who has been declared unfit in the industries department, be pleased to state whether any steps will be taken to attend to the telephone complaints and reduce their number as you have said that 700 complaints have already been attended to out of a total of fourteen thousands. May I know whether any necessary arrangementshave been made to attend to such complaints in the country as a whole?

Shri Brij lal Verma : An expert Committee consisting of persons having full knowledge of the subject has already been constituted which will give its report with its recommendations as to how these problems can be dealt with. This report will be submitted within two months.

श्री अशोक कृष्ण दत्त : माननीय मंत्री नें बताया है कि टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा ये खराबियां दुरस्त की जा सकती हैं । अपने माननीय मित्र श्री समर गुह की तरह मैं भी काफी समय तक इस समिति का सदस्य रहा हूं । यह समिति केवल यही निर्णय लेती है कि बकाया पड़े आवेदनपत्रों में किन-किन को प्राथमिकता दी जाए । इसके अलावा वह कुछ नहीं करती है । कलकत्ता टेलीफोन केन्द्रों की समस्यायें इसलिए भी बहुत जटिल हैं क्योंकि पिछले दस वर्षों से लगभग 100,000 टेलीफोन प्रति वर्ष शेष रह जाते है । इसके अलावा वहां पर कुछ नए क्रास बार एक्सचेंज खोले गए है और जब कोई अपने पुराने नम्बर ने क्रास बार एक्सचेंज का नया नम्बर लेने का प्रयास करता है तो उसे उत्तर मिलता है कि एक्सचेंज खराब है । अत : क्या माननीय मंत्री इन चिरकालीन समस्याओं पर विचार करने के लिए एक छोटी सी संसदीय समिति नियुक्त करेंगे ?

Shri Brij lal Verma : I have already told that an expert committee has already been appointed to look into all these problems and their solutions. The committee will give its report within two months and thus the question of appointing a Parliamentary Committee does not arise at present. But in case no improvement comes forth even after that then we will consider whether parliamentary committee should be appointed or not for looking into this matter.

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का विस्तार

*567. + डा० हेनरी आस्टिन :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने वर्तमान समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिए अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्षमता और सम्भाव्य व्यय सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) (क) और (ख): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के वर्तमान इस्पात कारखानों का विस्तार कार्य, मांग के प्रतिमानों में परिवर्तनों, संसाधनों की उपलब्धि आदि को ध्यान में रख कर प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है।

2. परियोजनाओं के विस्तार कार्य में न केवल क्षमता में वृद्धि बल्कि उत्पादन में विविधता लाना भी शामिल है। जिसके फलस्वरूप अधिक संश्लिष्ट उत्पादों का भी उत्पादन होने लगेगा। इस समय कार्यान्वित की जा रही/विचाराधीन परियोजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई है :—

(1) भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार

भिलाई इस्पात कारखाते के 25 लाख टन से 40 लाख टन तक विस्तार करने से 9.5 लाख टन भारी प्लेटों तथा 2.38 लाख टन बिलेट का अतिरिक्त उत्पादन होने लगेगा। इस विस्तार कार्य पर 937 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है जिसमें 126.5 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे।

(2) बोकारो इस्पात कारखाने का विस्तार

बोकारो इस्पात कारखाने के 17 लाख टन से 40 लाख टन तक विस्तार करने से ठण्डी बेलित चपटे उत्पादों का उत्पादन बढ़ जाएगा। इस विस्तार कार्य पर कुल 947 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिनमें 154.4 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे।

(3) दुर्गापुर का मिश्रित इस्पात कारखाना

पिघलाने की अतिरिक्त सुविधाएं लगाकर पिण्ड तैयार करने का प्रस्ताव है जिनसे वर्तमान ब्लूमिंग और बिलेट मिल के लिए ब्लूम और बिलेट तैयार किये जायेंगे। इस पर 8.46 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है जिनमें 0.18 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में होंगे। सेल ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(4) राउरकेला इस्पात कारखाने में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियेंटिड तथा नान ओरियेंटिड सिलिकन वैद्युतिक चादरों का उत्पादन :

लगभग 111 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वैद्युतिक चादरों का उत्पादन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(5) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रतिस्थापन योजना) :

इस कारखाने की क्षमता को 10 लाख टन के इसके निर्धारित स्तर तक लाने के लिए एक प्रतिस्थापन योजना कार्यान्वित की जा रही है जिस पर 61.0 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

(6) दुर्गापुर इस्पात कारखाना

विविधिकरण के कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

डा० हेनरी आस्टिन : विवरण को देखने से यह पता चलता है कि सरकार वर्तमान सावजनिक इस्पात कारखानों का विस्तार प्रावस्थाभाजित तरीके से कर रही है। मैं भी समझता हूं कि विस्तार परियोजनाओं मे न केवल क्षमता में वृद्धि बल्कि उत्पादन में विविधता लाना भी शामिल होता है जिसके फलस्वरूप अधिक संश्लिष्ट उत्पादों का भी उत्पादन होने लगता है। क्या मंत्री महोदय, इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि इस्पात बाजार में इस्पात की भरमार है, यह बतायेंगे कि क्या उत्पादन क्षमता बढ़ाने के इस कार्यक्रम से इस्पात का पूर्ण और वांछनीय तरीके से उपयोग हो पायेगा? क्या प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम से देश में विशेषकर विजाग, होस्पेट और सेलम में पहले से बन्द पड़े इस्पात कारखानों पर प्रभाव पड़ेगा?

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछने के बजाय एक वक्तव्य सा दे दिया है उन्होंने यह अनुमान लगा लिया है कि विशाखापत्तनम और हास्पेट इस्पात संयंत्र की मंजूरी दे दी गई है जो बात केवल अंशतः सही है।

जहां तक संयंत्रों के विस्तार का सम्बन्ध है उनके विस्तार की अनुसूची तैयार की गई है और उनके अनुसार काम हो रहा है। यह काम 1980, 1981 और 1982 में पूरा हो जाएगा और तब तक देश व विदेश में इसकी मांग हो जायेगी।

जहां तक सेलम, हास्पेट, विशाखापत्तनम आदि अन्य परियोजनाओं का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री को तो पता ही है कि पिछली सरकार ने एक कार्य दल नियुक्त किया था तथा सरकार के विचारार्थ जिन नये स्थानों की सिफारिश की गई थी वे निम्न प्रकार थे।

1. विशाखापत्तनम संयंत्र जो बैलाडिला अयस्क पर आधारित होगा।
2. उड़ीसा में बोनइगढ़ लौह अयस्क पर आधारित एक अन्य संयंत्र।
3. कुदरेमुख लौह अयस्क निक्षेपों पर आधारित पश्चिम घाट पर एक अन्य संयंत्र।
4. गोआ के लौह अयस्क निक्षेपों पर आधारित एक अन्य संयंत्र। इसमें बेलारी-हास्पेट आरक्षित भंडारों से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क सूक्ष्म मिलाया जाएगा।

यह सम्भाव्य स्थान हैं जिसकी कार्य दल ने सिफारिश की थी । जैसाकि मैं पहले अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के समय बता चुका हूं इन सभी मामलों पर सरकार ध्यान दे रही है ।

डा० हेनरी आस्टिन : ऐसे कौन से विशिष्ट संश्लिष्ट उत्पाद हैं जिनका विभिन्न इस्पात मिलें उत्पादन करने का विचार कर रही हैं । विविधीकरण कार्यक्रम के फलस्वरूप बनाये गये ये संश्लिष्ट उत्पाद हमारे समाज के समृद्ध व्यक्तियों के प्रयोग के लिए होंगे या वे निर्यात हेतु होंगे ।

श्री बीजू पटनायक : संश्लिष्ट उत्पादों का यह अर्थ नहीं कि वे समाज के समृद्ध वर्गों के लिए होंगे । ये सभी संश्लिष्ट उत्पाद बिजली उद्योग आदि उपभोक्ता उद्योग के लिए तथा अन्य ऐसे उद्योगों के लिए होंगे जिन्हें देश के उपभोग के लिए और निर्यात के लिए बढ़िया किस्म के निर्माण हेतु बढ़िया इस्पात की आवश्यकता होती है ।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : बहुत समय से रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार कार्यक्रम ठप पड़ा है। जब हम दूसरे इस्पात सयंत्र की मांग करते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार किया जायेगा और जब हम इसके विस्तार की मांग करते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि यह अभी अपनी निर्धारित क्षमता तक नहीं पहुचा है । बहुत समय तक उड़ीसा के लोगों को विशेषत: तथा भारत के लोगों को साधारणत: बेवकूफ बनाया गया है । भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए उनकी आंखों में धूल फैंकी है तथा राष्ट्रीय हित की परवा नहीं की है । मैं वर्तमान मंत्री महोदय से अनुरोध करूगा कि वह हमें वह निश्चित तारीख बता दें जब तक रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार कार्य आरम्भ हो जायेगा । दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरा इस्पात संयंत्र कब तक उड़ीसा में लग जायेगा ?

श्री बीजू पटनायक : मैं उड़ीसा के माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इस्पात संयंत्रों के आयोजन और उनकी जगह के बारे में जो राजनीतिक या आर्थिक असंतुलन माननीय सदस्य को प्रतीत होते हैं वे सब यह सरकार ठीक कर देगी ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : माननीय मंत्री की यह बहुत खुशकिस्मती है कि वह ऐसे मंत्रालय में चले गये हैं जिसने इस देश को एक करोड़ टन इस्पात पैदा करके दिया है जोकि अब तक का एक रिकार्ड है । 1947 में हमारे पास केवल दो समेकित इस्पात संयंत्र थे जिनकी क्षमता 13 लाख टन थी । उस समय उत्पादन को 13 लाख टन से बढ़ा कर 60 लाख टन करने के लिए दूसरी पचवर्षीय योजना में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया था । बाद में क्षमता बढ़ा कर 89 लाख टन कर दी गई थी । मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस प्रगति को चालू रखेंगे क्योंकि इससे इस बात का संकेत मिलता है कि देश को कैसे उन्नति करनी चाहिए ।

अत: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोल्ड रोलिंग मिल रहित अथवा कोल्ड रोलिंग मिल सहित बोकारो इस्पात संयंत्र में 40 लाख टन उत्पादन कब होने लगेगा तथा सेलम, विजाग, विजयनगर और हास्पेट के इस्पात संयंत्रों की नवीनतम स्थिति क्या है तथा क्या उन्होंने देश के अन्य भागों में राजनीतिक हितों को ध्यान में न रख कर इस्पात संयंत्र लगाने की सम्भाव्यनाओं पर और अध्ययन किया है ?

श्री बीजू पटनायक : यह उडामग क माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का प्रतिप्रश्न है । जहां तक बोकारो इस्पात संयंत्र का कब तक विस्तार होने की सम्भावना है इस बात का सम्बन्ध है मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह 1981–82 तक हो जायेगा । अन्य संयंत्रों के बारे में मैं बता

चुका हूं कि उन इस्पात संयंत्रों के स्थान के बारे में जो राजनीतिक या आर्थिक असंतुलन पाये जायेंगे उन पर विचार करके उनको ठीक किया जायेगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न यह था कि कोल्ड रोलिंग मिल रहित या कोल्ड रोलिंग मिल सहित बोकारो इस्पात संयंत्र में कब तक 40 लाख टन उत्पादन होना शुरू हो जायेगा।

श्री बीजू पटनायक : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह 1981–82 तक हो जायेगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : क्या कोल्ड रोलिंग मिल के बिना?

श्री बीजू पटनायक : कोल्ड रोलिंग मिल सहित। कोल्ड रोलिंग मिल के बिना कोई विस्तार नहीं है। केवल यही विस्तार है जो माननीय सदस्य को जानना चाहिए।

श्री एम० सत्यनारायण राव : माननीय सदस्य डा० हेनरी आस्टिन को उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने विजाग इत्यादि कुछ परियोजनाओं का उल्लेख किया था और उन्होंने कहा था कि उसकी मंजूरी नहीं दी गई है। क्या यह सही है कि विजाग परियोजना की मंजूरी नहीं दी गई है? यदि यह बात सही है तो आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भूमि के अर्जन तथा अन्य चीजों पर इतना धन कैसे व्यय कर दिया हैं?

श्री बीजू पटनायक : सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए आदेश दे दिये गये थे। तत्समय की सरकार द्वारा निदेश दिये जाने पर स्टील आथारिटी आफ इंडिया ने भूमि अर्जन के आदेश दे दिये थे किन्तु सरकार को अब तक विजाग परियोजना का सम्भाव्यता प्रतिवेदन, जिसे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कहा जाता है, नहीं मिला है। अतः आप यह नहीं कह सकते कि परियोजना की मंजूरी दे दी गई है। योजना आयोग तथा मंत्रिमण्डल ने धन तथा हर चीज का नियतन कर दिया है। परन्तु मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो कुछ केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से किया था हम उसे आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित करेंगे।

Shri Kacharulal Hemraj Jain : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise on a point of order. A question has been asked in regard to 569 poor labourers. Sometime should be allotted therefor.

श्री आर० के० अमीन: माननीय मंत्री ने जिस विस्तार कार्यक्रम का उल्लेख किया है वह अवश्य ही कतिपय मांग प्रायोजनाओं पर आधारित होगा और ये मांग परियोजनायें, पूंजी निवेश के प्रतिमानों पर आधारित होंगी, जो हमें कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र के अनुसार मिलने वाली थीं। परन्तु अब जनता पार्टी के पूंजी निवेश प्रतिमान भिन्न हैं तथा इसलिए मांग प्रायोजनाएं भी भिन्न होंगी। इसलिए क्या माननीय मंत्री जनता पार्टी के पूंजी निवेश के प्रतिमानों के अनुसार विस्तार कार्यक्रम को बदलेंगे?

श्री बीजू पटनायक : जहां तक जनता पार्टी और इसकी सरकार की निवेश सम्बन्धी योजना का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि वर्तमान इस्पात कारखानों तथा भविष्य में इस्पात उद्योग के विस्तार के बारे में निवेश सम्बन्धी योजना में कोई असंगति नहीं है।

श्री के० लकप्पा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में, माननीय मंत्री ने पहले भी देश के विभिन्न भागों में, जिनके अन्तर्गत कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी हैं, स्थित नये इस्पात कारखानों के

बारे में अनिश्चितता अभिव्यक्त की थी। जब श्री कुन्दू ने प्रश्न पुछा था तब उन्होंने कहा था कि इन परियोजनाओं की मंजूरी राजनीतिक आधार पर दी गई थी और अब भी वे सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। उस आधार पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का आधार राजनीतिक है और अब वे आर्थिक आधार को ध्यान में रख कर इनकी सिफारिश कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे दक्षिण में स्थित इस्पात कारखानों के हित के लिए कोई अनुचित बात करना चाहते हैं। इससे दक्षिण के सदस्यों के मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई है। हमने इस सम्बन्ध में बहुत सी रकम खर्च की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां तक आर्थिक पहलु का सम्बन्ध है वह इस बारे में एक स्पष्ट आश्वासन दें और उन्हें यह भी देखना चाहिये कि दक्षिणी राज्यों के आर्थिक असंतुलन को भी ध्यान में रखा जाये। वह यह भी आवश्वासन दें कि उन सभी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जायेगा जो इस समय विचाराधीन हैं।

श्री बीजू पटनायक : मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र, श्री लकप्पा इसका क्या अर्थ निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने अपने मित्र के प्रश्न का उत्तर दे दिया है। (**व्यवधान**) मैं उनको निराश नहीं होने दूंगा फिर भी यदि आन्ध्र से मेरे मित्र कर्नाटक से मेरे मित्रों का पक्ष लेना चाहते हैं, तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि कर्नाटक में एक इस्पात कारखाना लगाये जाने की संभावना है। हां, यह हो सकता है कि उसके स्थान में परिवर्तन कर दिया जाये। लेकिन वहां पर कारखाना लगाये जाने की पुरी संभावना है। जैसा मैंने पहले कहा, जनता सरकार के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत विशाखापटनम के कारखाने को पहली प्राथमिकता दी जायेगी। सलेम कारखाने में 1981 तक उत्पादन होने लगेगा। जहां तक विजयनगर में कारखाने का सम्बन्ध है, मैंने मुख्य मंत्री, विशेषज्ञों तथा अन्य लोगों से बात की है। यह स्पष्ट है कि कर्नाटक में स्थित भूमिरुद्ध कारखाने की उत्पादन लागत कर्नाटक में मंगलौर पत्तन में स्थित कारखाने की उत्पादन लागत से बहुत अधिक होगी। आर्थिक सम्भावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इतनी अधिक पूंजी किसी राजनीतिक आधार पर नहीं लगायी जायेगी।

श्री डी० डी० देसाई : इस समय कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियनटेड तथा नान-ओरियन्टेड सिलिकन वैद्युतिक चादरों का आयात किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि इनका निर्माण देश में ही हो, इसके लिये क्या कार्यक्रम है ?

श्री बीजू पटनायक : मैंने पहले ही विवरण में बता दिया है। माननीय सदस्य शायद कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियेंटेड तथा नान ओरियेंटेड सिलिकन वैद्युतिक चादरों के बारे में जानना चाहते हैं। 111 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना इस समय सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत लगभग 65,000 से 70,000 मीट्रिक टन कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियेंटेड चादरें तैयार होंगी और राउरकेला इस्पात कारखाने में कुछ अन्य सुधार भी किये जा रहे हैं जिसके लिये हाट स्ट्रिप मिलों को पुनः तैयार करने हेतु 27 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं जिससे उस कारखाने में अधिक कोल्ड रोल्ड चादरें तैयार की जा सकें। 1980-81 तक जब बोकारो इस्पात कारखाने में विस्तार कार्य पूरा हो जायेगा, तब कोल्ड रोल्ड चादरों की भारत में जितनी मांग होगी उसको न केवल पूरा ही किया जा सकेगा बल्कि इससे भी अधिक उत्पादन होने लगेगा।

Sixth National Conference on Communicable Diseases

*568. **Shri Shiv Sampati Ram** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** pleased to state :

(a) whether the Sixth National Conference on communicable diseases had urged the Government to establish a statutory agency to look into the problem of water pollution and enforce effective control through suitable measures to be adopted by local agencies ;

(b) whether the Conference had also said in a resolution that the tuberculosis programme in the country was not progressing satisfactorily ; and

(c) the reaction of Government and the steps taken in this regard ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) A number of steps have been taken by the Government in this regard. A statement of the same is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Following steps have been taken by the Government :—

1. Government of India have promulgated an Act, in 1974 entitled "The Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974" which looks into all matters relating to control of water pollution. Moreover, an important cause of water pollution which is due to indiscriminate sewage disposal (human and animal excrets, waste water etc.) has also been brought under the purview of this Act.

2. The Government is taking necessary steps to implement and expand the National Tuberculosis Control Programme. These steps are :—

(a) establishment of a Community-wise District T. B. Control Programme in each District of the country.

(b) integration of BCG Vaccination with the general health service.

(c) involvement of medical officers and multipurpose health workers(male and female) in tuberculosis case-finding including collection of sputum smears and domiciliary treatment of T. B. cases in rural areas.

(d) procurement of X-ray equipment through International Assistance for equipping yet unequipped District T. B. Centres in the States.

(e) re-activation of the State T. B. Centres and engaging them in monitoring and supervision of the programme.

(f) involvement of paediatricians, private medical practitioners and community leaders in rural areas in the National T. B. Control Programme to ensure adequate community participation.

(g) taking up health education in Tuberculosis as a mass campaign.

Shri Shiv Sampati Ram : May I know the number of T. B. patients in the country ? The Conference have stated in the Resolution that the tuberculosis programme in the country is not progressing satisfactorily, may I know the time by which this programme will be completed and also the amount which will be spent on it ?

Shri Raj Narain : The hon. Member has asked about the Conference. I would like to give him the recommendations in brief which have been made by the conference. This conference was held from 17th to 19th December under the chairmanship of Dr. Sushila Nayar. Some of the recommendations are as under :—

"देश में क्षय रोग कार्यक्रम में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो रहीहै । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण करना आवश्यक है क्योंकि जो पहले सर्वेक्षण किया गया था उसे 20 वर्ष हो गये हैं । सर्वेक्षण के अतिरिक्त इसका पुनरावलोकन होना चाहिये और इसे अधिक व्यापक बनाने के लिये कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये ।"

(*interruptions*) Whenever there is any quotation or a resolution, I will read in English. But whenever I am required to express my own views, I will express them in my mother tongue.

I may also read the last portion :

"कारगर सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा के लिये यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक आदतों तथा रूढ़ियों का अध्ययन किया जाये। ऐसा प्रतीत होता है कि जनता को कारगर ढंग से स्वस्थ बनाने के लिये स्थानीय नेताओं, विद्यालयों के अध्यापकों, स्थानीय दाइयों और स्थानीय देशी चिकित्सा व्यवसायियों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। दीर्घकाल से लोग जिन स्वास्थ्य सम्बन्धी सुस्थापित प्रथाओं का अनुसरण करते आये हैं, उनके साथ साथ आधुनिक विचारों को भी ध्यान में रखना होगा। संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों और रुग्णता की तुलना में इन रोगों से चिकित्सा विद्यार्थियों को बहुत ही कम खतरा है। संक्रामक रोगों का अध्ययन करने के लिये कम से कम तीन मास लगाये जाने चाहियें। प्रत्येक चिकित्सालय में एक पृथक वार्ड होना चाहिये। चिकित्सा विद्यार्थियों के प्रशिक्षण में जल, भूमि और खाद्य के प्रदूषण तथा सभी स्तरों पर वातावरण की सफाई में सुधार लाने के लिये चलाये जाने वाले अभियान पर कहीं अधिक बल देने की आवश्यकता है।"

Sir, I may also apprise the hon. Member of the types of the communicable diseases, their causes and the measures which have been adopted by us to combat them. There is a central Board. Besides this central Board there is a Board in each of the 14 States. This is under the Act of 1974. It may be pointed out that the Board has failed to carry out the jobs which were entrusted to it. Since I was to give a reply, I called the chairman of the Board. Shri Nilay Chaudhari is its chairman and the Board consists of 15 members. If I start reading their names, it will take some time. It may, however, be told that many diseases break out due to water pollution. I wanted to seek some information from the chairman about the jobs got carried out by the central Board through these Boards which are functioning in the states. For instance, take the case of Ganga waters at Varanasi and Calcutta. We treat the Ganga as mother. The city of Varanasi is a centre of Sanskrit and also a world centre. But here the water is so much polluted that it cannot be described in words. The stream of the Ganga is like a pure moonlight, a blooming queen, a melodious tune of a cuckoo, a heart of a man and for Shri Yeshwantrao Chavan it is the face of the mistress. But this stream of the holy Ganga has been polluted. The former Government did not do anything to remedy this situation. The new Government under the guidance of Shri Morarji Desai, is going to do something in this regrd.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल अब समाप्त होता है।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : मैं आपका आभार मानूंगी यदि आप माननीय मंत्री से यह कहें कि वह जब अपनी सुन्दर भाषा हिन्दी में बोला करें तो जरा धीरे-धीरे बोला करें जिससे हम भी उनकी बात समझ सकें। उनके चुटकलों और हास्यास्पद बातों पर समूची सभा हंस रही है परन्तु हम इस चर्चा में भाग न ले सकने के कारण केवल तमाशबीन ही बन कर रह जाते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Payment of Wages to Rural Labourers

*569. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** and Labour be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the labourers in rural areas are not being paid wages as fixed by Government ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to ensure the payment of wages to them at fixed rates ?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) : (a) and (b) The matter falls predominantly in the State sphere. The state Governments have been advised from time to time to take effective steps for the enforcement of the notified minimum wages. Strengthening the administrative set up, utilising the services of staff of Departments like Revenue, Agricultural and Rural Development, in addition to those of Labour Departments and increasing the number of claims authorities have been some of the measures that have been taken.

Pay Scale recommended by Steel Wage Board for Refractories Plant

***570. Shri Ramdas Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government have conceded the demand of the workers of the refractories plant for the pay scale recommended by the Steel Wage Board ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) and (b) Presumably the reference is to a demand made by the workers of the Refractory Plant of Hindustan Steel Limited at Ramgarh that the wage structure applicable to the workers of the Steel Plants of the Company should be made applicable to them also. This is essentially a matter to be negotiated and settled between the management and the workers. An agreement was reached between the two parties on 29th June, 1977, as a result of which the workers of the Refractory Plant have been given improved scales of pay and certain other benefits.

विशाखापत्तनम में दूषण के कारण रोग

*571. **श्री द्रोणभराजू सत्यनारण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान पोलिमेर्स, विशाखापत्तनम से होने वाले दूषण के कारण विशाखापत्तनम के लोग बीमार हो रहे हैं तथा विभिन्न रोगों से ग्रस्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दूषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Plan for Rehabilitztion of Bonded Labour

***572. Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether in the Labour Ministers' Conference held in October, 1976 it was felt that the present plan and non-plan development schemes about rehabilitation of bonded labour were inadequate and that a separate programme needed to be drawn up after securing specific and adequate central financial assistance ; and

(b) if so, the concrete steps taken in this direction and the outlines of the programme chalked out after securing specific and adequate central financial assistance and in case no such programme has been drawn up, the reasons therefore ?

Minister for Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) : (a) and (b) It was decided in the meeting of Secretaries held in November, 1975 that bonded labour should be given assistance under some of the existing on-going schemes such as distribution of house-sites and conferment of ownership rights, thereon, allotment of agricultural land, free education and free hostel facilities for Scheduled Castes/Scheduled Tribes children, loans for agricultural operations/development and loans at differential rates of interest. This was

endorsed by the last Chief Ministers' Conference held in March, 1976 which also recommended that in preparing State plans adequate provisions should be made for the rehabilitation of emancipated bonded labourers in the annual plans of these States. However, it was represented by the Labour Ministers in the 28th Labour Ministers' Conference held in October, 1976 that the on-going plan and development schemes would be inadequate for the rehabilitation of emancipated bonded labour especially in areas where there was a concentration of bonded labourers. This matter was considered in a meeting of Secretaries held in March, 1977 and taking all factors into consideration, the consensus that emerged was that as the number of emancipated bonded labourers to be rehabilitated was relatively small in most States, there was no necessity for an additional scheme. However, since the importance of the rehabilitation of bonded labour is undisputed, it was proposed that this expenditure should be met by the States under on-going schemes. In case it was found subsequently that a certain number of bonded labourers in particular areas could not be helped under any on-going schemes, the question of Central Assistance would be considered to fill the gap. In this connection it may be stated that the State Plans which had a wide variety of relevant schemes had now an outlay of 30% more than in the past. However, if there are cases where due to lack of finance, there are difficulties in rehabilitating any isolated groups of Bonded Labour, the Central Government will see that lack of funds does not stand in the way of rehabilitation and the creation of conditions under which nobody remains in bondage.

राजदूतों, उच्चायुक्तों तथा महावाणिज्य दूतों की नियुक्ति

573. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मार्च में जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद भारतीय राजदूतों, उच्च आयुक्तों, महावाणिज्य दूतों आदि की कोई नई नियुक्तियां की गई हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ख) ऐसे कितने रिक्त पद अभी तक नहीं भरे गये हैं ;

(ग) इन्हें कब भरा जायेगा; और

(घ) कैसे भरा जायेगा--कैरियर राजनयिकों द्वारा अथवा सार्वजनिक जीवन के विख्यात लोगों द्वारा ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां । वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के बाद 10 मिशन प्रमुखों की नियुक्तियां हुई हैं । कार्यभार संभालने से पुर्व वे अपनी औपचारिकताएं, ब्रीफिंग आदि पूरी कर रहे हैं ।

इस अवधि में 6 प्रधान कौंसल/कोंसल आदि ने वस्तुत: कार्यभार संभाल लिया है । अन्य स्तरों पर, सामान्य प्रशासनिक क्रम में अनेक नियुक्तियां हुई हैं ।

(ख) मिशन प्रमुखों के ऐसे 4 पद रिक्त हैं ।

(ग) और (घ) इन पदों में से तीन के लिए सम्बद्ध व्यक्तियों का चयन कर लिया गया है और ये शीघ्र ही कार्यभार संभालने के लिए रवाना हो जाएंगे । इन में से दो सार्वजनिक क्षेत्र से लिये गये हैं और एक विदेश सेवा में से ही । चौथे रिक्त पद के लिए उपयुक्त मिशन प्रमुख के चयन से सम्बन्धित औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं ।

सुकिन्दा में निकल संयंत्र

*574. **श्री समरेन्द्र कुन्डु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुकिन्दा में स्थापित किये जाने वाले निकल के पायलट संयंत्र का सुधार पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) (क) और (ख) जी हां। अतिरिक्त लागत की मंजूरी देते समय यह तय किया गया था कि सलाहकार मै० कैमिकल्स एंड मैटर्लजिक्ल डिजाइन कम्पनी द्वारा सितम्बर, 1977 के अन्त तक पायलट प्लांट में सुधार तथा अयस्क सम्बन्धी अपेक्षित परीक्षण का काम पूरा करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। निर्धारित समय-सूची का सलाहकारों द्वारा भली भांति पालन किया जाए, इसके सुनिश्चय हेतु उनसे 40,000 रुपए की बैंक गारंटी ली गई है।

कोयम्बतूर में आयूर्वेद पद्धति में अनुसंधान के लिए ट्रस्ट बनाया जाना

***575. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से कोयम्बतूर में आयुर्वेद पद्धति में अनुसंधान करने के लिए एक आयुवदिक ट्रस्ट बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद् के माध्यम से 1977 से 1980 तक की अवधि में विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आर्यूविज्ञान अनुसंधान परिषद् के संयुक्त तत्वावधान में कोयम्बतूर, तमिलनाडु स्थित आयुर्वेदिक ट्रस्ट और अनुसंधान संस्थान में "आमवात में आयूर्वेदिक उपचार की कारगरता पर अनुसंधान" नामक एक अध्ययन कार्य परस्पर मिल कर करने के लिए सहमत हो गये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारतीय आर्युविज्ञान अनुसंधान परिषद् को इस चार वर्षीय अध्ययन के पहले दो वर्षों में अर्थात् 1977 और 1978 में विभिन्न चरणों में कुल 20,000 अमरीकी डालर देने के लिए राजी हो गया है। यह शोध कार्य पहली अप्रैल, 1977 से प्रारम्भ हो गया है।

Indian Missions Abroad

***576. Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian Missions functioning abroad, at present, and their main functions ;

(b) whether Government have issued some new guidelines recently ; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) (a) India has 124 Missions and Posts abroad. The main function of our Missions/and Posts is to protect and promote our interests and strengthen ties with the countries concerned in the light of national foreign policy objectives.

(b) and (c) : Yes, Sir. The broad lines of Government policy were outlined briefly in the Address by the Vice-President, acting as President of India, on 28th March, 1977, Further appropriate directives have been given to our Missions in the light of policies enuneiated. In broad terms these were elaborated in the debate on Grants for the Ministry of External Affairs.

क्षय रोग के रोगियों का सर्वेक्षण

*577. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र के निदेशक के इन विचारों की जानकारी है कि राजधानी में 40,000 लोगों को यह पता नहीं है कि उन्हें क्षय रोग है ;

(ख) इस सम्बन्ध में पिछला सर्वेक्षण कब किया गया था ;

(ग) एक लम्बी अवधि तक सर्वेक्षण न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सर्वेक्षण कराने तथा रोगियों की चिकित्सा करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण का अन्तिम दौर मार्च, 1977 में पूरा कर लिया गया था और इसके परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सर्वेक्षण पहले ही कर लिया गया है और यथाक्रम पैटर्न के अनुसार रोगियों का इलाज किया जा रहा है ।

Coverage of Agricultural Labour under E. S. I. Scheme

*578. **Shri Ishwar Choudhary** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to cover agricultural labour by the Employees State Insurance Scheme ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) : (a) and (b) Government is anxious to see that benefits of social security and insurance reach the rural workers as well and is examining the possibility of extending the Employees State Insurance Scheme to rural workers, although no specific proposal has taken shape.

तारालिन पाउडर का काफी में अपमिश्रण के रूप में इस्तेमाल

*579. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चिकोरी जैसे सी० तारालिन पाउडर का उपयोग काफी में अपमिश्रण के रूप में करनें की अनुमति देने का है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सी० तारालिन पाउडर, जिसे सी० तारालिन से तैयार किया जाता है, अगर चिकोरी की तरह काफी पाउडर के साथ मिलाया जाये, तो चिकोरी मिश्रित काफी से बेहतर पेय तैयार किया जा सकता है ;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि सी० तारालिन हमारे देश में और विशेष रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में बहुतायत से उपलब्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का है, ताकि काफी के अपमिश्रण के रूप में सी० तारालिन पाउडर के निर्बाध उपयोग की अनुमति दी जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) कैसिया तारालिन का काफी में इस्तेमाल करने की अनुमति देने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है :

(ग) यह घास-पात वाला एक छोटा पोधा है, जो सारे भारत में पाया जाता है ।

(घ) जी नहीं ।

सफदरजंग अस्पताल के आवासी डाक्टरों तथा इन्टर्नों की मांगें

***580. डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में आवासी डाक्टर और इन्टर्न अपनी पुरानी मांगों को पूरी किये जाने की मांग कर रहे हैं ;

(ख) क्या वर्तमान स्थिति में अस्पताल में आवास तथा सुविधायें बहुत अपर्याप्त हैं ;

(ग) क्या आवासी डाक्टर संघ ने सरकार से अपनी मांगें पूरी किये जाने के लिए कहा है ; और

(घ) सरकार ने समस्या का समाधान करने और डाक्टरों द्वारा आन्दोलन अथवा सत्याग्रह आरम्भ करने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डाक्टरों से लिखित रूप में कोई मांगें प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी अस्पताल के रेजिडेंट डाक्टरों की एसोसिएशन की 1–7–1977 को चिकित्सा अधीक्षक के साथ बैठक हुई जिसमें उन्होंने अपनी सुख-सुविधाएं बढ़ाने के बारे में विचार विमर्श किया ।

(ख) कुल 272 रेजीडेन्ट डाक्टर आवास पाने के हकदार हैं । अस्पताल प्राधिकारी विभिन्न श्रेणियों के 253 रेजीडेन्ट डाक्टरों को आवास दे पाए हैं ।

(ग) सफदरजंग अस्पताल के रेजीडेंट डाक्टरों की एसोसिएशन इस अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से मिलकर अपनी उन विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में विचार-विमर्श कर चुकी है जिनमें उनके आवास की समस्या भी शामिल है ।

(घ) रेजिडेंट डाक्टरों के आवास से संबंधित समस्याओं का समाधान नर्सों के होस्टल बन जाने के बाद हो जाएगा क्योंकि इस समय जो कमरे नर्सिंग स्टाफ को मिले हुए हैं वे रेजिडेंट डाक्टरों को दिए जाएंगे ।

Study Group to Examine Working Conditions in Bidi Industry

***581. Shri Kachrulal Hemraj Jain :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Government would consider constituting a study group to examine the miserable conditions, unsatisfactory working conditions, exploitation of minor boys and young women inadequate wages, etc. of lakhs of labourers employed in Bidi industry in the country ; and,

(b) if so, the time by which it would be constituted and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) (a) and (b) : Statutory provisions already exist under the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966, regulating conditions of work and health and welfare of beedi workers and prohibiting the employment of children below the age of 14 years and of women and young persons between 7.00 p. m. and 6.00 a. m. Their wages are fixed under the Minimum Wages Act, 1948, by the State Governments etc. The Government, therefore, does not consider it necessary to constitute a study group.

आंखों के आपरेशन के लिए नया उपकरण

***582. श्री के० लकप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने आंखों के आपरेशन के लिये कोई नया उपकरण निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मोतियाबिन्द के हजारों रोगी सैकिन्डों में आपरेशन करा सकेंगे, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते ।

जूनियर डाक्टरों में असंतोष

***583. श्री डी० डी० देसाई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कलयाणं** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश पर्यन्त जूनियर डाक्टरों में अपनी सेवा शर्तों तथा उन्नति की भावी संभावनाओं के बारे में असंतोष है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) : जी हां । जूनियर डाक्टरों में अपनी सेवा शर्तों और उन्नति की सम्भावनाओं के बारे में काफी असन्तोष है । सेवा की ये शर्तें भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं और चुंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए जूनियर डाक्टरों को पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं देने के बारे में सभी राज्यों में एक-सी नीति नहीं अपनाई जा सकती ।

सेवा की शर्तें प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं और ये वित्तीय साधनों की उपलब्धता वर्तमान सेवाओं के विस्तार और लोगों की आगामी आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं। हमारे विचार में डाक्टरों के द्वारा ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में निजी रोजगार की सम्भावनाएं अच्छी हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपलब्ध सूचना अनुबंध में दी गई है।

विवरण

देश के जूनियर डाक्टरों में असंतोष से सम्बन्धित समेकित सूचना

प्रश्न से संबंधित अपेक्षित सूचना निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुई है, अर्थात् हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और मध्य प्रदेश। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बारे में जो स्थिति है वह प्रत्येक के सामने दी गई है :—

1.	हिमाचल प्रदेश	जूनियर डाक्टरों में अपनी सेवा-शर्तों और भविष्य में उन्नति की सम्भावनाओं के बारे में कोई असंतोष नहीं है।
2.	केरल	जूनियर डाक्टरों के नाम वाला ऐसा कोई वर्ग नहीं है। राज्य में निम्नतम वर्ग के डाक्टरों में सहायक सर्जन और बीमा चिकित्सा अधिकारी आते हैं। जब उन्हें देहाती इलाकों और दूरवर्ती पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाता है तो उनकी मुख्य कठिनाइयां होती हैं आवास और अन्य न्यूनतम सुविधाएं जैसे-जैसे धन उपलब्ध हो रहा है, वैसे-वैसे उनकी इन कठिनाइयों को चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में दूर किया जा रहा है।
3.	उत्तर प्रदेश	राज्य के जूनियर डाक्टर 4 से 14 मई तक भूख हड़ताल पर रहे। उनकी मांगें इस प्रकार थीं : पारिश्रमिक बढ़ाया जाए, अनिवार्य जमा योजना समाप्त की जाए, जिन स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं दिया जाता उन्हें छात्रवृत्तियां दी जाएं, मुफ्त आवास की व्यवस्था की जाए, छुट्टी की सुविधाएं आदि दी जाएं। इन मांगों पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।
4.	मणिपुर	राज्य के जूनियर डाक्टरों में असंतोष है। राज्य सरकार कार्य-स्थितियों को सुधारने और आवश्यक सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर रही है।
5.	उड़ीसा	डी० एम० एस० एम० अर्हताओं वाले जूनियर असिस्टेंट सर्जनों और उन जूनियर असिस्टेंट सर्जनों ने, जिन्होंने कंडेंस्ड कोर्स में एम० बी० बी० एस० किया, मांग की है कि उनके पद का नाम बदलकर सहायक सर्जन कर दिया जाए और उनकी सेवा शर्तें तथा भविष्य में उन्नति की सम्भावनाएं अच्छी की जाएं। इन मांगों पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

6.	आंध्र प्रदेश	राज्य के स्नातकोत्तर छात्रों और इंटरनों की एसोसिएशन ने राज्य सरकार को अभ्यावेदन भेजा जिसमें कई मांगें की गई थीं। मुख्य मांगें इस प्रकार थी कि स्नातकोत्तर छात्रों और इंटरनों की छात्रवृत्तियों में वृद्धि की जाए, उत्तीर्ण होने पर नौकरी देने का आश्वासन दिया जाए, स्नातकोत्तर सीटें बढ़ाई जाएं, सीनियर हाउस सर्जनसी बनाई जाए, आंध्र प्रदेश में मेडिकल विश्वविद्यालय बनाया जाए और स्नातकोत्तर छात्रों के चयन का तरीका निर्धारित किया जाए। इन मांगों पर राज्य सरकार ने विचार किया और जूनियर डाक्टरों की मांगों संबंधी राज्य सरकार के निर्णय के बारे में राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में एक वक्तव्य जारी किया।
7.	पांडिचेरी	पांडिचेरी संघ-राज्य क्षेत्र में कोई जूनियर डाक्टर नहीं है।
8.	मध्य प्रदेश	राज्य के जूनियर डाक्टरों के संघ ने वेतनमानों में संशोधन और सेवा-शर्तों तथा उन्नति की सम्भावनाएं अच्छी करने के लिए एक अभ्यावेदन भेजा था। इन मांगों पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

Improving Condition of Workers Engaged on Daily Wages

***584. Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration a scheme for improving the condition of the workers engaged on daily wages ; and

(b) if so, the details thereof ?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Verma) : (a) and (b). Presumably reference by and large is to the conditions of workers in the unorganized sector many of whom usually get employed in the scheduled employments covered by the Minimum Wages Act, 1948. This Act provides for the fixation and revision of minimum wages, hours of work, overtime and weekly day of rest etc. Minimum wages in respect of workers in the schedufed employments covered by the Act are being revised periodically by the appropriate Government, Central Government or the State Government as the case may be. A large number of employments have been brought under the schedule by the Central Government during the last few years. It is also proposed to convene a special Conference soon to consider problems relating to rural workers, and take such further steps as are considered necessary in the light of the recommendations of this Conference, to secure improvements in their conditions.

दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में घड़ी बनाने की दस्तकारी का शुरू किया जाना

4254. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में घड़ी बनाने के काम में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम को शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा पाठ्यक्रम कब से शुरू किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा :) (क), (ख) और (ग) इस व्यवसाय से संबंधित इस समय कोई प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है । तथापि, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नरेला (दिल्ली) में प्रयोगात्मक आधार पर 1 अगस्त, 1978 से इस व्यवहाय को शुरू करने का प्रस्ताव है ।

हिमाचल प्रदेश में चूने के पत्थर के भंडार का सर्वेक्षण

4255. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, चंबा, कांगडा, सिरमूर में चूने के पत्थर के भंडार के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इन भंडारों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :(क) जी हां ।

(ख) बिलासपुर, सिरमूर और कांगडा जिलों में कुल अनुमानित भंडार लगभग 2250 लाख टन हैं और चम्बा जिले में अनंतिम रूप से 3500 लाख टन भंडार होने का अनुमान है ।

(ग) बिलासपुर और सिरमूर से निकाले गए चूना पत्थर का इस समय हाइड्रेटेड लाइम, पेपर और चीनी उद्योगों में प्रयोग होता है भारतीय सीमेंट निगम सिरमूर जिले में 2,00,000 टन वार्षिक क्षमता की एक सीमेंट कारखाना लगा रहा है ।

बिहार के प्रत्येक गांव में डाकघर

4256. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के प्रत्येक गांव में डाकघर खोलने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितने डाकघर खोले जाएंगे और सभी गांवों में डाकघर कब तक खोल दिए जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसा प्रस्ताव है कि चालू वित्तीय वर्ष में बिहार के देहाती इलाकों में 100 डाकघर खोल दिए जाएं ।

खेतड़ी तांबा कम्प्लेक्स में श्रमिकों की बर्खास्तगी

4258. **श्री एस० जी० मुरंगय्यन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतड़ी तांबा कमप्लेक्स में नौ श्रमिक 31 मई, 1975 को बिना आरोप-पत्र, जांच आदि के बर्खास्त कर दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो स्थायी आदेशों तथा कानून के अनुसार प्रक्रिया न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उसी निर्णयाधीन फौजदारी के मामले में 13 श्रमिकों के नाम थे परन्तु प्रबन्धकों ने उनमें से केवल श्रमिक संघ के कृ 9 कार्यकर्ताओं को ही चुना और संक्षिप्त कार्यवाही के बाद 31 मई, 1975 को बर्खास्त कर दिया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) और (ख). खेतड़ी कापर कम्प्लेक्स कीकोलिहान तांबा खानों में 29-5-75 को हुई कुछ गम्भीर हिंसक वारदातों के सिलसिले में 9 श्रमिकों को 31 मई, 1975 को बर्खास्त किया गया था। इन श्रमिकों से संबंधित मामले केन्द्र सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक न्यायाधीकरण, जयपुर को निर्णय के लिए सौंपे गए हैं। ये मामले न्यायाधीन हैं।

(ग) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारियों के निवास-स्थानों पर लगे टेलीफोनों का कथित दुरुपयोग

4259. **श्री शिव नारायण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों के निवास-स्थानों और कार्यालयों पर लगे टेलीफोनों पर होने वाले खर्च को कम करने के मामले में वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेशों के संदर्भ में उनके मंत्रालय द्वारा क्या मितव्ययिता बरती गई है

(ख) क्या डाक तथा तार अधिकारियों के टेलीफोनों से की गई कालों का केवल किताबों में समायोजन किया जाता है, यदि हां, तो सीधी टेलीफोन लाइनों की सुविधाओं के दुरुपयोग और इन अधिकारियों को असीमित संख्या में कालें करने की छूट के विरुद्ध क्या नियंत्रण रखा जाता है;

(ग) किस-किस श्रेणी अधिकारियों को उनके कार्यालयों और निवास स्थानों पर सीधी टेलीफोन लाइन की सुविधा प्राप्त है और इसका क्या औचित्य है जबकि सर्विस काल बुक करने की सुविधा उन्हें सदा उपलब्ध रहती है; और

(घ) निजी कार्यों के लिए टेलीफोनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मंत्री महोदय का क्या अन्य उपाय करने का विचार है जबकि इन कालों के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा): (क) सभी डाक तार यूनिटों के अध्यक्षों को यह हिदायत दी गई है कि कार्य कुशलता और सेवा के हित को बरकरार रखते हुए टलीफोन पर होने वाले खर्च में किफायत करें आर्थिक बात की आवश्यकता पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है। टेलीफोन तभी लगाए जाते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है।

(ख) डाक-तार अधिकारियों के कार्यालयों में दिए गए टेलीफोन विभागीय कनेक्शन हैं, इसलिए उनके व्यय के पुस्तक समायोजन का प्रश्न ही नहीं उठता। घरों पर दिए गए विभागीय कनेक्शनों के लिए, वही नियम लागू होते हैं, जो अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

(ग) वरिष्ठ समय मान और इससे उच्च स्तर के अधिकारियों को कार्यालय कनेक्शनों पर और राजपत्रित अधिकारियों को उनके घर पर दिए गए टलीफोन कनेक्शनों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है। ऐसी व्यवस्था सेवा की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए जरूरी समझी गई है।

(घ) वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक है और इस संबंध में कोई अन्य उपाय करने का विचार नहीं है।

स्टेनलैस स्टील उद्योग

4260. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधियनयम, 1964 के अनुसार स्टेनलैस स्टील उद्योग के क्षेत्र में कोई नई क्षमता नहीं बनाई जानी चाहिए ;

(ख) क्या स्टेनलैस स्टील रि-रोलरों ने उपरोक्त अधिनियम की अवहेलना करते हुए उद्योग स्थापित कर लिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे स्टेनलैस स्टील रि-रोलरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) जी, नहीं। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम का क्षमता के सृजन के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस उद्योग का विनियमन लाइसेंस देने के बारे में समय-समय पर निर्धारित की गई नीति के अनुसार किया जा रहा है।

(ख) ऐसी कोई अवहेलना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के रानीखेत में देशी चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं के उत्पादन के लिए निगम की स्थापना।

4261. **श्री सुखेन्द्र सिंह :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के रानीखत में देशी चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेदिक और यूनानी) की दवाओं के केन्द्रीयकृत उत्पादन के लिये निगम स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की दवाओं की प्रभावशीलता और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के आयुर्वेदिक औषधियों के कुछ विशेषज्ञों की सहायता भी मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य श्रौर परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) निगम के निदेशकों का एक बोर्ड गठित करने का विचार है जिसमें श्रायुर्वेदिक चिकित्सा के भी विशेषज्ञ होंगे ।

(ग) इस निगम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार होंगे :

(1) हिमालय के क्षेत्र से ग्रच्छी किस्म की जड़ी बूटियां एकत्र करना ।

(2) दवाइयों के निर्माण के लिए ग्रपेक्षित जड़ी बूटियों को पर्याप्त मात्रा में उगाना ।

(3) शुरू में ग्रौषधियों का निर्माण करना ग्रौर उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के ग्रौषधालयों तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति ग्रौर होम्योपैथी की केन्द्रीय ग्रनुसंधान परिषद को वेचना । तथापि, दवाइयों के उत्पादन में जैसे-जैसे वृद्धि होती जाएगी वैसे-वैसे इन दवाइयों की ग्रन्य ग्रस्पतालों/संस्थाग्रों ग्रौर बाजार में सप्लाई की जाएगी ।

राज्यों में डाकघर/शाखा डाकघर/सार्वजनिक टेलीफोन टेलीफोन केन्द्र

4262. **श्री वयालार रवि** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने डाकघर, शाखा डाकघर, सार्वजनिक टेलीफोन तथा टेलीफोन केन्द्र है । ग्रौर उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; ग्रौर

(ख) डाकघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं तथा उन्हें कब से लागू किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) 1-4-77 को डाकघरों (शाखा डाकघरों सहित), लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों ग्रौर टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या क्रमशः 120999, 6633 ग्रौर 5819 थी इनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र 'क' में दे दिए गए हैं ।

(ख) (i) टेलीफोन कनेक्शनों की जितनी मांग दर्ज कराई जाती है, उसके ग्राधार पर नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के प्रस्तावों की तकनीकी ग्रार्थिक जांच की जाती है ग्रौर यदि वे प्रस्ताव ग्रार्थिक दृष्टि से लाभकर पाए गए यानी टेलीफोन की सेवा देने में जो भी वार्षिक खर्च ग्राता हो, वह उससे प्राप्त राजस्व से पूरा हो जाता हो, तो नये टेलीफोन एक्सचेंज खोल दिए जाते हैं ।

(ii) डाकघर खोलने के लिए शर्तें संलग्न विवरण-पत्र 'ख' में दी गई हैं । ये शर्तें 1959 में लागू की गई थीं ग्रौर 1974 में इनमें संशोधन किया गया था । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 780/77]

विदेशी-मुद्रा विनियमों के उल्लंघन को प्रत्यर्पण संधियों में शामिल करना

4263. **श्री रशीद मसूद** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन का अन्य देशों के साथ की जाने वाली प्रत्यर्पण संधियों में शामिल करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : जी हां । दूसरे देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों में विदेश मुद्रा विनियमों के उल्लंघनों को शामिल करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत है ।

इजरायल के साथ राजनियक आदान-प्रदान

4264. **श्री एफ० एच० मोहसिन** :
श्री एम० कल्याणसुदरम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल के साथ राजनयिक आदान-प्रदान का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार फिलिस्तानी मुक्ति संगठन की एक पृथक राज्य की मांग को समर्थन करना चाहती है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों का सदैव समर्थन किया है जिनमें उनका एक राष्ट्रीय राज्य और प्रभुसत्ता का अधिकार शामिल है ।

Dariba Zinc Mines

4265. **Shri Bhanu Kumar Shastri** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the names of villagers in Rajpura Dariba Zinc Mines in Udaipur District in Rajasthan being run by Messrs Hindustan Zinc Limited, whose land have been acquired by officials together with the area of land acquired and the date on which acquired ; and

(b) whether the villagers have not been paid compensation so far for their land despite acquisition of land by officials ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) the required information is given in Annexure-I. [Placed in Library. *See* No. L. T. 781/77]

(b) No, Sir. Due compensation has been paid to all whose land was acquired.

जबरन नसबन्दी का तरीका

4266. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या पिछली सरकार ने जबरन नसबन्दी के विभिन्न तरीके अपनाए थे ;

(ख) कांग्रेस सरकार की नीति का क्या परिणाम निकला;

(ग) परिवार कल्याण को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) सरकार को अगामी वर्ष में इस नीति से किन परिणामों की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क) चूंकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एक राज्य विषय था, इसलिए 16–4–76 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के पैरा 15 में कहा गया था कि :

> "यदि कोई राज्य विधान मण्डल अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्णय करता है कि अब समय आ गया है और अनिवार्य नसबंदी के लिए कानून बनाना जरूरी है तो वह ऐसा कर सकता है ।"

किन्तु किसी भी राज्य में ऐसा कोई कानून लागू नहीं किया गया यद्यपि महाराष्ट्र राज्य की विधान सभाओं द्वारा विधिवत पास किया गया महाराष्ट्र परिवार (आकार पर प्रतिबन्ध) विधेयक, 1976 वहां की राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु केन्द्र को भेजा गया था, तथापि इस विधेयक पर राष्ट्रपति जी की सम्मति रोक ली गई। इसी प्रकार हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने केन्द्र सरकार को अविनार्य परिवार नियोजन/नसबन्दी के सम्बन्ध में जिन विधेयकों के मसौदे भेजे थे, उन्हें भी लौटा दिया गया था।

वक्तव्य के पैरा 16 में कहा गया था कि :

> " कुछ राज्यों ने परिवार नियोजन अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों और दूसरे नागरिकों को मकान और कर्ज आदि के मामले में प्राथमिकता देने के कई कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में भी हमने यह फैसला किया है कि राज्य सरकार जो उपाय उचित और आवश्यक समझे उन्हें लागू करे। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे छोटे परिवार के सिद्धांत को अपनाएंगे और इसे सुनिश्चित करने के लिए उनके सेवा/आचरण नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।" ।

इसके परिणामस्वरूप कुछ राज्य सरकारों ने कुछ हतोत्साहन लागू किए थे जो इस प्रकार हैं :—

(1) उन सरकारी कर्मचारियों, जिनके दो/तीन बच्चे थे और जिन्होंने नसबंदी आपरेशन नहीं करवाया था, उनकी वेतन-वृद्धि रोकना, वेतन रोकना, पदोन्नति रोकना, आदि-आदि, तथा अन्य सुविधाएं, जैसे बाल शिक्षा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मकानों का आबंटन, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, ऋण और पेशगी, इत्यादि को वापिस लेना।

(2) आम जनता के बारे में, अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स देने, मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत परमिट देने, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा-वृत्तियां देने, एम० बी० बी० एस०/इंजीनियरिंग के सुरक्षित स्थानों पर प्रवेश देने, भूमि खण्डों, वाहनों को आबंटित करने, कर्जे देने, इत्यादि के लिए नसबन्दी आपरेशन

करवाने की पूर्व शर्त लगा दी गई । राज्य सरकार द्वारा ये हतोत्साहन या तो पूर्णतया वापिस ले लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं ।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में नियम 21–क जोड़ा गया तथा 30–9–77 के उपरान्त चौथी सन्तान उत्पन्न करने वाले सरकारी कर्मचारियों को कुछेक सुविधाओं से वंचित करने के आदेश जारी कर दिए गए ।

(ख) जबरी नसबंदी अभियान के कारण लाभ के बजाय देश को हानि ज्यादा पहुंची । यह सत्य है कि योजना के आरम्भ से अब तक 270.5 लाख लोगों की नसबन्दी की गयी तथा यह संख्या कुल सन्तानोंत्पादक दम्पति की 20.6 प्रतिशत है एवं 290 लाख जन्म रोके गए तथापि इससे देश को निम्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हानियां हुई :––

(1) इस अभियान के कारण तीव्र जन आक्रोश फैला एवं परिवार नियोजन शब्द से ही लोगों में घृणा हो गई।

(2) पुलिस की गोलीबारी से अनेकों जन हत्याएं की गईं ।

(3) जबरदस्ती नसबन्दी करके वास्तव में जिस मूल उद्देश्य की प्राप्ति की आकांक्षा की गई थी वह प्राप्त नहीं हुआ । जनसंख्या वृद्धि की यह मामूली वार्षिक गिरावट, स्वैच्छिक नसबन्दी, लूप-निवेशन, आयुर्वेदिक पद्धतियों द्वारा गर्भ-निरोध, प्रचार-प्रसार, देहाती इलाकों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा समझाबुझाकर किए गए उपायों द्वारा भी लाई जा सकती थी ।

"जनसंख्या वृद्धि पर मामूली रोक" की इस तथाकथित उपलब्धि, जो अन्य साधनों एवं प्रचार से हो सकती थी, के अलावा इससे काफी जटिल समस्याएं उत्पन्न हुई । परिवार नियोजन शब्द घृणा का प्रतीक बन गया एवं समाज कल्याण के लिए 'सीमित परिवार' की परिकल्पना को भी लोग संदेह की दष्टि से देखने लगे । जनता में इसके प्रति प्रतिरोध एवं कहीं-कहीं तो प्रतिरोध की भावना भी उमड़ कर सामने आई ।

(4) वर्तमान सरकार को वे लाखों लोग विरासत में मिले जोकि जबरी नसबन्दी के कारण तथा ठीक से इलाज न होने के कारण रुग्ण थे । उनको तत्काल राहत पहुंचाना जटिल काम था एवं इस विषय में राज्य सरकारों को बार-बार चिकित्सा एवं सहायता के लिए निदेश देने पड़े ।

इसी कारण नई सरकार को इस अभियान को पूर्णतया रोक देना पड़ा ।

(ग) अब परिवार कल्याण कार्यक्रम संशोधित परिवार कल्याण कार्यक्रम नीति पर आधारित होगा । संशोधित नीति के ब्यौरे 16–6–77 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 79 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 688 के उत्तर में दिये जा चुके हैं ।

भारत सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रचार संगठनों का पुनर्गठन कर रही है । इस प्रयोजन के लिए विस्तार शिक्षा

सहित सभी प्रचार साधनों का उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकारों को विशेष रूप से यह बता दिया गया है कि इस कार्यक्रम का आधार पूर्णतया स्वैच्छिक है। केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 21–क को रद्द कर दिया जाएगा और उस आदेश को भी कि जिन सरकारी कर्मचारियों को 30 सितम्बर, 1977 के पश्चात् तीन से अधिक सन्तानें उत्पन्न करने पर कुछ सुविधाओं से वंचित करने का प्रस्ताव था, वापिस ले लिया जाएगा।

ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रहे महिला मण्डलों की सहायता से परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वियन में ग्रामीण महिलाओं का सहयोग प्राप्त करने का विचार है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही सहकारी संस्थाओं की सहायता प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है। इस प्रयोजन हेतु एक संयुक्त नीति तैयार की जा रही है।

माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के में सुधार करने की योजनाओं पर अधिकाधिक बल दिया जाएगा। लघु परिवार के आदर्श को लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक मातृ-केन्द्रित नीति अपनाई जाएगी। है परम्परागत दाईयों को, जो गांवों में प्रसव करवाने का काम करती हैं, प्रशिक्षित करने के कार्य की ग त को तेज किया जाएगा। सरकार द्वारा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सम्बन्ध भिं जो सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जन प्रचार साधनों के जरिए एक विशिष्ट अभियान चलाया जाएगा।

(घ) जन्म-दर को एक प्रति हजार की वार्षिक दर के रेट पर घटाने का प्रयत्न किया जिससे कि जन्म-दर पांचवीं और छठी योजनाओं के अन्त तक घटकर क्रमशः 30 और 25 प्रति हजार के स्तर पर पहुंच सके।

बांड के अन्तरण की सुविधा

4267. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सहित सरकारी उपक्रम गृह मंत्रालय के ज्ञापन संख्या एफ 5/10/66–एस्ट(सी) तिथि 15 अप्रैल, 1966 के अनुसार एक सरकारी विभाग से दूसरे विभाग में बांड के अन्तरण (तकनीकी प्रशिक्षण) की सुविधा सभी कर्मचारियों को दे रहे हैं;

(ख) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उनके पदोन्नति के मामले में उन्हें ऐसी सुविधा नहीं दे रहे हैं;

(ग) क्या इस उपक्रम ने उपरोक्त नीति की अवहेलना की है और यहां तक कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन सदस्यों को परेशान किया है तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की है जिन्होंने अन्य उपक्रमों में उच्च पद ग्रहण करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी; और

(घ) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने उन गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बांड की राशि वसूल नहीं की जिन्होंने गैर-सरकारी नौकरी के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) गृह मंत्रालय का 15 अप्रैल, 1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 5/10/66–स्थापना (ग) केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों पर स्वतः ही लागू नहीं होता।

यद्यपि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० में गृह मंत्रालय के 15–4–66 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के आधार पर व्यवस्था है किन्तु अन्य अनेक उपक्रमों में जो व्यवस्था है वह इन निर्देशों से भिन्न है।

(ख) हिन्दुस्तान कापर लि० के वर्तमान नियमों के अनुसार बांड अन्तरण की सुविधा किसी भी कर्मचारी के लिए नहीं है, चाहे वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो अथवा नहीं।

(ग) चूंकि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित गृह मंत्रालय के निर्देश केवल सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित है, अतः हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा इन निर्देशों के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। जब कोई कर्मचारी बांड की शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो कम्पनी उस पर दीवानी मुकदमा चलाती है।

(घ) हिन्दुस्तान कापर लि० ने अब तक दो उम्मीदवारों के मामले में जो अनुसूचित जाति/जनजाति के नहीं थे, अत्यन्त मानवीय आधार पर बांड की शर्तों में छूट दी है।

पहले मामले में, कर्मचारी की पत्नी की दुःखद परिस्थितियों में खेतड़ी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उस व्यक्ति ने हिन्दुस्तान कापर लि० छोड़ने के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर ली।

दूसरे मामले में कर्मचारी को इसलिए बांड से छुटकारा दिया गया क्योंकि उसे फेफड़े की तपेदिक हो गई थी और वह 12 महीनों में 153 दिन छुट्टी पर रहा। यह पता नहीं है कि उसने 24–2–77 से कम्पनी से त्याग-पत्र देने के बाद कहीं और जगह नौकरी कर ली है अथवा नहीं।

Direct Dialling System between Cities of Rajasthan and Delhi and Bombay

4268. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to link the main cities of Rajasthan with Delhi and Bombay by direct dialling system ; and

(b) if, so the names of those cities and by what time these would be linked by direct dialling system ?

Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) (a) Yes, Sir.

(b) Jaipur and Alwar have STD from and to Delhi. Delhi has STD to Jodhpur and by March, 1978 STD is expected to be provided in the reverse direction also. Ajmer, Bikaner, Kotah and Udaipur will have STD with Delhi in 1979-80. STD to Bombay is likely to be provided in the 6th Plan.

मूंगफली के तेल में मिलावट

4269. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुदरा व्यापारियों के माध्यम से उपलब्ध मूंगफली के तेल का स्वाद और गंध अप्रिय है तथा बहुत समय तक रखने के कारण इसमें कुछ चिपचिपाहट के अतिरिक्त यह गंध एरण्डी के तेल की मिलावट की वजह से है जो मूंगफली के तेल से सस्ता है;

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि इस मिलावट से व्यापारी अपने लाभ में वृद्धि कर लेते है; और

(ग) सरकार का विचार इस मिलावट की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही करने का है जो शीघ्र ही ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर कर्नाटक राज्य में फैल जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री राज नारायण) : (क), (ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Cost Involved in Zinc Smelter, Udaipur

4270. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the total cost involved in Zinc Smelter, Udaipur (Rajasthan)?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik): The total cost of the zinc smelter at Debari (near Udaipur) with a capacity of 18,000 tonnes per annum which was commissioned in January, 1968 is Rs. 816·47 lakhs.

The smelter capacity has recently been raised from 18,000 to 45,000 tonnes per annum. The latest estimated cost of the expansion is Rs. 2681 lakhs. The actual expenditure incurred on the expansion upto 31-3-77 is approximately Rs. 2660 lakhs.

उड़ीसा में टेलीफोन सेवाओं के विस्तार पर व्यय

4271. **श्री डी० अमात :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में टेलीफोन सेवाओं के विस्तार पर कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्री (श्री बृजलाल वर्मा) : 1977–78 के दौरान चल रहे बड़े निर्माण कार्यों के लिए 167.38 लाख रुपये की रकम खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान बहुत से मुख्य निर्माण कार्यों को भी बजट में शामिल किया गया है।

धनबाद औद्योगिक न्यायाधिकरण में अनिर्णीत पड़े मामले

4272. **श्री ए० के० राय :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद औद्योगिक न्यायाधिकरण में कितने श्रमिक मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) सबसे अधिक समय से कौनसा मामला अनिर्णीत पड़ा है और मामलों के निपटान की औसत दर क्या है ;

(ग) क्या सदैव ही बहुत संख्या में श्रमिक मामले अनिर्णीत पड़े रहने के बावजूद, एक न्यायाधिकरण एक न एक कारण से क्रियाशील नहीं रहता ; और

(घ) यदि हां, तो मामलों के निपटाये जाने में द्रुत गति लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) इस समय धनबाद में दो केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय कार्य कर रहे हैं और 30–6–77 को धनबाद स्थित प्रत्येक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय के समक्ष 81-81 मामले अनिर्णीत पड़े थे।

(ख) सब से पुराना मामला उच्च न्यायालय के स्टे आर्डर के कारण 1973 से अनिर्णीत पड़ा है।

(ग) और (घ) . यह सच है कि वर्तमान पदधारी के स्थानान्तरण या उसके अपने मूल संवर्ग पर प्रत्यार्वतित हो जाने के बाद उपयुक्त व्यक्ति के चयन में अन्तर्ग्रस्त औपचारिकताओं के कारण कभी-कभी पीठासीन अधिकारी का एक पद रिक्त रहता है। परन्तु ऐसे अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत पड़े मामले को, जिनका कोई पीठासीन अधिकारी न हो, अन्य कार्यरत अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालयों में बांट दिया जाता है, ताकि इन मामलों के निपटाने में व्यर्थ की देरी न हो जाये।

Extraction of Minerals in Palamau

4273. **Shri R. D. Ram** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there are many kinds of minerals in Palamau district which have remained unexploited; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to extract them soon ?

The Minister of Steel and Mines (**Shri Biju Patnaik**) : (a) & (b). Besides coal, dolomite, fireclay, graphite iron ore and limestone, which are already being exploited; recent investigations by Bihar Government have indicated about 70 million tonnes reserves of rock phosphate in Bhawanathpur. There are also minor occurrences of beryl, copper-lead-zinc ore, garnet, mica, steatite and vermiculite. Exploration for dolomite deposits near Tulsidamar area is also under progress. Feasibility studies are contemplated on completion of the exploration.

Increase in Annual Registration fee by Delhi Pharmacy Council

4274. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Delhi Pharmacy Council has increased the annual registration renewal fee from Rs. 3 to Rs. 25;

(b) if so, the reasons for this increase of more than 8·33 times whereas there has been no increase in the wages or income of Pharmacists; and

(c) whether Government propose to reduce it again and bring it down to Rs. 3?

The Minister of Health and Family Welfare (**Shri Raj Narain**): (a) Yes.

(b) Old rates were fixed in 1958. After assessing the present resources and the expenditure of the Delhi Pharmacy Council and also after considering the commercial value of the registration, the Delhi Administration has raised the rates of fee so as to increase the income of the Council and also to decrease the annual increasing financial burden on the Delhi Administration.

(c) Representatives from Delhi Pharmacy Council, Delhi Chemists Association and Pharmacists Association were received by Delhi Administration against the increase of fee. The matter is under consideration of Delhi Administration.

भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के चिकित्सकों का सम्मेलन

4275. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के चिकित्सकों का दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) उस में क्या निर्णय लिए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) 25 और 26 जून, 1977 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुए भारतीय चिकित्सा पदधति तथा होम्योपैथी के चिकित्सकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था और उन पर जो सिफारिशें की गई थी वे इस प्रकार हैं :—

मद संख्या 1 : **ग्राम स्वास्थ्य योजना में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के चिकित्सकों का प्रशिक्षण तथा उनकी सेवाओं का उपयोग**

इस सम्मेलन में ग्राम वासियों के प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ताओं के चयन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ताकि इस कार्यक्रम में उनके सक्रिय योगदान का सुनिश्चिय किया जा सके । इसने सिफारिश की इस चयन में भारतीय चिकित्सा पदधति के उन चिकित्सकों को तरजीह दी जाए जो पहले ही उन क्षेत्रों में लोगों की सेवा कर रहे हैं । जहां देशी चिकित्सा पद्धति का ऐसा चिकित्सक नहीं मिलता तो इस बात का सुनिश्चिय किया जाए कि ग्रामवासी जिस व्यक्ति को चुने वह 20 वर्ष से कम का न हो । उसने कम से कम दसवीं कक्षा तक शिक्षा पायी हो और वह समझदार हो । उसे कम से कम तीन महीनों का आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए । यदि भारतीय चिकिसा पद्धति के चिकित्सक का चयन कर लिया जाता है तो उसे निवारक तथा जन स्वास्थ्य में अल्पकालिक विषय परिचायक प्रशिक्षण दिया जाए । स्टैंडर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उपर्युक्त मैनुअल तैयार किए जांए । और ये सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध किए जाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जाये । प्रशिक्षण का कार्य भारतीय चिकित्सा पदधति तथा होम्योपैथी में योग्यता प्राप्त तथा प्रशिक्षित स्टाफ के हाथों में से उपचार के लिए तालुक तथा जिला स्तर पर भी रेफरल केन्द्र खोले जाएं । स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को योग तथा, प्राकृतिक उपचार के तरीकों में प्रशिक्षण दिया जाए । और उनके लिए इन पाठयक्रमोंसे संबंधित पुस्तकों/पत्रिकाओं की व्यवस्था भी की जाए ताकि वे इन पद्धतियों में हो रहे विकास से अवगत रहें ।

मद संख्या 2 : **कच्ची औषधियों, औषधयोगों और औषध पेटिकाओं का उत्पादन, निर्माण और वितरण ।**

पेटिका में सभी पदधति की दवाइयां हों और इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे खराब न होने पाएं और एक दूसरे में मिल न जाएं । स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को उनके मार्गदर्शन के लिए आसान भाषा में नियमावली या पुस्तिका उपलब्ध कर दी जाए । बनी बनाई दवाइयों की नियमित सप्लाई करने और पेटिका में से समाप्त होने वाली दवाइयों के स्थान पर शीघ्र ही फिर से दवाइयां देने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए । अच्छी किस्म की दवाइयां सस्ते दामों पर तैयार करने के लिए सरकारी और सहकारी क्षेत्र में फर्मेसियां खोली जाएं । भारतीय चिकित्सा पदधतियों और होम्योपैथी की दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे सामान पर और तैयार माल पर लगाए गए करों की समीक्षा की जाए और उनके दाम कम करने के लिए या तो कर कम किए जाएं या बिल्कुल ही समाप्त कर दिए जाएं । प्राकृतिक चिकित्सा और योग के दवारा इलाज करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और अन्य औज़ार बनाए जाएं और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को बाटें जाएं ।

मंद संख्या 3 : ग्रामीण स्वास्थय योजना में देहाती इलाकों के रोगियों के इलाज के लिए भारतीय चिकित्सा पदधति और होम्योपैथी के कालेजों से संलग्न अस्पतालों का उपयोग और ऐसे कालेजों के अध्यापकों का सहयोग ।

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम में सम्मिलित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य के भारतीय चिकित्सा पदधतियों और होम्योपैथी के निकटवर्ती कालेजों और अस्पतालों से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करें। ये कालेज भी अपने आस-पड़ोस के कुछ गांवों को अपने जिम्मे ले लें और वहां चलते-फिरते कलीनिकों का आयोजन करें और छात्रों को ग्रामीण चिकित्सा की आवश्यकताओं के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करें। इन कालेजों का स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने में भी उपयोग किया जाए।

अन्य सिफारिशें :—

1. राज्यों को यथोचित ढील दी जानी चाहिए ताकि वे ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का स्थानीय स्थितियां और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार विकास कर सकें।

2. प्रत्येक राज्य में एक आदर्श संस्थान खोला जाए और केन्द्र ने जो राष्ट्रीय संस्थान पहले ही शुरु कर दिए हैं उनका शीघ्र से विकास किया जाए। भारतीय चिकित्सा पदधतियों होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिए तिब्बिया कालेज कैम्पस का उपयोग करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के साथ-साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह ही राष्ट्रीय संस्थान कम्पलैक्स की एक शिखर संस्था बनाई जाए।

3. अनुसंधान के प्रयासों को नया रूप दिया जाए औय यह बात सुनिश्चित की जाए कि भारतीय चिकित्सा पदधति, होम्योपैथी योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपना उचित स्थान मिले और अपने अपने सिदधान्तों के अनुसार विकास करने का पूरा अवसर मिले।

4. भारतीय चिकित्सा पदधतियों और होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविदयालय अनुदान आयोग के अंतर्गत लाया जाए ताकि उन्हें वेतनमान और वित्तीय सहायता दी जा सके। राज्य/केन्द्रीय सरकार स्नातकपूर्व संस्थाओं के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दें।

5. जिन राज्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी के लिए अलग से निदेशालय नहीं है वहां पर वे अग्रता के आधार पर स्थापित किये जाने चाहिएं। इन पद्धतियों के लिए अलग बजट की व्यवस्था होनी चाहिए तथा यह रुपया किसी अन्य शीर्षक में नहीं लगाया जाना चाहिए।

6. ग्रामीणों को अपने क्षेत्र कें औषधीय पौधों के महत्व के बारे में बताया जाना चाहिए, तथा उन्हें इनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। उनको पंचायत की बाहय भूमि में जड़ी-बूटी उदयानों का विकास करने तथा जंगलो तथा कृषि भूमि में दवाओं वाले पौधों का संरक्षण करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए।

7. भारतीय चिकित्सा पदधति में सरकारी भेषज-संहिताओं के संकलन तथा प्रकाशन के लिए तथा दवाओं के प्रयोग और मानकीकरण के लिए पूर्ण विकसित प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की दिशा में कदम उठाये जाने चाहिएं।

8. विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों दवारा पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। और इन सिफारिशों को अमल में लाने का काम चिकित्सा पदधति के अधिकारियों को सौंप देना चाहिए।

गत छः महीनों के दौरान जनदिवसों की हानि

4276. **श्री निहार लास्कर :**
डा० हेनरी ग्रास्टिन :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों की अवधि के दौरान बहुत बड़ी संख्या में जनदिवसों की हानि हुई ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संख्या अपने आप में एक रिकार्ड है ;

(ग) इनमें से कितने जनदिवसों की हानि केन्द्रीय अथवा राज्य क्षेत्र में हुई और कितने जनदिवसों की हानि सरकारी क्षेत्र में हुई ; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) से (ग) औद्योगिक विवादों के कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या संबंधी पूर्ण आंकड़े कई राज्य सरकारों से अभी प्राप्त होने हैं। जब तक ये रिपोर्टें प्राप्त नहीं हो जाती, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है।

तथापि, वर्ष 1974, 1975 और 1976 तथा 1977 (जनवरी-मई) के दौरान नष्ट हुए श्रम दिनों के उपलब्ध आंकड़ों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 782/77]

(घ) जहां आवश्यक है, समझौता कराने के लिए सरकार विवादों में हस्तक्षेप कर रही है सरकार औद्योगिक संबंधों के बारे में कानून में परिवर्तन करने का भी विचार कर रही है और इस। प्रयोजन के लिए सरकार ने त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है। आशा है कि यह समिति अपनी रिपोर्ट दो मास के अन्दर प्रस्तुत कर देगी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस विषय पर आवश्यक कानून बना सकेगी।

Closure of Keventer Dairy, Delhi

4277. **Shri R.L.P. Verma :**
Shri Ram Naresh Kushwaha :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the Keventer Dairy, New Delhi was closed down by the Birlas during the Emergency ; and

(b) if so, the reasons therefor and the number of persons rendered jobless thereby and the action, being taken to provide them alternative jobs ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) & (b) According to the information made available by the Delhi Administration, the firm which belongs to Dalmias and not Birlas closed down because of the reported difficulties experienced by the management in the procurement of milk. Number of workers rendered jobless was 145. Of these, 92 workers are reported to have settled their dues in full and final settlement of their claims 51 workers following the settlement signed on May 31, 1976 and another 41 following the settlement signed on August 31, 1976. According to the Delhi Administration, these settlements did not stipulate the provision of alternative jobs to the workers ; nor have the remaining workers made any representations to the Delhi Administration in this regard.

गुजरात के अंकलेश्वर औद्योगिक एस्टेट में टेलीफोन कनेक्शन

4278. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में अंकलेश्वर औद्योगिक एस्टेट में कितने टेलीफोन कनेक्शन लगे हुए हैं ;

(ख) कनेक्शन के लिए कितने आवेदन पत्र अभी विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ग) ये कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) अंकलेश्वर औदयोगिक एस्टेट में 15/7/77 को चालू टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 37 (सैंतीस) थी ।

(ख) 15/7/77 को अनिर्णीत अर्जियों की संख्या 19 (उन्नीस) थी ।

(ग) ये कनेक्शन चार महीनों के भीतर दे दिये जायेंगे ।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को अनुदान

4279. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड मजदूर संघवाद के तरीकों के सबंध में श्रमिकों को प्रशिक्षित कर रहा है ; और

(ख) क्या इस वर्ष उपरोक्त बोर्ड को कोई अनुदान दिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) जी हां ।

(ख) 1977–78 के बजट अनुदानों में 151.63 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इस में से सब तक बोर्ड को अनुदान के रूप में 71.25 रुपये की राशि दी गई है ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों को पेंशन और सामान्य भविष्य निधि की सुविधाएं

4280. **श्री अलगाम कोंडाला राव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यद्यपि पेंशन के लिये विकल्प देने वाले कर्मचारियों को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ दिया जाता है किन्तु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के उन कर्मचारियों को जो अंशदायी भविष्य निधि योजना के लिये विकल्प देते हैं मृत्यु-एवं सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ नहीं दिया जाता ।

(ग) इस सम्बन्ध में अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अंशदायी भविष्य निधि योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय के वे अन्य शैक्षिक संस्थान कौन-कौन से हैं जिनमें सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन योजना तथा अंशदायी भविष्य निधि एवं उपदान योजना दोनों ही हैं और जहां मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं दिया जाता जिन्होंने अंशदायी भविष्य निधि योजना के लिये विकल्प दिया जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बताया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा चलाई गई वर्तमान अंशदायी भविष्य निधि योजना के स्थान पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन एवं उपदान योजना लागू की गई है। नौकरी में आने वाले सभी नये कर्मचारियों के लिये केवल एक योजना अर्थात पेंशन एवं उपदान योजना अनिवार्य होगी। जहां तक वर्तमान कर्मचारियों का सम्बन्ध है उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि वह यदि चाहें तो अंशदायी भविष्य निधि योजना में रह सकते हैं अथवा पेंशन एवं उपदान योजना के अन्तर्गत आ सकते हैं। तथापि अंशदायी भविष्य निधि योजना के लिए विकल्प देने वाले कर्मचारी मृत्यु उपदान पाने के हकदार हैं यदि उनकी मृत्यु सेवाकाल में हो जाती है।

(घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

कर्नाटक में टेलीफोन विभाग का कार्यकरण

4281. **श्री के० लकप्पा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में डाक तथा तार विभाग तथा विशेषकर टेलीफोन विभाग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस विभाग को नया रूप देने पर विचार कर रही है ताकि वहां अधिक कुशलता के साथ काम किया जा सके ;

(ग) क्या लैटर बक्स में डाले गये पत्रों का वितरण बहुत विलम्ब से होता है तथा कुछ मामलों में उनका वितरण बिलकुल भी नहीं होता है ;

(घ) क्या कर्मचारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों का ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दिया जा रहा है और इन शिकायतों को केन्द्रीय विभाग को भेजा नहीं जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक राज्य से वहां की गई प्रत्येक शिकायत और उस पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मंगाने का विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। कर्नाटक राज्य में सामान्य रूप से डाक-तार विभाग और विशेष रूप से टेलीफोन विभाग अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

कार्य-कुशलता बनाये रखने के लिये सेवा के कार्यचालन पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और खराबियां दूर करने के लिये तत्काल उपाय किये जाते हैं।

(ग) जी नहीं। पत्रों के वितरण की व्यवस्था सन्तोषजनक है।

(घ) और (ङ). सभी शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। कर्नाटक के डाक और दूर संचार सर्किलों के अध्यक्ष अनिर्णीत शिकायतों की आवधिक जांच करते हैं।

डाक-तार महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक सर्किल में किये जाने वाले शिकायत सम्बन्धी कार्य के बारे में आवधिक रिपोर्ट मंगाई जाती है और उनका सुव्यवस्थित पुनरीक्षण किया जाता है।

आंध्रप्रदेश में डाकघर खोलना

4282. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश के ग्रामों में सरकार का और डाकघर खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितने डाकघर खोले जाएंगे तथा प्रत्येक ग्राम में कब तक एक डाकघर खोल दिया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 155.

आन्ध्र प्रदेश में सभी गांवों में डाकघरों की व्यवस्था करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मालंजखण्ड में तांबे की खानें

4283. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मालंजखण्ड की तांबे की खानों का विकास करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वाणिज्यिक उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए बनाए गये चरणबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजूपटनायक) : (क) सरकार ने मालंजखण्ड तांम्र परियोजना को मंजूरी दे दी है जिसमें पुरी क्षमता पर 20 लाख टन अयस्क उत्पादन का लक्ष्य है । हिन्दुस्तान कापर लि० ने आधारभूत सुविधाओं के विकास, उपकरणों की प्राप्ति तथा आवासी भवनों आदि के निर्माण संबंधी प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया है ।

(ख) मालंजखण्ड में वाणिज्यिक उत्पादन 1981 की अन्तिम तिमाही में शुरू किये जाने का कार्यक्रम है । परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चरण-वार कार्यक्रम का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. खान पर निर्माण-पूर्व काम पूर्णता	अक्टूबर 1978 तक
2. खान निर्माण तथा 10 लाख टन क्षमता वाले एक समान सांद्रक संयंत्र की रचना	प्रारम्भिक काम पूरा होने के 3 साल बाद सितम्बर, 1981 तक
3. खान और सान्द्रक की क्षमता का 20 लाख टन/वार्षिक तक विस्तार	सितम्बर, 1983 तक

Reduction of seat in Jamnagar Medical College and Ahmedabad Medical College Gujrat

4284. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether 50 seats each have been reduced in the Jamnagar Medical College and Ahmedabad Medical College in Gujarat ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether representations have been received against reduction of the seats in these colleges; and if so, from whom and when; and

(c) the action taken or proposed to be taken by the Union Government in this regard?

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) The Medical Council of India is a statutory body which determines the norms and standards expected of a medical College. On the basis of inspection of the facilities for teaching provided at B. J. Medical College, Ahmedabad and M.P. Shah Medical College, Jamnagar and on the basis of the findings and recommendations of the Council's Inspectors, the Medical Council of India recommended that the number of admissions at B.J. Medical College, Ahmedabad may be reduced from 210 to 150 and at M.G. Shah Medical College Jamnagar from 175 to 125. The reduced number of seats would be commensurate with the facilities available in these medical colleges according to the standards and norms laid down by the Medical Council of India.

(b) and (c) Representations werre received from the Government of Gujarat with regard to the restoration of seats at B.J. Medical College, Ahmedabad only. These have been considered by the Medical Council of India who have agreed that the number of admissions for 1977-78 may be 185.

बिहार में डाकघर, उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य

4285. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976–77 में बिहार में नए डाकघर और उप-डाकघर खोलने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाकियों के साइकिल भत्ते में वृद्धि

4286. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डाकियों को साइकिल के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि आवश्यकता से बहुत कम है ;

(ख) क्या सरकार का विचार साइकिल भत्ते में वृद्धि करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी।

संचार मन्त्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) साइकिल भत्ते की मंजूरी सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों के आधार पर दी जाती है। ये आदेश केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। डाक-तार विभाग में पोस्टमैन काडर के लिए अलग से कोई आदेश नहीं हैं और साइकिल भत्ते के रूप में व हर महीने 6 रुपये पा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को भी इसी दर से साइकिल भत्ता मिलता है। मौजूदा भत्ता अपर्याप्त नहीं समझा गया है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

लोहे की बिक्री के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा गैर-सरकारी एजेन्सियों का नियुक्त किया जाना

4287. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को लोहे की बिक्री तथा

वितरण के लिये गैर-सरकारी एजेंसियां नियुक्त की हैं और इस उद्देश्य के लिये लौह 'डाकयार्ड' खो ले हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश पर्यन्त ऐसी कितनी और कौन-कौन सी एजेंसियां हैं, एजेन्सी नियुक्ति के लिये क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ;

(ग) क्या सरकार को पंजाब में बटाला स्थित एजेन्सी द्वारा लोहे का 'स्टाक' जमा करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(घ) क्या भूतपूर्व सरकार ने इन एजेंसियों के वितरण द्वारा राजनैतिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया है ; और

(ङ) एजेन्सी ने बटाला में अपने आरम्भ से अब तक वर्षवार कितना रुपया कमाया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा नियुक्त किए गए हैंडलिंग तथा स्टोरेज एजेंटों के नाम तथा पते संलग्न सूची में दिए गए हैं। इन एजेंटों को नियुक्त करते समय निम्नलिखित सामान्य मानदण्डों को ध्यान में रखा गया है।

(1) पार्टी की ख्याति

(2) पार्टी की वित्तीय स्थिति

(3) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के साथ पार्टी का लेन-देन

(4) पार्टी का अनुभव तथा साधन सम्पन्नता

(5) चौकी तुला (कांटा) क्रेनों आदि जैसे उपस्करों की उपलब्धि

(6) भूमि की उपयुक्तता, रेलवे साइडिंग तथा सड़क परिवहन की सुविधा

(7) जमानत के रूप में धनराशि/गारंटी आदि

(8) पार्टी द्वारा मांगा गया पारिश्रमिक ।

(ग) जी हां।

(घ) बटाला के बारे में इस शिकायत पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) बटाला के एजेंट को नवम्बर, 1974 में नियुक्त किया गया था। शुरु से लेकर उसको दिये गये पारिश्रमिक के वर्षवार आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

अवधि	दिया गया माल	दिय गया पारिश्रमिक
	टन	रुपये
1974–75 . . .	11,188	3,63,136.84
1975–76 .	43,623	16,32,272.66
1976–77 . . .	62,342	9,62,286.35
1977–78 (जून 1977 तक) . .	17,528	3,82,193.04

विवरण

हिन्दुस्तान स्टील लि० द्वारा नियुक्त किये गए हैंडलिग तथा स्टोरेज ठेकेदारों के नाम तथा भत्ते

कलकत्ता क्षेत्र

कलकत्ता

1. मेसर्स आदित्य आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, संतोषपुर, कलकत्ता ।
2. मेसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा (प्रा०) लि०, के० पी० डाक्स, पहाड़पुर, कलकत्ता ।
3. मेसर्स टाटा स्कीब डीलर्स एसोसिएशन, शिबपुरचार, शालीमार, हावड़ा ।
4. मेसर्स फिरोजी संस, शिबपुरचार, शालीमार, हावड़ा ।
5. मेसर्स टी० डी० कुमार एण्ड ब्रदर्स, शिबपुरचार, शालीमार, हावड़ा ।
6. मेसर्स पिग आयरन सप्लाइंग सिंडीकेट (प्रा०) लि०, शालीमार, हावड़ा ।
7. मेसर्स सूरजमल बैजनाथ, शालीमार, हावड़ा ।

गोहाटी

8. मेसर्स अशोक इन्डस्ट्रीज, तिनसुखिया ।

उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र

कानपुर

9. मेसर्स सिंह इन्जीनियरिंग वर्क्स, कानपुर ।
10. मेसर्स यू० पी० स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, लि०, कानपुर ।

भिलाई

11. मेसर्स एम० एस० एस० आई० डी० सी०, निकट शक्ति आफसेट, वर्धा रोड, नागपुर ।

पश्चिम क्षेत्र

बम्बई

12. मेसर्स एम० एस० आई० डी० सी०, मैंगनीज ओर डिपो, बी० पी० टी० रेलवे, बम्बई ।
13. मेसर्स नथानी हैंडलिंग एण्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी, नथानी स्टील यार्ड बिल्डिंग, बम्बई ।
14. मेसर्स वेस्टर्न मिनी स्टील यार्ड, मुलन्द, बम्बई ।
15. मेसर्स क्रीसेन्ट इन्टरप्राइजिज, कुरला, बम्बई ।
16. मेसर्स गुप्ता ट्यूब्स एण्ड पाइप्स (प्रा०) लि०, एम० बासनजी रोड, बम्बई ।
17. मेसर्स शाह आयरन एण्ड स्टील कं०, बम्बई ।
18. मेसर्स अमृत स्टील लि०, थाना ।

21. मेसर्स राठी मिनी स्टील लि०, थाना ।

20. मेसर्स पी० बी० शराफ, पुणे गुड्स यार्ड्स, पुणे ।

अहमदाबाद

21. मेसर्स जी० एस० एस० आई० सी०, शोड़े, सं० ए०/5/6,गोरबा इंडस्ट्रीअल एस्टेट, बड़ौदा।

उत्तरी क्षेत्र

गाजियाबाद

22. मेसर्स अमृत स्टील लि०, अमृत नगर, गाजियाबाद/आगरा।

23. मेसर्स यू० पी० सी० आई० सी० लिमिटेड, हाथरस रोड, आगरा–6 ।

जयपुर

24. मेसर्स राजस्थान एस० आई० सी० लिमिटेड, कोटा।

उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र

जालन्धर

25. मेसर्स पंजाब स्टील कारपोरेशन, बटाला।

26. पंजाब एस० आई० सी० लिमिटेड, फोकल प्वाइंट, धनधरी कलां,इन्डस्ट्रीअल एरिया 'बी', लुधियाना।

27. मेसर्स सहावर स्टील ट्रेडिंग कम्पनी, मंडी गोबिन्दगढ़।

28. मेसर्स पंजाब एस० आई० सी०, मंडी गोविन्दगढ़।

श्रीनगर

29. मेसर्स काश्मीर रोलिंग मिल्स, करनाल रोड, शक्ति नगर, जम्मू।

दक्षिण क्षेत्र

मद्रास

30. मेसर्स इंडिया कम्पनी (प्रा०) लि०, कोरुकूपट, मद्रास।

सिकन्दराबाद

31. मेसर्स रवि मशीनरीज, लक्ष्मी नगर, विजयवाड़ा–II

बंगलौर

32. मेसर्स आर० कुप्पुस्वामी, बंगलौर।

33. मेसर्स विट्ठल बलवन्त हीरवरधर, रविवरपेंठ, बेलगाम–2

कोयम्बतूर

34. मेसर्स इंडिया कं० लि०, त्रिचुरापल्ली।

प्रेषित–अभिकर्त्ताओं की कुल संख्या––34.

लिसोथो को सहायता

4288. श्री पी० के० कोडियन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने सर्वसम्मति से दक्षिण अफ्रीका के बनाये गये जातीय क्षेत्र ट्रांसकी की स्वाधीनता को मान्यता देने के लिये दक्षिण अफ्रीका के किसी दबाव का

मुकाबला करने के लिये लिसोथो को 10 करोड़ 80 लाख डालर की सहायता देने के लिये सदस्य देशों को सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत ने कितनी सहायता दी है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां। परन्तु यह राशि 11 करोड़ 30 लाख डालर है।

(ख) जून, 1977 में लन्दन में राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में हमने यह घोषणा की थी कि इस विशेष निधि में पण्य तथा भारत से सेवाओं के रूप में 10 लाख रुपये मूल्य की राशि का योगदान हम देंगे।

क्षेत्रीय सागर

4289. **श्री के० प्रधानी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 24 जून, 1977 को समुद्री विधि संबंधी सम्मेलन में वचनबद्ध न होते हुए यह वक्तव्य दिया था कि बंगलादेश का बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागमें अपनी 'आधार लाइन' का सीमा निर्धारण के प्रस्ताव का उदारता के साथ पुनरीक्षण किया जायेगा;

(ख) क्या बंगलादेश ने क्षेत्रीय सागर के मामलों में विचार करने वाली समिति में होने वाली चर्चा में अपने प्रस्ताव के समर्थन के लिए इस्लामी देशों से भी कहा था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख) और (ग). 23 जून, 1977 को समुद्र कानून सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि ने बंगलादेश के इस प्रस्ताव पर एक वक्तव्य दिया था कि विशेष परिस्थितियों में ऐसी सीधी रेखाएं खींची जायें जो समुद्र में उनके तट के समीपवर्ती बिन्दुओं को जोड़ती हों। भारतीय प्रतिनिधि ने अपने वक्तव्य में कहा कि समुद्री सीमाएं निर्धारित करने में और प्रादेशिक समुद्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा महाद्वीपीय शेल्फ जैसे राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों की सीमाओं को नापने में ऐसी कोई आधार रेखाएं नहीं खींची जानी चाहिएं।

कई देश जिनमें कुछ मुस्लिम देश भी शामिल हैं, बंगलादेश के प्रस्ताव के समर्थन में बोले।

बल्लभगढ़ टेलीफोन केन्द्र का विस्तार

4290. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत बल्लभगढ़ टेलीफोन केन्द्र का विस्तार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) क्या सरकार बल्लभगढ़, बदरपुर और फरीदाबाद टेलीफोन केन्द्रों को मिलाकर एक केन्द्र प्रणाली बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है, यदि हां, तो इसके लिए क्या निश्चित समय निर्धारित किया गया है और अब तक इस मामले में कितनी प्रगति हुई है?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) बल्लभगढ़ के मौजूदा 500 लाइनों के एक्सचेंज को बदल कर वहां 1500 लाइनों का एक मुख्य आटोमेटिक एक्सचेंज खोलने की योजना पर कार्रवाई चल रही है। नये एक्सचेंज के लिए इमारत बनवाने के निमित्त अप्रैल, 1977 में जमीन ले ली गई है। इमारत का नक्शा बनाया जा रहा है। इमारत के निर्माण का कार्य जब प्रगति पर हो उस

समय की जरूरतों के मुताबिक ग्राटो एक्सचेंज उपस्कर की सप्लाई के लिए इसकी व्यवस्था की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

चासनाला कोयला खान में सुरक्षा विनियमों का पालन न किया जिससे दुर्घटना हुई

4291. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान सुरक्षा के महानिदेशक ने 27 दिसम्बर, 1975 को घटी चासनाला दुर्घटना के बारे में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रबन्धकों के अनुरोध के बिना उक्त क्षेत्र, जहां दुर्घटना हुई, में सुरक्षा विनियमों के कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों का पालन नहीं किया था;

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा विनियमों के महत्वपूर्ण उपबन्धों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या खान सुरक्षा प्रबन्ध महानिदेशक के कार्यालय के अधिकारियों को पानी के पुराने जमाव के विस्तार के बारे में जिसके कारण दुर्घटना हुई पता था अथवा उन्होंने इस बारे में उचित जानकारी न रखने में लापरवाही बरती; और

(घ) ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) चासनाला कोयला खान में 27–12–75 को हुई दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों की जांच करने के लिए नियुक्त जांच न्यायालय की रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि जिस क्षेत्र में यह दुर्घटना घटित हुई, उसमें खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने विनियमों के महत्वपूर्ण उपबन्धों का कोई अधित्याग किया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस जांच न्यायालय ने खान सुरक्षा महानिदेशालय के किन्हीं भी अधिकारियों को लापरवाही बरतने या पुरानी जलमग्न खानों के प्रसारणों (एक्सटेंशनों) की जानकारी न रखने के कारण जिम्मेदार नहीं ठहराया है।

(घ) जांच न्यायालय ने इस आशय की टिप्पणी की है कि 27–12–75 को चासनाला खान में हुई दुर्घटना के बारे में अवश्य ही यह माना जाना चाहिए कि वह खान प्रबन्धकों के कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई थी।

बिजली की कटौती से प्रभावग्रस्त एल्यूमिनियम उद्योग

4292. **श्री के० ए० राजन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में बिजली की भारी कटौती से एल्यूमिनियम कारखानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो बढ़े उदयोगों को बिजली की कितनी कटौती की गई और उसके उत्पादन में कितना हानि होने का अनुमान है ; और

(ग) इन कारखानों को बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या तुरन्त उपाय किये जा रहे है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) जी हां ।

(ख) हाल के महीनों में राज्य विदयुत बोर्डों द्वारा एल्यूमिनियम प्रद्रावकों पर लगाई गई अधिकतम बिजली कटौतियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

प्रद्रावक का स्थान	मंजूर बिजली पर प्रतिशत कटौती
(1) बेलगांव (कर्नाटक)	50%
(2) रेणुकूट (उत्तर प्रदेश)	90%
(3) मैंटूर (तमिलनाडु)	50%

इन कटौतियों के फलस्वरूप, अप्रैल–जून, 1977 के दौरान एल्यूमिनियम के उत्पादन में लगभग 6000 टन की हानि हुई है ।

(ग) सरकार ने इस (एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए विदयुत उपलब्धि बढ़ाने) में संबंधित राज्य सरकारों/विदयुत बोर्डों से बातचीत की है ।

इस्पात का धारण मूल्य

4293. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के धारण मूल्य का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ग) जिन फर्मों में इस्पात के अधिक मूल्य धारण की मांग की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात के प्रतिधारण मूल्य से विक्रय मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिधारण मूल्य उत्पादन लागत, पूंजी निवेश पर उचित प्रत्याय आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। विक्रय-मूल्य तथा प्रतिधारण मूल्य का अन्तर कारखानावार जमा कर दिया जाता है और सम्बन्धित कारखाना पूंजीगत योजनाओं पर खर्च करने के लिए इस राशि में से निकाल सकता है ;

(ग) सभी मुख्य इस्पात कारखाने प्रतिधारण मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे है।

रक्त दान करने वाले व्यक्तियों को भुगतान

4294. **श्री बसन्त साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति 300 सी० सी० बोतल रक्त दान करने वाले व्यक्तियों को किए जाने वाले भुगतान की दरों में बहुत अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इस भुगतान की विद्यमान विस्तृत दरें क्या है ;

(ग) भुगतान की दरों में भारी अन्तर होने के क्या कारण है ; और

(घ) क्या रक्त आधान केन्द्रों में होने वाले विभिन्न कदाचार सरकार के ध्यान में आए है तथा रक्त दान करने वाले व्यक्तियों के साथ न्याय कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना

4295. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का उल्लंघन करके कि दो मिल फर्मों को दो पृथक पृथक ठेकें दिए जाए एक माईनिंग कम्पलेक्स के इंजीनियरी कार्य के लिए तथा दूसरी पाइप लाइन बिछाने के लिए, भूतपूर्व सरकार ने कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के निर्माण के लिए समस्त ठेका कनाडा की पैटाकैम नामक फर्म को ही दे दिया ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या है ;

(ग) क्या इस निर्माण कार्य में बैट चैल नामक अमरीकी फर्म की कनाडा की फर्म सहायता कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो करार की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) पाइप लाइन को माइन कम्पलैक्स से अलग करने और इन कार्यों के लिए अलग-अलग ठेके देने का कभी कोई प्रस्ताव नहीं था। आरम्भ में यह विचार था कि खान योजनाएं तैयार करने, मूल प्रक्रिया फ्लो शीट तैयार करने, खनन उपकरण आदि चुनने के लिए एक खनन सहयोगी की नियुक्ति की जाय और रूपांकन इंजीनियरी तथा निर्माण कार्य के लिए अलग से एक इंजीनियर निर्माता नियुक्त किया जाय। तदनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। कनाडा के मेट-केम ने अन्य बातों के साथ-साथ दोनों सेवाओं के लिए निविदाए दी थीं। प्राप्त हुई निविदाओं पर सावधानी से विचार करने और एक अन्तर-मंत्रालय वार्ता समिति द्वारा निविदाकर्त्ताओं के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात फैसला किया गया था कि समिति की इस सर्वसम्मत सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाये कि कनाडा के मेट-केम मे-केम की समष्टिक पेशकश को देखते हुए उन्हें इस प्रायोजना के लिए खनन सहयोगी तथा इंजीनियर निर्माता नियुक्त किया जाए। सबसे सस्ती पेशकश होने के अलावा इस पेशकश में कार्य समय पर पूरा करने, सन्तोषजनक कार्यकरण और अन्तरानीक समस्याओं को दूर करने की भी गारन्टी है।

(ग) जी, हां।

(घ) स्लरी पाइप लाइन प्रायोजना का एक अभिन्न अंग है और इसका इंजीनियरी और निर्माण कार्य कनाडा की मेंट-केम के कार्य-क्षेत्र में आता है। आशय-पत्र में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार मेट-केम ने स्लरी पाइप लाइन के मूल डिजाइन और इंजीनियरी कार्यों के लिए बेचटेल कारपोरेशन को अपना उप-ठेकेदार नियुक्त किया है। मेट-केम अपनी फीस में से बेच-टेल कारपोरेशन को उनके कार्य के लिये फीस देगी। स्लरी पाइपलाइन का विस्तृत इन्जीनियरी और निर्माण कार्य, विदेशी सलाहकारों के पर्यवेक्षण में उपर्युक्त भारतीय अभि-करणों द्वारा किया जाएगा।

Reconstitution of Telephone Advisory Committee of U.P.

†4296. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to re-constitute the Telephone Advisory Committee of Uttar Pradesh ;

(b) if so, the time by which it is likely to be done and the areas representatives of which will be given representation in it ;

(c) whether it is also proposed to set up a separate Committee of the Members of Parliament from the State on Posts and Telegraphs and Telephone ; and

(d) if so, the action taken in this regard so far ?

Minister of Communications

Shri Brij Lal Verma : (a) The reconstitution of Telephone Advisory Committee are being considered.

(b) Action has been initiated to obtain proposals from various interests for nominations on these committees. These Committees will be set up shortly.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Mobile Health care Unit for Villages

4297. **Shri Subhash Ahuja** :
Shri Yagya Datt Sharma :

Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide mobile health care units in remote villages ; and

(b) if so the details in this regard ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) (a) & (b) : A proposal to provide mobile clinics through Medical Colleges is being considered. However some mobile health units and mobile hospitals are functioning in various parts of the country under the State Plan Schemes.

किरीबुरू से उपडाकघर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

4298. **श्री गोविपा मुंडा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरीबुरू से उपडाकघर को किसी अन्य स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Post Offices in Madhya Pradesh

*4299. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Post Offices in Madhya Pradesh, at present ; and

(b) the average numbei of post offices after every 100 kilometres in Madhya Pradesh at present and the names of those three districts there which are the most backward districts from this point of view ?

Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) 7090

(b) 1.61 Post Offices for every 100 sq. kilometres.

The three Districts are :

Bastar, Jhabua and Raipur.

महाराष्ट्र में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पृथककरण

4300. **श्री एस० एच० नायक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में पंचायत समिति के प्रत्येक ब्लाक में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दो केन्द्रों में पृथक करने का कोई प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग में विचाराधीन है ;

(ख) इसकी मंजूरी देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसको मंजूरी कब तक दी जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

बीड़ी एककों का बन्द होना

4301. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी पर उत्पादन शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप कुछ बीड़ी एकक बन्द हो गए है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरुप कितने मजदूर बेरोजगार हो गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Opening of Divisional Posts and Telegraphs Office at Madhubani

*4302. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Communications** be pleased to State :

(a) whether there is no divisional office of the Psots and Telegraphs Department in Madhubani district in Bihar State as a result of which the employees there are facing great difficulties ;

(b) whether Darbhanga-Madhubani-Samastipur constituted a single district previously but these have been separate districts now whereas the divisional office is in Darbhanga only ; and

(c) whether Government propose to open a divisional office in Madhubani, if so, by what time it would be opened and if not, the reasons therefor?

Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma): (a) There is no separate Postal Divisional office at Madhubani. Postal facilities for Madhubani district are controlled and administrared by Darbhanga Postal Division and no complaint from the staff has been received in this regard.

(b) In 1973, Darbhanga Postal Division which then comprised of Darbhanga, Madhubani and Samastipur revenue district was bifurcated and a separate division was created at Samastipur.

(c) A separate Postal Division at Madhubani is not justified on the basis of the workload at present.

पश्चिमी बंगाल में विभागेतर डाकघर

4303. **श्री गदाधर साहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में, जिलावार कितने विभागेतर डाकघर है ;

(ख) कितने विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा विभागीय डाकधर के रूप में बढ़ाया गया है ; और

(ग) विभागेतर से विभागीय डाकघर का दर्जा देने की क्या शर्तें हैं।

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जिलेवार सूचना संलग्न विवरण पत्र में दे दी गई है ।

(ख) 1-4-74 से 31-3-77 की अवधि में सत्तर विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय डाकधर बनाया गया था ।

(ग) विभागेतर डाकघरों का नीचे लिखी स्थितियों में दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप डाकघर बनाया जाता है :—

(i) यदि प्रस्तावित डाकघर के मूल उप डाकघर का 20 से अधिक शाखा डाकघरों से लेखा संबंध हो और उसके उप लेखा कार्य का विकेन्द्रीयकरण करना आवश्यक हो ।

या

(ii) प्रस्तावित विभागेतर डाकघर में ही रोजाना कम से कम 5 घटे का कार्यभार हो ।

विवरण

पश्चिम बंगाल के देहाती इलाकों में काम कर रहे विभागेतर डाकघरों की जिलेवार संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र :—

जिले का नाम	विभागेतर डाकघरों की संख्या
1. बर्दवान	511
2. वीरभूम	325
3. बांकुड़ा	341
4. दार्जिलिंग	55
5. कूच बिहार	152
6. हुगली	351

जिले का नाम	विभागेतर डाकघरों की संख्या
7. हावड़ा	223
8. जलपाईगुड़ी	202
9. मालदा	210
10. मिदनापुर	977
11. मुर्शिदाबाद	407
12. नदियां	282
13. पुरुलिया	264
14. पश्चिम दीनाजपुर	235
15. 24 परगना	806
योग	5341

Unsuccessful Sterilization Operations

4304. **Shri Ram Naresh Kushwaha** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the number of complaints received by Government regarding sterilization operations made during emergency which proved to be unsuccessful ; and

(b) the amount of financial assistanc provided so far to the male female victims of unsuccessful operations, separately ?

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) A very large number of complaints have been received in this Ministry about Family Welfare Programme and the same are being scrutinised subjectwise. It is not possible to give the number of unsuccessful cases of sterilisation till all the letters are scrutinised.

(b) There is no provision of providing financial assistance in case of unsuccessful complicated operations. However, for such cases medical facilities are given for which the Govt. bears all the expenses.

चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के लिये चयन की पद्धति

*4305. **श्री बेणुगोपाल गोडर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिपमेर, ग्राल इंडिया इंस्टीट्यूट ग्राफ मेडिकल साइन्सिज, पोस्ट ग्रेज्यूएट इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ ग्रादि जैसी चिकित्सा संस्थानों में विद्यार्थियों के चयन की पद्धति क्या है ;

(ख) जिस राज्य में ये संस्थान स्थित हैं, उसके राज्य के उम्मीदवारों के लिये कितने स्थान ग्रारक्षित रखे जाते हैं ;

(ग) पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये कितने स्थान ग्रारक्षित रखे जाते हैं ;

(घ) उक्त संबंध संस्थानों के कर्मचारियों का परीक्षा ग्रायोजित करने जैसे, परीक्षा-पत्र बनाने, ग्रंक निर्धारण तथा ग्रन्य निर्धारणों के मामलों में कितना योगदान होता है ; ग्रौर

(ङ) क्या ग्रधिकारी विश्वविद्यालय में लिखित ग्रौर मौखिक परीक्षा में सफल होने वाले सब उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त ग्रंक प्रकाशित करते हैं जिससे कदाचार को रोका जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है :—

विवरण

जवहारलाल सनातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़
1	2	3
(क) अखिल भारतीय स्तर पर ली गई प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाता है।	(क) इसमें प्रवेश प्रतियोगियता प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर दिया जाता है।	(क) स्नातकोतर पाठ्यक्रमों के लिए सभी चयन अखिल भारतीय आधार पर मैरिट के अनुसार किया जाता है स्नातकोत्तर संस्थान में कोई एम० बी० बी० एस० पाठ्वक्रम नहीं है ।
(ख) और (ग) एम० बी० बी० एस० के 65 सीटों में से जो 15 सीटें राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित हैं, वे इस प्रकार हैं :— पाडिचेरी समान्य—11 पांडिचेरी अनुसूचित जाति —3 पांडिचेरी अनुसूचित जन जाति—1	(ख) किसी भी राज्य या संघ शासति क्षेत्र के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं हैं जिसमें दिल्ली भी शामिल है, जहां यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। (ग) एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कुल स्थानों के 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आरक्षित हैं । स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुल सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें जिन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं वे ऐसे हों जिन्होंने 2 वर्षों से अधिक अवधि तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया हो, जो पिछड़े क्षेत्रों के चिकित्सा स्नातक हों, जो अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र हों और जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य कररहे हों ।	(ख) जिन राज्यों में यह संस्थान स्थित हैं उन राज्यों के छात्रों के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं रखा गया है । (ग) पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं है । तथापि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षण किया गया है ।

1	2	3
(घ) परीक्षा-पत्र बनाने, अंक निर्धारित करने तथा मूल्यांकन करने में संस्थान का कोई योगदान नहीं होता है।	(घ) एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा पत्र बनाने तथा अंक निर्धारित करने का काम भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा किया जाता है । स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में परीक्षा-पत्र बनाने, अंक निर्धारित करने तथा क्लीनिकी मूल्यांकन करने का कार्य सम्बंधित विभागों के शिक्षक वर्ग द्वारा किया जाता है । शिक्षक वर्ग द्वारा मूल्यांकन करने के बाद छात्रों का अंत में उस चयन समिति द्वारा साक्षात्कार किया जाता है जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं : निदेशक, डीन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि, सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष तथा सम्बद्ध विशिष्ट विषयों का एक वरिष्ठ शिक्षक ।	(घ) स्टाफ छात्रों की परीक्षा लेने और मूल्यांकन करने का काम करता है ।
(ङ) छात्रों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को प्रकाशित नहीं किया जाता परन्तु चयन किये गये छात्रों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाती है और चुने गए छात्रों को तत्काल सूचित किया जाता है ।	(ङ) यह संस्थान सफल या अन्य छात्रों द्वारा लिखित या मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को न तो प्रकाशित करता है और न ही अधिसूचित करता है ।	(ङ) सभी छात्रों ने चाहे वे सफल हों या असफल, लिखित तथा प्रैक्टिकल/क्लीनकल परीक्षा में जितने अंक प्राप्त किये होते हैं, उन्हें नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता ।

चापाखरोवा-साडिया के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन

4306. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० ई० टी० डिब्रूगढ़, आसम के अधीन चापाखरोवा-साडिया के टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने टेलीफोन के लिए धनराशि बहुत पहिले से जमा करा रखी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें टेलीफोन के कनेक्शन दे दिए गए हैं ;

यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार का उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन देने का विचार है ?

संचार मंत्री (बृज लाल वर्मा) :(क) जी नहीं। 25 प्रत्याशित उपभोक्ताओं में से अभी तक केवल दो आवेदकों ने अग्रिम जमा की रकम का भुगतान किया है।

(ख), (ग) और (घ) टेलीफोन कनेक्शन तभी दिए जा सकते हैं जब उस स्थान पर टेलीफोन एसचेंज खुल जाये। एक्सचेंज का खोला जाना इस बात पर निर्भर करता है कि टेलीफोन की पर्याप्त मांगें दर्ज कराई जायं जिससे कि यह परियोजना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो सके।

व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए नये केन्द्र

4307. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या **संसदीय-कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1977–78 में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए नये केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की सख्या कितनी होगी और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) कितने प्रशिक्षणार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा?

संसदीय-कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग). व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए केन्द्र खोलना अब संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है। तथापि दस्तकार प्रशिक्षण योजना से सम्बधित राज्य निदेशकों को सम्बोधित किया गया था तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना सलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रमांक राज्य/संघ-शासित क्षेत्र का नाम	क्या सरकार का 1977–78 के दौरान नये केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है	प्रस्तावित केन्द्र खोले जाने वालों की संख्या तथा जहां खोले जाने हैं	उन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा
	(क)	(ख)	(ग)
1. आन्ध्र प्रदेश	नहीं	—	—
2. असम	हां	कबायली उपयोजना के अन्तर्गत एक धीमाजी में	156
3. बिहार . .	नहीं	—	—

(क)		(ख)	(ग)
4. गुजरात	. हां	एक आहवा में (जिला डान्ग्रद्वस)	76
5. हरियाणा	. नहीं	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	. नहीं	—	—
7. जम्मू-व-काश्मीर	. नहीं	—	—
8. कर्नाटक .	. हां	एक लिंगाश्सूगर (जिला रायचूर)	32
9. केरल	. हां	2. एक कटटाप्पना (इदुक्की) में तथा एक महिलाओं के लिए त्रिवेन्द्रम में	120 तथा 144
10. महाराष्ट्र	. हां	4. कबायली क्षेत्रों शहादा (घुले अम्बेगांव) (पूणे) गड-चिरोली (चन्द्रापुर) तथा किनवटन (नांदे जिला) में	प्रत्येक केन्द्र में 100
11. मध्य प्रदेश	. हां	भोपाल में महिलाओं के लिए एक ओ० प्र० स०	80
12. मणिपुर .	. हां	दो (क) नुंगबा (पश्चिम जिला) में (ख) हेंगलेप (दक्षिण जिला) में	24
13. मेघालय .	. नहीं	—	—
14. नागालैंड	. नहीं	—	—
15. उड़ीसा .	. नहीं	—	—
16. पंजाब	. नहीं	—	—
17. राजस्थान	. नहीं	—	—
18. तमिलनाडु	नहीं	—	—
19. त्रिपुरा .	. नहीं	—	—
20. उत्तर प्रदेश	. हां	ŧ उन्नाव में एक 1977 में गाजियाबाद में शुरू करने के लिए पहले ही स्वीकृत किया गया है।	120 148
21. पश्चिम बंगाल	. नहीं	—	—

(क)		(ख)	(ग)
22. अरुणाचल प्रदेश .	हां	आठ पनगिन तथा तेजू पासीघाट सियांग जिले में, रोइंग तथा तेजू लोहित जिले में, इटानगर तथा नाचो सुबनसिरी जिले में ददम तथा मोपाखाट तिरप जिले में ।	56
23. अण्डेमान निकोबार*			
24. चण्डीगढ़ .	नहीं	—	—
25. दादर नगर हवेली*			
26. दिल्ली . .	हां	दो (1) खिचड़ीपुर (त्रिलोकपुर)	192
		(2) नन्द नगरी	192
27. गोवा दमन व दीव	नहीं	—	—
28. लक्षद्वीप* .			
29. मिजोरम .	नहीं	—	—
30. पाण्डिचेरी .	नहीं	—	—

*'सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

बोकारो स्टील लिमिटेड में प्रशिक्षुओं द्वारा भूख हड़ताल

4308. **डा० रामजी सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो में लगभग 400 प्रशिक्षुओं ने 4 जुलाई, 1977 से सामूहिक भूख हड़ताल की थी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो में शिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत रखे गये शिक्षुओं ने अपनी मांगों के अनुसरण में 4 जून, 1977 से बारी-बारी से अनशन (रिले फास्ट) शुरू किया था। शिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत रखे गये पांच शिक्षुओं ने 5 जुलाई, 1977 से अनिश्चित काल के लिए अनशन शुरू कर दिया था। बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबन्धकों और शिक्षुओं के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के फलस्वरूप 10 जुलाई, 1977 को समझौता हो गया है। शिक्षुओं ने अब अपना आन्दोलन वापिस ले लिया है और भूख हड़ताल समाप्त कर दी है ।

फिजर लिमिटेड (बम्बई) द्वारा तालाबन्दी

4309. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
डा० बसन्त कुमार पंडित :

क्या **संसदीय-कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजर लिमिटेड (बम्बई) ने 18 जुलाई, 1977 से थाना-बलालूर रोड (बम्बई) स्थित अपने कारखाने में तालाबन्दी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों तथा श्रमिकों में विवाद के मुख्य मुद्दे क्या हैं; और

(ग) सरकार ने तालाबन्दी की स्थिति रोकने के लिए क्या प्रयास किये हैं या किये जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय-कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग). यह मामला मूल रूप से राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, श्रमिकों द्वारा किये गये आन्दोलन और कच्चे माल ढोने वाले ट्रकों के बीच डाली गई अभिकथित बाधा के बाद प्रबन्धकों ने 18 जुलाई, 1977 से तालाबन्दी का नोटिस दे दिया था। जैसा कि बताया गया है, मुख्य विवादग्रस्त मामला अस्थायी श्रमिकों को स्थायी आधार पर खपाने के सम्बन्ध में है। राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र इस मामले की जांच कर रहा है, और उसने मामले को तय करने के प्रयास के रूप में पक्षों से पहले ही कई बार विचार-विमर्श किया है।

लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस्पात

4310. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने में इस्पात संयंत्रों ने क्या सही भूमिका निभायी है;

(ख) प्रत्येक संयंत्र के आस-पास कितने लघु उद्योग स्थापित हुए हैं तथा वे क्या उत्पादन कर रहे हैं तथा उनके वार्षिक उत्पादन का मूल्य कितना है;

(ग) लघु उद्योगों का विस्तार करने का जो विचार किया गया है उसके लिये पुराने तथा नये प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों की क्या भूमिका निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस सम्बन्ध में योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ग) और (घ). इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाये हैं उदाहरणार्थ उनके द्वारा निर्मित की जा सकने वाली मदों के लिए आर्डर देना, तकनीकी जानकारी देना तथा मार्गदर्शन करना, कच्चे माल का प्रबन्ध करना अथवा उसकी प्राप्ति में सहायता करना, परीक्षण तथा प्रयोगशाला सुविधाओं की व्यवस्था करना, नियमित रूप से समीक्षा करना तथा ऐसी मदें नियत करना जिनका काम लघु उद्योगों को दिया जा सकता है, आदि-आदि। इस नीति को जारी रखने तथा ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों और अन्य संबंधित अधिकरणों को पूरा सहयोग देने का विचार है।

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सतपुड़ा पहाड़ियों में खनिजों की खोज

4311. **श्री विजय कुमार पाटिल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतपुड़ा पहाड़ियों (महाराष्ट्र) में खनिजों की खोज के लिये कभी कोई सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस बारे में सर्वेक्षण करने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) जी हां। महाराष्ट्र सरकार के खनन और भूतत्व निदेशालय तथा भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था द्वारा महाराष्ट्र के धुले, जलगांव और अमरावती जिलों के भू-भागों में फैली सतपड़ा पहाड़ियों में भू-गर्भीय सर्वेक्षण किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Cholera Incidents in Haryana and U.P.

4312. **Shri Surendra Bikram** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state whether Cholera which is spreading in epidemic form in Haryana and Uttar Pradesh is due to the fact that the vaccine being administered there is ineffective as the date of expiry thereof was already over one year ago and if so, the action taken against such doctors in the public interest ?

Minister Of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain)) : The information is being collected and when obtained will be laid on the Table of the Sabha.

लघु तरंग डायाथर्मी के लिए सहायता-अनुदान

4313. श्री पुण्डलीक हरि दानवे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेशन्ट्स रिलीफ एसोसिएशन, शोलापुर से दिनांक 7 मई, 1977 को एक लिखित अभ्यावेदन मिला है जिसमें लघु तरंग डायाथर्मी यूनिट के लिए सहायतानुदान अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का विचार है और कब ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) इस मंत्रालय ने 15 जून, 1977 को इस संस्थान को सलाह दी थी कि वे सहायता स्वरूप अनुदान के लिए अपना आवेदन-पत्र राज्य सरकार के माध्यम से भिजवा दे। यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में तार / सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

4314. श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के उन गांवों में तार अथवा सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने का है जहां उन गांवों की 10 मील की परिधि के भीतर कोई चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्री (श्री बृज लाल वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में संशोधन

4315. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में कोई संशोधन करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में दवाइयां बनाने के काम आने वाली जड़ी बूटियां की उपलब्धता

4316. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में दवाइयां बनाने के काम आने वाली जड़ी-बूटियों की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन जड़ी बूटियों का उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कारखाने स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् के अधीन जोगेन्द्र नगर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के औषधीय पादप सर्वेक्षण विंग ने कांगड़ा, ऊना, हीमरपुर, कुल्लु, चुहाड, मंडी, डलहौजी, शिमला, अपर कुल्लू, लाहौल स्पीती, नाहन, पंगी और सुखेत के वन क्षेत्रों में चिकित्सीय उपयोग की वनस्पतियों की खोज की है । इस विंग के पास जानी-मानी 719 वनस्पति संग्रहालय शीटें हैं जिनमें 101 प्रकार की वनस्पतियां हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Linking of Ambali and Danta in Gujarat By Telephone

4317. **Shri Chaudhary Motibhai:** Will the Minister of **Commanications** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Ambali in Gujarat is a famous pilgrimage and thousands of people visit this place but this has not so far been linked with its tehsil Danta by Telephone; and

(b) whether this famous place will be linked soon with its tehsil by telephone ?

Minister of Communications (Shri Brij lal Verma): (a) There is no direct circuit between Ambaji (not Ambali) and Danta and the trunk calls are routed *via* Visnagar, Mehsana, Palanpur and Abu Road.

(b) A proposal for connecting Danta to Palanpur has been approved and after this direct circuit is provided, calls between Ambaji and Danta will be put through *via* Abu Road and Palanpur.

Linking of Danta Tehsil Headquarter with Palanpur By Direct Dialling System

†4318. **Shri Motibhai Chaudhary** : Will the **Minister of Communications** be pleased to state :

(a) Whether the Danta tehsil headquarters and Palanpur district headquarters in Gujarat have not so far been linked with direct dialling system as a result sometimes it takes a day to make a trunk call and urgent and immediate official work is delayed, and

(b) if so, whether it is proposed to link these two places with direct dailling system?

Minister of Communications (Shri Brij lal Verma): (a) There is no direct dialling between Palanpur and Danta Tehsil Headquarters which is only a Public Call Office. Delays, if any, cannot be attributed to non-availability of direct dailling; they are generally due to interruptions or faults in lines.

(b) At presept, there is no proposal to provide direct dailling between these two places as the traffic does not justify the same.

Direct Dailling System Between Raganpur and Hariz, Gujarat

†4319. **Shri Motibhai Chaudhary** : Will the **Minister of Communications** be pleased to state:

(a) Whether in the absence of direct dialling system between Raganpur and Hariz, the people have to wait for hours for a trunk call;

(b) Whether both these places are trade centres and distance between them is only 40 kilometres; and

(c) Whether action would be taken to provide direct dialling system soon so that the people there may get facilities in this regard?

Minister of Communications (Shri Brij lal Verma): (a) It is presumed that the place mentioned in the Question as Raganpur is the same as Radhanpur. The trunk calls between Radhanpur and Hariz are at present routed *via* Ahmedabad Trunk Exchange and in case there are interruptions on the line, trunk calls will be subject to delay.

(b) Yes, Sir. The distance is about 40 kilometres.

(c) As the telephone exchanges at both Radhanpur and Hariz are at present manual exchanges, there is no proposal to provide direct dialling system. However, a direct trunk line between the two places has been sanctioned,

खेतड़ी की खानों में उत्पादन

4320. **श्री ए.स० जी० मुरुगय्यन : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1975 से लेकर अब तक खेतड़ी तांबा काम्प्लेक्स की खेतड़ी खानों में प्रत्येक महीने औसत ग्रेड सहित कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) जनवरी, 1975 से लेकर अब तक प्रत्येक महीने में खेतड़ी तांबा काम्प्लेक्स के संकेन्द्रक संयंत्र में ग्रेड सहित कितना अयस्क पीसा गया ;

(ग) खेतड़ी तांबा काम्प्लेक्स में जनवरी, 1975 से लेकर अब तक प्रत्येक महीने में 'ब्लिस्टर' तथा 'ऐनोड' तांबे का कितना उत्पादन हुआ ;

(घ) जनवरी, 1975 से लेकर अब तक प्रत्येक महीने में 'इलेक्ट्रोलिटिक' तांबे का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ङ) खेतड़ी तांबा काम्प्लेक्स के उर्वरक संयंत्र में जनवरी, 1975 से लेकर अब तक प्रत्येक महीने में सलफ्यूरिक एसिड और एस० एस० पी० एट टी० एस० पी० का कितना उत्पादन हुआ ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ङ): वांछित जानकारी अनुबंध 1, 2 और 3 में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 783/77]

खेतड़ी तांबा काम्प्लेक्स के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विचाराधीन जांच

4321. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतड़ी तांबा काम्प्लेक्स के कितने अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच विचाराधीन है ;

(ख) खेतड़ी तांबा काम्प्लेक्स के ऐसे अधिकारी कितने हैं जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच चल रही है परन्तु जिन्हें वेतन-वृद्धि दी गई है ;

(ग) केन्द्रीय जांच-ब्यूरो के प्रतिवेदनों के बाद कितने अधिकारियों को दंडित किया गया है ;

(घ) खेतड़ी तांबा काम्प्लेक्स में वर्ष 1974, 1975 और 1976 में कितने अधिकारियों की पदोन्नति की गई ; और

(ङ) खेतड़ी तांबा काम्प्लेक्स में वर्ष 1974, 1975 और 1976 में कितने कामगरों को पदोन्नति किया गया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) हिन्दुस्तान कापर लि० के खेतड़ी कापर कम्प्लेक्स के किसी अधिकारी के विरुद्ध आज की तारीख में कोई मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो में जांच के लिए विचाराधीन नहीं है।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने के दौरान कम्पनी ने अपने नियमों के अनुसार अधिकारियों को वेतन वृद्धियां दी है, जब तक किसी अधिकारी को कोई विशेष दंड नहीं दिया जाता उसकी वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाती।

(ग) जांच कार्य के पूरा होने के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर खेतड़ी कापर काम्प्लेक्स के चार अधिकारियों को पहले ही दंड दिया जा चूका है और ग्यारह अन्य अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

(घ) खेतड़ी कापर काम्प्लेक्स में 1974 से 1976 के दौरान पदोन्नति हुए अधिकारियों की संख्या इस प्रकार हैं :—

1974	26
1975	37
1976	46

(ङ) 1974 से 1976 के दौरान खेतड़ी कापर काम्प्लेक्स के जिन श्रमिकों की पदोन्नति हुई उनकी संख्या इस प्रकार है :—

1974	223
1975	178
1976	181

कोलिहान तांबा खानों में अयस्क का उत्पादन

4322. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1975 से लेकर अब तक प्रत्येक महीने में कोलिहान तांबा खान में औसत ग्रेड सहित अयस्क का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) जनवरी, 1975 से लेकर अब तक प्रत्येक महीने में हवाई रज्जु-पथ के माध्यम से औसत ग्रेड सहित कितने अयस्क का परिवहन हुआ ; और

(ग) कोलिहान तांबा खान में स्टाक में कितना अयस्क है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : कोलिहान तांबा खानों के बारे में अपेक्षित जानकारी विवरण-1 में दी गई है ।

(ग) 30-6-77 को 1,08,243 टन ।

विवरण

इकाई : टन

महीना	अयस्क उत्पादन	ग्रेड प्रतिशत तांबा	हवाई रज्जूमार्ग द्वारा परिवहन	ग्रेड प्रतिशत तांबा
1	2	3	4	5
जनवरी, 1975	20,568	1.20	27,366	1.26
फरवरी .	22,521	1.78	23,160	1.76
मार्च .	24,597	2.08	34,395	1.97
अप्रैल .	27,170	1.71	33,580	1.53
मई .	25,239	1.10	27,578	1.07
जून .	20,445	0.99	25,022	0.95
जुलाई .	22,570	1.13	19,634	1.25
अगस्त .	26,069	1.26	20,923	1.20
सितम्बर .	20,025	1.98	19,268	1.52
अक्टूबर .	18,606	2.39	27,784	1.66
नवम्बर .	18,548	2.65	16,908	1.84
दिसम्बर .	28,512	2.47	23,043	2.20

1	2	3	4	5
जनवरी, 1976	25,654	2.54	17,984	1.71
फरवरी .	22,134	2.65	33,148	1.95
मार्च .	30,783	2.62	48,865	1.98
अप्रैल .	30,845	2.22	51,806	1.75
मई	31,216	2.63	42,936	1.68
जून .	32,754	2.38	34,861	1.72
जुलाई	36,657	1.76	22,592	1.37
अगस्त .	37,807	1.56	45,673	1.43
सितम्बर .	35,600	1.86	50,821	1.49
अक्टूबर .	33,918	1.83	37,527	1.53
नवम्बर	35,300	1.18	42,507	1.24
दिसम्बर .	34,358	0.99	39,609	1.00
जनवरी, 1977	40,302	1.05	49,950	1.16
फरवरी	39,845	1.22	49,527	1.17
मार्च .	32,740	1.21	36,379	1.06
अप्रैल .	24,889	1.19	2,992	1.41
मई .	23,801	1.31	26,915	1.10
जून .	26,780	1.10	41,903	0.98

टिप्पणी : अयस्क के परिवहन में हवाई रज्जू मार्ग द्वारा लाया गया चादमारी तथा कोलिहान का अयस्क सम्मिलित है ।

डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों द्वारा सीधी टेलीफोन लाइनों का दुरुपयोग

4323. **श्री शिव नारायण :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों में डाक तथा तार के निरीक्षण क्वार्टरों में लगे टेलीफोनों में सीधी टेलीफोन लाइन की भी सुविधा है; यदि हां तो इसका क्या औचित्य है ;

(ख) क्या डाक तथा तार विभाग के छुट्टी पर रहने वाले और यात्रा पर जाने वाले अधिकारी इन टेलीफोनों का निजी कार्यों के लिए बेरोक-टोक उपयोग कर सकते हैं ;

(ग) क्या इन बिलों का केवल किताबी अन्तरण अथवा समायोजन ही किया जाता है; और

(घ) यदि हां,तो इन टेलीफोनों के दुरुपयोग को रोकने के लियें क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं और क्या इन टेलीफोनों से की जाने वाली कालें के रजिस्टरों को किसी अधिकारी द्वारा जांच की जाती है यदि हां तो किस स्तर पर और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) आम तौर पर डाक-तार निरीक्षण क्वार्टरों में लगाये गये टेलीफोनों से उपभोक्ता ट्रंक डायलिग सुविधा हटा दी गई है । दिल्ली, बम्बई और मद्रास के टेलीफोन जिलों के महाप्रबन्धकों के चार्ज में जो डाक-तार निरीक्षण क्वार्टर हैं उनमें लगे टेलीफोनों से उभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा हटा दी गई है । टेलीफोन भवन कलकत्ता के निरीक्षण क्वार्टर में लगे टेलीफोनों से उपभोक्ता ट्र डायलिंग सुविधा उसी वक्त हटा ली जायेगी जबकि उस एक्सचेंज में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग हटाने वाला विशेष उपस्कर लग जायेगा । इन नगरों के अन्य निरीक्षण क्वार्टरों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) ये टेलीफोन उन लोगों के लिये उपलब्ध हैं जो निरीक्षण क्वार्टरों का उपयोग करते हैं।

(ग) और (घ) ये विभागी टेलीफोन हैं । स्थानीय कालों के लिये कोई पुस्तक समायोजन नहीं किया जाता है । ट्रंक कालों के लिये बिल जारी किये जाते हैं जो आगे की कारवाई/भुगतान के लिये उन व्यक्तियों के पास भेज दिए जाते हैं जिन्होंने निरीक्षण क्वार्टर का उपयोग किया हो ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड आदि में सलाहकारों/परामर्शदाताओं के रूप में केन्द्रीय सरकार के सेवा-निवृत्त अधिकारी

4324. **श्री शिव नारायण :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड आदि जैसे उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालयों में केन्द्रीय सरकार के सेवा-निवृत्त अधिकारियों को सलाहकारों/परामर्शदताओं के रूप में नियुक्त कर रखा है ;

(ख) ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है सेवा-निवृत्ति के पूर्व वे किन-किन पदों पर थे, इन उपक्रमों में उनकी नियुक्ति अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक कितनी अवधि के लिए है और उन्हें यदि कोई सवारी सुविधाएं प्राप्त हैं तो उनके अतिरिक्त प्रति मास उन्हें कितना पारिश्रमिक अदा किया जाता है ;

(ग) इन अधिकारियों की विशेषज्ञता से इन उपक्रमों की कार्य-कुशलता और वित्तीय स्थिति में सुधार करने में कहां तक सहायता मिली है ; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इनमें से कुछ उपक्रमों की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है ऐसे सलाहकारो/परामर्शदाताओं पर धन खर्च करने की उपयोगिता की जांच करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) इस समय केवल स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने केन्द्रीय सरकार के एक सेवा-निवृत्त अधिकारी को नई दिल्ली में सलाहकार (चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य) के रूप में नियुक्त किया है ।

(ख) यह अधिकारी 25 अक्तूबर 1975 को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के चिकित्सा अनुसंधान के निदेशक के पद से सेवा-निवृत्त हुए थे। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने सरकार के अनुमोदन से इस अधिकारी को 3 फरवरी, 1976 से एक वर्ष के लिए पेंशन/पेंशन संबंधी लाभों को घटाकर 2500–3000 रुपये के वेतनमान में 3000 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया था। इसके अलावा इस अधिकारी को 200 रुपये प्रतिमास सवारी भत्ते तथा 2400 रुपये प्रतिवर्ष सत्कार भत्ते के रूप में दिये जाते हैं। सरकार के अनुमोदन से इस अधिकारी की नियुक्ति की अवधि उन्हीं शर्तों पर एक और वर्ष के लिए अर्थात् 2 फरवरी, 1978 तक बढ़ा दी गई है।

(ग) इस अधिकारी की नियुक्ति कम्पनी के विभिन्न सहायक कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उपलब्ध चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी पहलुओं पर सतत जानकारी देने तथा चिकित्सा अनुसंधान और औद्योगिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने व्यापक अनुभव के आधार पर उपयुक्त सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए की गई है। औद्योगिक स्वास्थ्य तथा व्यवसायिक जोखिमों की ओर ध्यान दिलाने के अलावा इस अधिकारी की सेवाएं मलेरिया की रोकथाम तथा परिवार नियोजन के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हुई है। इस समय यह अधिकारी कम्पनी की कई प्रायोजनाओं पर, की स्थापना करने में जिनमें कम्पनी के अस्पतालों में विशेषज्ञता केन्द्रों की स्थापना करना भी शामिल है, लगे हुए हैं।

(घ) प्रश्न के भाग (क) से (ग) के ऊपर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन तथा तार इंजीनियरी सेवा के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

4325. **श्री शिव नारायण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन तथा तार इंजीनियरी सेवाओं के द्वितीय और प्रथम श्रेणी के उन अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों की 58 वर्ष की आयु की तुलना में 60 वर्ष है जो पहले इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्रति नियुक्त पर जाते हैं और बाद में वहीं नौकरी करने लगते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ये अधिकारी आई० टी० आई० में नौकरी करने लग जाने के बाद, सरकारी सेवा में जो पेंशन उन्हें मिलती है उसकेअतिरिक्त अपने पदों की पूरी तनख्वाह लेने के हकदार हैं तथा वे आई० टी० आई० में अपनी सेवा के लिये उपदान और भविष्य निधि अंशदान का लाभ भी लेते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें यह दोहरा लाभ देने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में अधिकारियों (इनमें केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्त कम्पनी में स्थायी रूप से नियुक्त पदाधिकारी शामलि है) की सेवानिवृत्ति की आयु सामान्यत: 58 वर्ष है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्थायी रूप से नियुक्त किये गए सरकारी पदाधिकारियों की सेवा शर्तें, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अधीन, विनियमित की जाती हैं। ये शर्तें उन डाक-तार पदाधिकारियों पर भी लागू होती हैं जो पहले इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं और बाद में वहीं समाहृत कर लिए जाते हैं। इन आदेशों

के अनुसार पेंशन के साथ साथ इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में प्राप्त सम्बन्द्ध पद का वेतन तथा कम्पनी के नियमों के अधीन अनुमत्य भविष्य निधि और उपदान का लाभ प्राप्त करना अनुमत्य है ।

भारतीय दूतावासों में स्वागत समारोह म बीड़ियां पेश करना

4326. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय दूतावासों से उनके द्वारा आयोजित स्वागत समारोहों और भोज के अवसरों पर सिगरेट और सिगार के साथ-साथ बीड़ियां पेश करने के लिए कहने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में बीड़ी उद्योग ने भी सरकार को कोई सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) विदेश स्थित भारतीय मिशन एवं कार्यालय जो स्वागत समारोह और भोज करते हैं उनमें वे सिगरेट और सिगार के साथ बीड़ी भी पेश कर सकते हैं ।

(ख) इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Herbs Found in Amarkantak, Chivrakod and Parasmania (M.P.)

4327. **Shri Sukhendra Singh** : Will the **Minister of Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether rare herbs are found in abundance in Amarkantak, Chivrakod and Parasmania (Satna) of Madhya Pradesh but nothing has been done so far with a view to utilising and extracting medicines from them; and

(b) Whether any chemical laboratory (drug manufacturing plant) is proposed to be set up in Satna, Rewa or Shahdol to utilise these herbs.

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

(b) The Government of India have no such proposal.

Invitation to Foreign Governments

†4328. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the countries of the world, Governments of which have sent invitations to the Prime Minister for visiting their countries during the last two months;

(b) the names of the countries, Prime Minister and Presidents of which have been invited by Government for visiting India;

(c) the countries which have accepted the invitations; and

(d) the countries, invitations of which have been accepted by Government of India?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a), (b), (c) and (d) Several invitations have been received by the Prime Minister in the last two months or so to visit friendly foreign countries. Invitations have likewise been extended to foreign Heads of State and Heads of Government. The invitations have been accepted in principle and the dates would be fixed in due course on the basis of mutual convenience and in accordance with international practice.

New Posts and Telegraph Offices in Madhya Pradesh

†4329. **Shri Sukhendra Singh :**
Shri Raghavji :

Will **the** Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the details of the facilities proposed to be provided in Madhya Pradesh by the Posts and Telegraphs Department in the year 1977-78; and

(b) the number of new Posts and Telegraphs offices proposed to be opened there indicating locations thereof?

Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) It is proposed to provide the following postal and telegraphic facilities in Madhya Pradesh during 1977-78;

(i) Post Offices:	750 in rural areas and 51 in urban areas.
(ii) Long distance Public Call Offices:	150
(iii) Telegraph Offices :	200
(iv) Telex Exchange :	20 lines Exchanges at Bhilai, Dewas and Kerba.

(v) Expansion of Telex Exchange from 50 lines to 100 lines at Raipur.

(vi) Small automatic exchanges—15/Expansion of existing exchanges — 20.

(b) (i) Post Offices: The exact locations of new post offices will be known only after the proposals are examined in detail.

(ii) Location of telegraph offices proposed to be opened are indicated in the annexure.

[Placed in Library. See No. LT. 784/77].

उड़ीसा में डाकघर खोला जाना

4330. **श्री डी० अमात** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चालू वर्ष के दौरान कितने डाकघर खोले जाने का विचार है ; और

(ख) कुल कितने क्षेत्र में डाक संबंधी सुविधाएं नहीं हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) ग्रामीण इलाकों में 124 और शहरी इलाकों में 25

(ख) उड़ीसा के सभी शहरी इलाकों में डाकघरों की सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों में कुल 47197 गांवों में से 5814 गांवों में डाकघर हैं।

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंजों का खोला जाना

4331. **श्री डी० अमात** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में चालू वर्ष के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : ऐसा प्रस्ताव है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में 4 नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जायें।

लघु इस्पात संयंत्रों के लिये लाइसेंस जारी करना

4332. **श्री अनन्त दवे :**
श्री शंकरसिंहजी वघेला :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिये अब तक कुल कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) इन लाइसेंसों की कुल उत्पादन क्षमता क्या है;

(ग) इन लघु इस्पात संयंत्रों को राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं ने कितनी राशि का ऋण दिया गया है; और

(घ) इन इस्पात सयत्रों में कितना उत्पादन होता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क), (ख) तथा (घ). 1-1-1977 को देश में लाइसेन्सीकृत/पंजीकृत विद्युत/भाप भट्टियों की संख्या 206 थी। जिनकी साधारण इस्पात पिण्डों बलेटों की कुल उत्पादन क्षमता 43.64 लाख टन प्रति वर्ष है। उन इकाइयों के मामले, जिन्होंने अपनी परियोजनाओं को कार्य रूप नहीं दिया था, विचाराधीन हैं और अब तक 4.22 लाख टन की कुल क्षमता के 28 लाइसेंस तथा 2.00 लाख टन की कुल क्षमता के 3 आशय-पत्र प्रति-संहृत रद्द कर दिये गये हैं। शेष 175 इकाइयों की कुल उत्पादन क्षमता 37.42 लाख टन प्रति वर्ष है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत् भाप भट्टी इकाइयों का इस्पात पिण्ड का उत्पादन इस प्रकार था —

1974-75 . .	6.7 लाख टन
1975-76 . .	6.1 लाख टन
1976-77 . .	11.6 लाख टन

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है।

जयपुर जाने वाले इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का अपहरण

4333. श्री अनन्त दवे :
श्री शंकरसिंहजी वघेला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छः उर्दू भाषी अपहरणकर्ताओं को जो जयपुर जाने वाले इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान का अपहरण करके उसके 77 यात्रियों तथा सात व्यक्तियों की कार्मिक टोली को लाहौर ले गये थे, की रिहाई के बारे में भारत द्वारा किये गये विरोध-पत्र पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपयी): इंडियन एयरलाइंस के दिल्ली से जयपुर जाने वाले एक बोइंग 737 विमान का छः व्यक्तियों के एक दल ने, जिन्हें पाकिस्तान प्राधिकारियों ने अपनी हिरासत में ले लिया था, 10 सितम्बर, 1976 को अपहरण किया था और उसे लाहौर ले गये थे। 9 अक्तूबर, 1976 को पाकिस्तान सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अपहरणकर्ताओं की प्रारम्भिक जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है और पाकिस्तान के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जायेगा। बाद में, पाकिस्तान के अपहरणकर्ताओं को रिहा करने के निर्णय को सुनकर भारत सरकार ने खेद व्यक्त किया था और इसके लिए पाकिस्तान सरकार की निन्दा की थी और विदेश मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता ने 6 जनवरी, 1977 को इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया था। उसके बाद से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है।

40 किलोमीटर की दूरी के अन्दर डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की पद्धति

4334. **श्री अनन्त दवे :**
श्री शंकर सिंहजी वघेला :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विचाराधीन ग्रामीण क्षेत्रों में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की पद्धति को लागू करने, जहां दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी के अन्दर अब तक ट्रंक काल पद्धति है, के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस बारे में निर्णय कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार के विचाराधीन यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो दिल्ली से इन ग्रामीण क्षेत्रों, जैसे दिल्ली के निकट लोनी में टेलीफोन करने वाले व्यक्तियों को दिक्कतों तथा असुविधाओं को दूर करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख). दिल्ली से 40 किलोमीटर के घेरे में आने वाले सभी स्थानों पर सीधी डायलिंग सुविधा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) दिल्ली के उपभोक्ताओं को लोनी और दिल्ली के आस-पास के अन्य एक्सचेंजों के उपभोक्ता दिल्ली ट्रंक एक्सचेंज के जरिये सुलभ हो जाते हैं। इन एक्सचेंजों से आने जाने वाले ट्रंक यातायात का निपटारा करने के लिये दिल्ली ट्रंक एक्सचेंज और इन एक्सचेंजों के बीच पर्याप्त संख्या में सर्किट दिये गये हैं। लोनी के मामले में 5 ट्रंक सर्किट उपलब्ध हैं, जो फिलहाल पर्याप्त हैं।

गत छह महीनों में दर्ज किये गये नसबन्दी के मामले

4335. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के छह महीनों के दौरान देश में नसबन्दी आपरेशन का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अवधि में देश में ऐसे कितने आपरेशन हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क), (ख) और (ग). जनवरी, 1977 से मई, 1977 की अवधि के दौरान किये गये नसबन्दी आपरेशनों की अनन्तिम संख्या 1,093,764 थी। जून, 1977 के आंकड़ों की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवादों का निपटान

4336. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यभार संभालने के बाद से अब तक उनके पास कुल कितने विवाद निपटान के लिये भेजे गये हैं;

(ख) कितने मामले निपटा दिये गये और कितने मामले अभी विचाराधीन हैं; और

(ग) उन्हें सौंपे गये सभी मामलों का निपटान कब तक किये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग). जिन चार विवादों में केन्द्रीय श्रम मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया उन सभी में वे सौहार्दपूर्ण समझौता कराने में सफल हो गये। इनके अतिरिक्त, इस मंत्रालय को समझौता असफल हो जाने की 270 रिपोर्टें प्राप्त हुईं और मंत्रालय ने 26–3–1977 (जो श्रम मंत्री द्वारा इस मंत्रालय का कार्यभार सम्भाले जाने की तारीख है) और 15–7–1977 के बीच 220 का निपटान किया।

ग्रन्थि रोगों से पीड़ित व्यक्ति

4337. **श्री शिव सम्पति राम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 सितम्बर, 1976 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक अध्ययन के अनुसार 30 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक दस रोगियों में से एक रोगी, जो अधिकांशतया समाज के निम्नस्तर का होता है, विभिन्न ग्रन्थि रोगों से पीड़ित पाया गया; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति को सुधारने और बीमारी का उचित इलाज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) ग्रन्थि रोग कई कारणों से होते हैं, इसलिए इनका निवारण और उपचार उस कारण पर ही निर्भर करेगा। क्षय रोग, फाइलेरिया और गलगंड रोगों में से जिस भी किसी रोग के कारण ये ग्रन्थि रोग होते हैं, उसी रोग के नियंत्रण कार्यक्रमों के अन्तर्गत इनका इलाज किया जा रहा है। तथापि, हाजकिंस रोग, ल्यूकेमिया, लिम्फ ग्रन्थि के ट्यूमर, ग्रन्थियों की जीर्ण और तीव्र पूतिक हालत आदि जैसे अनेक रोग हैं जिनकी रोकथाम के लिए कोई विशेष उपाय उपलब्ध नहीं है और जब कभी इस प्रकार के रोगी इलाज के लिए आते हैं तो उनका इलाज कर दिया जाता है।

मलेरिया से हुई मौतें

4338. **श्री शिव सम्पति राम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 और 1977 में मलेरिया से कितने लोगों की राज्यवार मृत्यु हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): 1976 में निम्नलिखित राज्यों में मलेरिया से हुई 40 मौतें दर्ज की गई हैं —

राज्य का नाम	मौतों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1
असम	30
बिहार	2
महाराष्ट्र	1

राज्य का नाम	मौतों की संख्या
पंजाब . . .	1
मध्य प्रदेश	1
पश्चिम बंगाल	2
डी० एन० के० परियोजना . . .	1
मिजोरम	1
	—
	40

1977 में मलेरिया से हुई किसी भी मौत की अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है ।

हिमाचल प्रदेश में नसबन्दी का लक्ष्य

4339. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातस्थिति के दौरान हिमाचल प्रदेश में नसबन्दी का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) आपातस्थिति के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितना लक्ष्य पूरा किया गया ;

(ग) हिमाचल प्रदेश को इस उद्देश्य के लिये दी गई वित्तीय तथा अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने राज्य में नसबन्दी के कारण हुई मौतों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण): (क) और (ख): 1975-76 तथा 1976-77 के वर्षों में, जिनमें आपातस्थिति की अवधि भी आ जाती है, हिमाचल प्रदेश के लिए नसबन्दी आपरेशनों के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इन दो वर्षों में जो उपलब्धियां हुई उनका विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	नसबन्दी आपरेशनों के लक्ष्य	उप्लब्धि	प्रतिशत
1975-76	18,600	16,832	90.5
1976-77	31,500	100,990*	320.6

*अनन्तिम

(ग) अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार नें सूचित किया है कि नसबन्दी आपरेशनों के कारण 1975-76 और 1976-77 के दौरान राज्य में निम्नलिखित मौते हुइ :—

वर्ष	मौतों की संख्या
1975-76	3
1976-77	6

विवरण

हिमाचल प्रदेश सरकार को 1975-76 और 1976-77 के बीच जितनी सहायता दी गई थी, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

नकद अनुदान	1975-76	1976-77
	(रुपये)	(रुपये)
1. निदेशन और प्रशासन .	9,00,000	11,75,000
2. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं . .	22,00,000	26,50,000
3. नगरीय परिवार कल्याण सेवाएं	3,50,000	3,50,000
4. परिवहन . . .	1,96,000	3,47,000
5. लूप निवेशन और नसबन्दी के लिए मुआवजा	7,17,000	94,49,000
6. अन्य सेवाएं और सप्लाइयां	85,000	6,26,000
7. जन शिक्षा . .	42,000	50,000
8. प्रशिक्षण, अनुसंधान और सांख्यिकी .	----	70,000
लघु-योग	44,90,000	147,18,000
वस्तु रूप में दी गई सप्लाइयों का मूल्य	(रुपये)	(रुपये)
1. प्रतिरक्षण के लिए वेक्सीन . . .	80,173	89,330
2. आयरन और फालिक एसिड की टिक्कियां तथा विटामिन 'ए' घोल . . .	11,760	1,13,088
3. प्रचलित गर्भ निरोधक उपकरण . .	2,63,022	1,16,031
4. गर्भ निरोधक गोलियां . . .	370	----
5. कापर टी लूप .	3,344	22,700
6. रेफरीजरेटर	--	1,630
लघु-योग	3,58,669	3,42,779

Filling Up of Quota Reserved for Scheduled Tribes

4340. **Shri Yuvraj :** Will the **Minister of Labour and Parliamentary Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Department of Parliamentary Affairs is observing scrupulously the directions issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms regarding reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) whether there are only 3 Scheduled Tribes employees out of a total of 114 employees in the Department; and

(c) the time by which Government propose to complete the quota reserved for Scheduled Tribes in compliance with above directions and if not, the reasons therefor ?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) Yes, Sir,

(*b*) & (*c*) Direct recruitment to Group 'B' posts in this Department is made through the Union Public Service Commission and to Group 'C' posts through the Subordinate Services Commission. All vacancies including reserved vacancies are invariably reported to these agencies but due to non-availability of Scheduled Tribes candidates, the reserved vacancies are at times treated as unreserved vacancies in accordance with the standing instructions on the subject. Moreover, in certain cases, the Scheduled Tribes candidates who were offered the posts had expressed their reluctance and in certain others the candidates appointed had resigned after a short period. Consequently only 3 employees belonging to the Schedued Tribes community are serving in the Department at present. Every effort is, however, being made to complete the quota for Scheduled Tribes as early as possible.

Acquisition of Land Under Esis in Katihar (Bihar)

4341. **Shri Yuvraj :** Will the **Minister of Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether land was acquired in Katihar (Bihar) under the Employees State Insurance Scheme and if so, when it was acquired and the cost thereof;

(b) whether Katihar is a most backward industrial town of Bihar;

(c) Whether an amount of Rs. 10.46 crores was sanctioned last year for meeting the expenditure on construction work etc. under the Employees State Insurance Scheme and if so, the amount spent out of it so far; and

(d) the time by which Employees State Insurance Scheme would be implemented in Kaithar and if not, the reasons therefor?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following informations : (a) Yes, in October, 1963 at a cost of Rs. 77,347.63.

(b) No. so far as implementation of E.S.I. Scheme is concerned.

(c) Plans and estimates for Rs. 12.10 lakhs were sanctioned on 25-3-1975 for the construction of a 6 Doctor ESI dispensary and staff quarters at Katihar. No request for release of funds has, however, been received from the State Government so far.

(d) The Scheme is already in force at Katihar with effect from 15-12-1957.

Appointment of Inspectors and Claim Officers Under Minimum Wages Act

4342. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether Inspectors and Claim Officers have been appointed in all the States under Minimum Wages Act with a view to safeguard specially the interest of the agricultural labourers and if so, the number of Inspectors and Claim Officers in each State and the annual total expenditure incurred on them;

(b) whether rates of wages are notified to secure minimum wage to agricultural labourers and if so, when revised Wage rates were notified by each State and if not, the reasons therefor; and

(c) whether old procedure to secure minimum wage under the Minimum Wages Act seems to be impracticable and if so, the new Procedure proposed to be adopted in this regard?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) Sections 19 and 20 of the Minimum Wages Act, 1948 provide for the appointment of Inspectors and Claims Authority for the implementation and enforcement of the provisions of the Act. The implementation of the Act in respect of agriculture falls predominantly in the State sphere and information regarding the number of Inspectors and Claims Authorities and the total expenditure incurred on them by each State is not available.

(b) A statement showing the rates of wages payable to agricultural workers and dates since when effective in various States is attached.

[Place in Library. See No. L.T. 785/77].

(c) There is no such proposal. However, State Governments are advised from time to time to take steps for ensuring effective implementation of the provisions of the Act.

Special Assistance to Bihar for Health Sub-Centres

4343. **Shri Yuvraj :** Will the **Minister of Health and Family Welfare** be to pleased to state:

(a) whether Government have drawn plans for providing special medical care in backward States;

(b) whether Bihar is considered to be one of the most backward States of India;

(c) whether Government propose to provide special assistance to Bihar for completion of all incomplete Health Sub-Centres and employees quarters there; and

(d) if so, when and the amount thereof?

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) A Scheme of Rural Health Services has been drawn up for providing adequate health care in rural areas.

(b) Viewed on the basis of per capita income Bihar is one of the backward States.

(c) & (d) : Construction of buildings for Sub-Centres and employees quarters is covered in the Minimum Needs Programme which is included in the State Plan. The Planning Commission have, however, provided Rs. 155·40 lakhs for opening of 700 Sub-Centres in the State of Bihar during the year 1977-78.

उत्तर प्रदेश सर्किल के डाक व तार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

4344. **श्री राम देनी राम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सर्किल के प्रत्यक डाक, तार, सिविल इंजीनियरिंग, टेलीफोन डिवीजन में कुल कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और इनमें (एक) अनुसूचित जातियों (दो) अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित डिवीजनों में (एक) अनुसूचित जातियों और (दो) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) क्या उनके नगण्य प्रतिनिधित्व की शिकायतें विगत में संसद् सदस्यों द्वारा सरकार के नोटिस में लाई गई हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और यह यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सुरक्षित रिक्त स्थान भरने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं । जब कभी कर्मचारियों की कमी होती है तो संबंधित रोजगार कार्यालयों को रिक्त स्थानों की अधिसूचना भेज दी जाती है । इन कार्यालयों में केन्द्रीय रोजगार कार्यालय भी शामिल हैं । स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने के अलावा सुरक्षित समुदायों के लिए निर्धारित रिक्त स्थानों की सूचना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मान्यता प्राप्त संघों और संगठनों को दे दी जाती है ताकि वे उपर्युक्त उम्मीदवार भेज सकें ।

(ग) जी हां । किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों को नगण्य प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है । उदाहरण के लिए डाक तार विभाग में 1–1–76 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कमचारियों का प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के पदों में (जो अब ग्रुप घ है) जिनमें स्वीपर शामिल नहीं हैं क्रमशः 19.4% और 5.4% था ।

अतिरिक्त विभाग एजेन्टों को लाभ

4345. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों में कुछ वर्ष पूर्व अतिरिक्त विभाग एजेंटों की प्रणाली आरम्भ की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण है और उक्त प्रणाली के कार्यकरण की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) अतिरिक्त विभाग एजेन्टों को क्या वेतनमान तथा अन्य लाभ दिये जा रहे हैं ; और

(घ) उनके कार्य के घंटे कितने होते हैं और क्या उन्हें अंशकालिक आधार पर भुगतान किया जाता है जबकि उन्हें लगभग पूणकालिक आधार पर कार्य करने के लिये बाध्य किया गया जाता है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) :) (क) और (ख). भारतीय डाकघरों में विभागेतर प्रणाली एक शताब्दी से अधिक समय से चल रही है । यह प्रणाली देश के उन देहाती और पिछड़े इलाकों में डाक सुविधायें देने और उनका विस्तार करने के लिये आवश्यक है, जहां इतना कार्यभार नहीं है कि वहां विभागीय डाकधर खोलने का औचित्य सिद्ध हो । विभागेतर कमचारियों को रोजाना केवल 2 से लेकर 5 घन्टे तक काम करना पड़ता है । वे अंशकालिक कर्मचारी हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास आमदनी के अन्य साधन भी हों ।

(ग) और (घ). उन्हें प्रतिमाह न्यूनतम 75/–रुपये और अधिकतम 155/–रुपये के बीच भत्ते दिये जाते हैं । भत्तों का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का औसत कार्यभार कितना है और वे कितने घन्टे काम करते हैं । नियमों और विनियमों में दी गई शर्तें पूरी करने पर उन्हें अधिक से अधिक 750/–रु० तक का उपदान (Gratuity) दिया जाता है । विभागेतर एजेंटों को पूर्णकालिक आधार पर कार्य करने के लिये बाध्य नहीं किया जाता है ।

क्षेत्रीय पार पत्र कार्यालय, अहमदाबाद

4346. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद का क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय काफी अर्से से विदेशों में जाने वाले व्यक्तियों को पासपोर्ट देने के लिये तीन रुपये के स्टाम्प पेपर पर गारंटी बांड स्वीकार कर रहा है;

(ख) क्या यह गारन्टी बांड अब 16.50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विदेशों में जाने के इच्छुक भारतीय यात्रियों को इस स्टाम्प पेपर की शेष राशि का भुगतान जुर्माने के रूप में करना पड़ता है, और यदि हां, तो क्यों ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क), (ख) और (ग). नवम्बर, 1969 में अहमदाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना के समय से तीन रुपये के स्टाम्प कागज पर गारन्टी बांड स्वीकार किए जाते रहे हैं। गारन्टी बांड पर देय स्टाम्प ड्यूटी संबद्ध राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। गुजरात सरकार के समाहर्ता एवं सहायक स्टाम्प अधीक्षक ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को सूचित किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले लोग जो गारन्टी बांड देते हैं उस पर बम्बई स्टाम्प अधिनियम, 1958 के अनुच्छेद 54 (ख) के अनुसार 16 50 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी ली जानी चाहिए क्योंकि गारन्टी बांड 'सुरक्षा बांड' की श्रेणी के अन्तर्गत आता है, और यह अनुरोध किया कि सभी संबद्ध व्यक्तियों को सूचित कर दिया जाए। तदनुसार अहमदाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी 1 अक्तूबर, 1973 से बढ़ी हुई दर पर अर्थात 16:50 रुपये के हिसाब से गारन्टी बांड स्वीकार करता रहा था। 26 अगस्त, 1975 से गुजरात सरकार ने स्टाम्प कागज का मूल्य फिर बढ़ाकर 22.00 कर दिया था और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी तदनुसार उसी तारीख से 22:00 रुपये मूल्य के स्टाम्प कागज पर गारन्टी बांड स्वीकार कर रहा है।

(घ) अहमदाबाद में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने उन आवेदकों से, जिन्होंने अपने आवेदन 1 अक्तूबर, 1973 से पहले भेजे थे, इन दोनों स्टाम्प कागजों के अन्तर की राशि नहीं ली है।

Implementation of Recommendations of Third Pay Commission

4347. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether the recommendations of the Third Pay Commission have not been implemented so far in respect of many Medical Officers working in the C.G.H.S. dispensaries;

(b) if so, the reasons for inordinate delay in this regard and when these recommendations will be implemented;

(c) whether Government had taken a decision to the effect that Union Public Service Commission qualified Medical Officers selected by the Union Public Service Commission serving in C.G.H.S. dispensaries prior to 1st January, 1973 will be absorbed in the pay scale of Rs. 700-1300; and

(d) if so, the reasons for keeping such medical officers in the pay scale of Rs. 650—1200 and when they will be given pay scale Rs.700—1300

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a), (b), (c) & (d). In the light of the recommendations of the Third Pay Commission, it was decided that all the junior Medical Officers in the Central Health Service who were in position on the 1st January, 1973, may be placed in the revised Class I Junior scale of Rs. 700--1300 after screening by a Selection Committee. Out of about 1300 doctors in the C.G.H.S., 639 officers have since been

placed in the revised Class I Junior scale of Rs. 700-1300. 171 cases have been taken up with the Union Public Service Commission. About 170 cases are pending for want of C.Rs and the participating organisations have been reminded to expedite the C.Rs. of the officers. On receipt of these C.Rs. their cases will be taken up with the Commission. This include certain officers working in the C.G.H.S.

Regarding the remaining 320 officers who were appointed after 1-1-1973, the decision of the U.P.S.C. on the mode of their placement has been received from the Commission recently and these cases are being taken up with the Commission.

On representation from some officers for grant of revised scale of pay, they have been allowed provisionally Class II Standard scale of Rs. 650-1200 till their placement in the revised Class I Junior scale.

गुजरात के डाक तथा तार कर्मचारियों को आवास तथा चिकित्सा संबंधी सुविधायें

4348. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के डाक तथा तार कर्मचारियों को आवास तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इन कर्मचारियों ने उन्हें बताया है कि अन्य राज्यों के डाक तथा तार कर्मचारियों की तुलना में उनके साथ उदासीनता का व्यवहार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में इनकी सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा):(क) (ख) (ग) और (घ) आवास और चिकित्सा सेवाओं के मामले में गुजरात के डाक-तार कर्मचारियों को वही सुविधायें मिल रही हैं, जो उनके अन्य राज्यों के साथियों को मिल रही हैं। गुजरात में 1/4/1977 को डाक-तार कर्मचारियों के लिये 1294 क्वार्टर उपलब्ध थे, जबकि कर्मचारियों की कुल संख्या 28,372 थी। 36 क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है और आशा है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह कार्य पूरा हो जायेगा। इस वर्ष के दौरान 150 अन्य क्वार्टरों का निर्माण कार्य भी हाथ में लिया जा रहा है।

जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का प्रश्न है, डाक-तार कर्मचारी, जिनमें गुजरात के डाक-तार कर्मचारी भी शामिल है, उन सभी चिकित्सा सुविधाओं के अधिकारी हैं जो केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के अन्तर्गत अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। इनके अलावा, जिन स्थानों पर डाक-तार कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, वहां कर्मचारियों और उनके परिवारों के वहिरंग उपचार के लिये विशेष डाक-तार औषधालय खोले गये है। इस समय गुजरात में अहमदाबाद और बड़ौदा में ऐसे डाक-तार औषधालय काम कर रहे हैं।

उड़ीसा में नदी-तल में पाया गया स्वर्ण

4349. **श्री समरेन्द्र कुंडु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ नदी-तलों और अन्य स्थानों में स्वर्ण खनिज के निक्षेपों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा के ढोनकनाल, क्योंझर, कोरापुर, मयूरभंज, सम्बलपुर तथा सुन्दरगढ़ जिलों की कुछ नदियों के जल के भीतर छुटपुट माता में सोना होने की सूचना मिली है ।

उड़ीसा के खनन तथा भूतत्व विभाग ने क्योंझर में कुछ स्वर्णमय धारियों की भी खोज की है लेकिन सोने की माता आर्थिक दृष्टि से उपादेय नहीं है ।

उड़ीसा में क्रोमाइट खानों में श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी

4350. **श्री समरेन्द्र कुंडु :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की क्रोमाइट खानों में कार्य कर रहे खान श्रमिकों के लिये कोई न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किस दर पर और यह मजूरी कब निर्धारित की गई थी ;

(ग) क्या इसे उड़ीसा में कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(घ) क्या उड़ीसा के केन्द्रीय श्रम विभाग ने अधिक मजूरी दर का सुझाव दिया था; और यदि हां, तो अधिक मजूरी क्या थी ; और

(ङ) क्या सरकार क्रोमाइट खानों में काम कर रहे उड़ीसा के खान श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी में आगे वृद्धि करने पर विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन क्रोमाइट खानों में न्यूनतम मजदूरी जून, 1976 में अधिसूचित की गई थी । अधिसूचित दरें इस प्रकार हैं :—

अकुशल श्रमिक——5.80 रुपये प्रति दिन

अर्ध कुशल श्रमिक——7.25 रुपये प्रति दिन

कुशल/लिपिक कार्मिक——8.70 रुपये प्रति दिन

उपर्युक्त दरें उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(घ) और (ङ) जी नहीं ।

डी-आई-जेड क्षेत्र, नई दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन का लगाया जाना

4351. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी-आई-जेड क्षेत्र, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में बाहरी किस्म के सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Centres and Hospitals For Cancer Treatment

4352. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2801 on the 7th July, 1977 regarding increase in cancer incidence and state the locations of centres for Cancer diagnosis and the hospitals for its treatment in the country?

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): The requisite information is given in the statement enclosed.

[Placed in Library See No. L.T. 786/77].

Opening of Indian Cultural Organisations Abroad

†4353. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Government of India propose to open new cultural organisations in foreign countries;

(b) if so, the names of those countries; and

(c) the salient features of the proposal?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) & (b) : The question of opening new Cultural Centres abroad in addition to the existing ones in Fiji and Guyana is being examined by the Government of India.

(c) Indian Cultural Centres abroad are equipped with library-*cum*-reading rooms. Each centre conducts regular classes in Indian dance and music as well as Hindi Language and organises from time to time film shows, lectures and cultural programmes. The dance and music teachers tour neighbouring areas also to give performances occasionally.

Opening of Ayurvedic Hospital in Villages

4355. **Shri Lalji Bhai :** Will the **Minister of Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Ayurvedic dispensaries throughout the country, State-wise, as also the locations thereof;

(b) whether Government are considering a proposal for opening Ayurvedic hospitals in small villages; and

(c) if so, the details thereof?.

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a), (b) and (c). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

Missing Money Orders

†4356. **Shri Lalji Bhai :** Will the **Minister of Communications** be pleased to State:

(a) whether every year many money orders do not reach their destinations ;

(b) the total number of such cases as came to light in the country during the last three years; and

(c) the action taken by Government in these cases?

Minister of Communications (Shri Brijlal Verma) : (a) Some complaints are received every year about loss of money orders in transit and their consequent non-payment. Immediate action is taken to settle such cases by issuing duplicate money orders and payment made expeditiously to the payee/remitter as the case may be, once the loss of the money order is established.

(b) & (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Introduction of Acupuncture System

4357. **Shri Lalji Bhai** : Will the **Minister of Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether a man in Delhi named Baba Bahadurshah treats asthama and epilepsy with 'acupuncture' system;

(b) whether acupuncture system ismuch prevalent in China and Government of India also want to introduce this system in India; and

(c) if so, the details in this regard?

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj!Narain) : (a) Government have no information.

(b) & (c): The acupuncture technique of Chinese indigenous System of Medicine is prevalent in China. No policy decision regarding introduction of this system in India has been taken. However, there are persons trained in this technique who are practising acupuncture in this country.

Complaints Regarding Missing Money Orders

†4358. **Shri Lalji Bhai** : Will the **Minister of Communications** be pleased to state:

(a) whether complaints are received constantly from various places in the country that in many cases money orders do not reach the payees, nor any action is taken on the complaints lodged by them;

(b) if so, the number of such cases that came up before Government during the last three years, year-wise;

(c) the number of such cases settled so far; and

(d) the number of guilty persons punished?

Minister of Communications (Shri Brijlal Verma) : (a) Some complaints regarding loss of money orders and their consequent non-payment are received every year. Immediate action is taken to issue duplicate money orders once the loss is established and payment is made to the remitters/payees as the case may be.

(b) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आसाम डाक-तार कर्मचारियों को चिकित्सा और आवास सुविधाएं

4359. **श्री निहार लास्कर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार कर्मचारियों के आवास के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक करोड़ रुपये रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसमें से आसाम राज्य में वहां डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के लिए कितनी राशि खर्च की जाएंगी ;

(ग) क्या वहां डाक तार कर्मचारियों का काम बहुत कठिन है और उन्हें अधिक घण्टों तक काम करना पड़ता है ;

(घ) क्या सरकार उन्हें आवास और चिकित्सा संबंधी अधिक सुविधाएं देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) देश भर में डाक-तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए संघ के बजट में शुरू में 6 करोड़ रुपये की धनराशि नियत की गयी थी । किन्तु हाल के बजट में 1 करोड़ रुपये की रकम और बढ़ा दी गयी है ।

(ख) 12.85 लाख रुपये ।

(ग) सारे देश में डाक-तार कर्मचारियों के कार्य का प्रकार और कार्य के घंटे सामान्यतया एक जैसे हैं ।

(घ) और (ङ) सरकार सभी क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों को साधनों की सम्पूर्ण सीमाओं के भीतर अधिक से अधिक आवास और चिकित्सा सुविधाएं देने का प्रयास करती है ।

असम में इस समय 1596 रिहायशी क्वार्टर उपलब्ध हैं जब कि नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 14478 है । 65 अतिरिक्त क्वार्टर बनाए जा रहे हैं । आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन में से 43 क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा ।

सारे देश के डाक-तार कर्मचारी केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1944 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अन्य सभी कर्मचारियों की भांति निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं पाने के हकदार हैं । जहां कहीं डाक-तार कर्मचारी बड़ी संख्या में हैं, वहां विशेष डाक-तार औषधालय खोले गये हैं । असम में ऐसे दो औषधालय गोहाटी और डिब्रूगढ़ में काम कर रहे हैं । इन औषधालयों में केवल डाक तार कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए ही बहिरंग उपचार की व्यवस्था है ।

Engagement of Minors in Manufacturing Bidi in M.P.

4360. **Shri Kachrulal Hemraj Jain :** Will the **Minister of Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the practice that workers in bidi factories in Madhya Pradesh are made to work more than 60 hours in a week; and

(b) whether work of manufacturing bidis is taken from minor children also in violation of Bidi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 and the action proposed to be taken by Government to check it?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) and (b) According to the information received from the State Government of Madhya Pradesh, the answer is in the negative.

Workers in Bidi Factories

4361. **Shri Kachrulal Hemraj Jain:** Will the **Minister of Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) the number of bidi factories in the country and the total number of workers working in these factories, State-wise; and

(b) the State-wise number of factories which were inspected last year to see if there is scarcity of accommodation, provision, of air, drinking water and lavatories etc. in these factories and the number of factories against which action was taken?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) and (b). The required information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House.

Improving Condition of Bidi Workers

4362. **Shri Kachrulal Hemraj Jain:** Will the **Minister of Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the facts that the places of work of bidi workers are dirty and unclean and there is want of drinking water as a result their health is affected adversely: and

(b) if so, the measures being taken by Government for improving the working condition of bidi workers?

Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) and (b) No specific complaint has been received by the Central Government. Provisions already exist under the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (which is enforced by the State Governments etc.) regarding maintenance of clean industrial premises and supply of wholesome drinking water to the workers by employers.

गुजरात में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्र

4363. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के पिछड़े इलाके में जिलावार कितने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्र खोले गये और कितने केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) वहां आदिवासियों और हरिजनों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) गुजरात के पिछड़े इलाकों में 64 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 63 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और 374 ग्रामीण उप-केन्द्र कार्यरत है । 1977–78 के दौरान किसी भी और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र को खोलने का विचार नहीं है । फिर भी, इस वर्ष के दौरान बड़ोच जिले में सोलिया स्थित तथा बलसर जिले में हनुमन्तवाड स्थित उप-केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें डिस्पेन्सिरियों में बदल दिया जायेगा । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामोण परिवार कल्याण केन्द्रों और उपकेन्द्रों का जिलेवार व्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) इस राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों और उप-केन्द्रों का जाल बिछाकर आदिवासियों और हरिजनों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं :—

(1) चिकित्सा सहायता

(2) सफाई व्यवस्था का सुधार

(3) सुरक्षित पानी की व्यवस्था

(4) सैनिटरी टट्टियों की व्यवस्था

(5) संचारी रोगों का नियंत्रण :—

(क) चेचक, टेटनस और डिप्थीरिया से प्रतिरक्षण;

(ख) रोगियों को अलग रख कर इलाज करने की सुविधाएं;

(ग) डीहाइड्रेशन पाउडर की सप्लाई।

(6) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं :—

(क) प्रसवपूर्व सेवाएं;

(ख) प्रसवोत्तर सेवाएं;

(ग) शिशु-स्वास्थ्य सेवाएं ;

(घ) स्कूल पूर्व स्वास्थ्य देख-रेख।

(7) परिवार कल्याण सेवाएं।

(8) स्वास्थ्य-शिक्षा की सुविधाएं।

(9) प्रयोगशाला-सेवा की व्यवस्था।

(10) जन्म मृत्यु की पंजीकरण प्रणाली का सुधार।

विवरण

गुजरात राज्य के पिछड़े इलाकों में कार्यरत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या

जिले का नाम	कार्यरत केन्द्रों की संख्या		
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	ग्रामीण उप-केन्द्र
1. भड़ौच . . .	8	8	48
2. पंचमहल . .	16	16	104
3. सूरत . . .	14	13	72
4. बलसार . .	13	13	69
5. सावरकंठ .	6	6	40
6. बड़ौदा .	5	5	29
7. डंग . . .	2	2	12
योग .	64	63	374

बचत बैंकों में कार्यरत डाक कर्मचारियों को बोनस का भगतान

4364. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बचत बैंकों में काम करने वाले डाक कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : जी नहीं ।

केन्द्रीय परिवार नियोजन अनुसन्धान केन्द्र

4365. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय परिवार नियोजन अनुसन्धान केन्द्र की क्या गतिविधियां हैं ; और

(ख) क्या यह सांख्यिकीविदों और कलाकारों को प्रशिक्षण दे रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) केन्द्रीय परिवार नियोजन एवं अनुसंधान केन्द्र नाम की ऐसी कोई संस्था नहीं है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हो । फिर भी, बम्बई में परिवार नियोजन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र एक संस्था है जो इस मंत्रालय के अधीन है ।

इस केन्द्र की गतिविधियां इस प्रकार हैं :—

(1) (ए) भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा भेजे गए भिन्न-भिन्न वर्गों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का प्रशिक्षण देना ।

(बी) क्षेत्रीय कार्य के लिए तैनात किए गए छात्रों की निगरानी और उनका मार्गदर्शन करना ।

(2) भिन्न-भिन्न समुदायों की जनता के लिए शिक्षाप्रद कार्यक्रमों की व्यवस्था करना ।

(3) प्रशिक्षण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित अनुसंधानात्मक अध्ययन करना ।

(4) लोगों को परिवार कल्याण संबंधी तथा अन्य कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना ।

(ख) परिवार कल्याण (नियोजन) प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, बम्बई में सांख्यकों सौर कलाकारों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है ।

कुद्रेमुख आयरन और कंपनी

4366. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर स्थित कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी कब पंजीकृत हुई थी;

(ख) इस कम्पनी का उद्देश्य क्या है; और

(ग) उपर्युक्त कंपनी में पंजीनिवेश के लिए इस वर्ष क्या व्यवस्था की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख). कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० 2 अप्रैल, 1976 को बंगलौर में पंजीकृत की गई थी । यह कम्पनी कुद्रेमुख लौह अयस्क प्रायोजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी । इस प्रायोजना का उद्देश्य स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० तथा नेशनल ईरानियन स्टील इंडस्ट्रीज कम्पनी के बीच 4-11-1975

को हुए विक्रय और क्रय समझौते के अन्तर्गत 15 करोड़ टन लौह अयस्क सांद्रण का उत्पादन करने और उसे ईरान को सप्लाई करने तथा ईरान की शाही सरकार के साथ किये गये वित्तीय समझौते को कार्यान्वित करना है।

(ग) वर्ष 1977–78 के बजट में कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० में 136.97 करोड़ रुपये लगाने की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय होम्योपेथी संस्थान

4367. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान की स्थापना की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना किस प्रयोजन के लिए की गई थी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी हां।

(ख) यह संस्थान जिन उद्देश्यों से खोला गया है वे इस प्रकार हैं :—

1. होम्योपैथी के विकास और विस्तार को बढ़ावा देना।
2. स्नातक और स्नातकोत्तर होम्योपैथी तैयार करना।
3. होम्योपैथी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करना।
4. बीमार लोगों को होम्योपैथी के माध्यम से न लाभ-न-हानि के आधार पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध करना।
5. होम्योपैथी में अनुसंधान मूल्यांकन प्रशिक्षण परामर्श और मार्गदर्शी संबंधी सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध करना और इस कार्य में मदद करना।
6. होम्योपैथी के विभिन्न पहलुओं पर स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा के पैटर्नों के बारे में प्रयोग करना और उनका विकास करना।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना

4368. श्री एस० आर० दामाणी: क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत बनाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनके क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कौन से उद्योग चुने गये हैं और उनको जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का विवरण क्या है;

(ग) क्या इस बात का ध्यान रखने के लिए कोई निगरानी रखी जाती है कि योजना प्रशिक्षु अवधि के पश्चात् स्थायी रोजगार दिलाने में अथवा स्वनियोजित रोजगार प्रदान कराने में कहां तक लाभप्रद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). शिक्षु अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार शिक्षुओं को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसकी कार्यान्विति में प्राप्त प्रगति श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट 1976–77 (खंड II) में अध्याय I और अध्याय III में दी गई है जो लोक सभा में पहले ही पेश की जा चुकी है। अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट उद्योगों की सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०–787/77]

(ग) और (घ) जो हां मार्च, 1976 तक ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समाप्त किया 1,12,251 थी। 30 जून 1976 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज पास हुए शिक्षुओं की संख्या 24,634 थी। ये आंकड़े इस परिसीमा की वजह से बेकार हैं क्योंकि रोजगार कार्यालयों के साथ पंजीकृत सभी शिक्षु अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं और सभी पास हुए शिक्षु रोजगार कार्यालय में अनिवार्यतः पंजीकृत नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किये गये हैं कि रोजगार के मामले में पास हुए शिक्षुओं को नियोजकों द्वारा अग्रता का विचार दिया जाये।

पांच लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार

4369. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत पांच लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा बनायी गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के लिए चालू वर्ष में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है और उस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा; और

(ग) इस वर्ष तथा प्रत्येक आने वाले वर्ष में नये पंजीकरणों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को तेज करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क), (ख) और (ग). सहायता के लिए पात्र पाये गये उद्यमी शिक्षित बेरोजगारों को "बीज" धन और अन्य वित्तीय सहायता देने के लिए 1977–78 के केन्द्रीय बजट में 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त कृषि, सिंचाई, बिजली, खादी और ग्राम उद्योगों, रेशम उत्पादन हथकरघे, ग्रामीण क्षेत्रों में डाक व टेलीफोन संबंधी सुविधाओं और विस्तृत श्रृंखला में ग्रामीण अधः निर्माण संबंधी कार्यक्रमों, अन्य वस्तुओं की मदद के अन्तर्गत लाई गई टिकाऊ लिंक सड़कों और ग्रामवासियों के लिए पीने के पानी की पूर्ति के समान मदों के लिए केन्द्रीय बजट में अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है। आशा की जाती है कि इन योजनाओं से शिक्षित और अशिक्षित दोनों बेरोजगारों के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर उत्पन्न हो जायेंगे।

10 वर्षों के भीतर दारिद्रय को मिटाने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सरकार विकास के लिए रोजगारोन्मुख नीति का अनुकरण करने का प्रस्ताव रखती है। उच्च रोजगार तत्व सहित छठी पंच वर्षीय योजना बनाने के लिए योजना आयोग से कहा गया है।

गोंडल तालुका, राजकोट (गुजरात) के व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन

4370. श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या गुजरात में राजकोट जिले के गोंडल तालुका के** कोलिथड और **अन्य ग्रामों में बे**-

वहां स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के लिए वर्ष 1976 में टेलीफोन विभाग में 1000 रु० की धनराशियां जमा कराई गई हैं;

(ख) यदि हां तो उन व्यक्तियों और संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए धनराशि जमा कराई है और प्रत्येक मामले में कितनी और किस तारीख को धनराशि जमा कराई गई;

(ग) उन्हें अब तक टेलीफोन कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उन्हें टेलीफोन कनेक्शन कब दिये जायेंगे; और

(ङ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) 13 आवेदकों ने अपनी टेलीफोन की मांग दर्ज कराने के लिए 15–9–76 को पेशगी धनराशि जमा कर दी थी।

(ग), (घ) और (ङ). उस इलाके में कोई टेलीफोन एक्सचेंज न होने के कारण ये कनेक्शन नहीं दिये जा सके। गुजरात दूरसंचार सर्किल के जनरल मैनेजर टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के एक प्रोजेक्ट एस्टीमेट की जांच कर रहे हैं। एस्टीमेट के मंजूर हो जाने और टेलीफोन एक्सचेंज के खुल जाने के बाद टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

दिल्ली में मेडिकल कालेजों का खोला जाना

4371. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ क्षेत्र दिल्ली में नये मेडिकल कालेजों के खोले जाने के बारे में काफी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी के देश में इस्पात स्टाक यार्ड

4372. **श्री के० प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाड़ी के देश में स्टाक यार्ड स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है जिससे पश्चिम एशियाई राष्ट्रों में इसके उत्पाद का वितरण के लिए इसका बेस के रूप में उपयोग किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस समय किन-किन देशों को भारतीय इस्पात का निर्यात किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) :(क) और (ख). सेल इन्टरनेशनल लि० जोकि लोहे और इस्पात के निर्यात के लिये माध्यम अधिकरण है खाड़ी के देश में स्टाकयार्ड स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रहा है जिससे पश्चिम एशियाई देशों को इस्पात का अधिकाधिक निर्यात किया जा सके।

(ग) गत तीन वर्षों में जिन देशों को इस्पात का निर्यात किया गया है उनके नाम हैं :—

1. आबूधाबी 2. अदन 3. अफगानिस्तान 4. आस्ट्रेलिया 5. बहरीन 6. बंगला देश 7. बर्मा 8. मोजम्बिक 9. बलगारिया 10. बेल्जियम 11. चेकोस्लोवाकिया 12. दोहा 13. दुबई 14. डी० पी० आर० कोरिया 15. इथियोपिया 16. मिस्र 17. यूनान 18. हांक-कांग 19. हालैंड 20. ईराक 21. ईरान 22. इटली 23. इंडोनेशिया 24. जापान 25. जार्डन 26 कुवैत 27. कीनिया 28. लीबिया 29. लेबनान 30. मास्कट 31. मैक्सिको 32. मारिशस 33. मलयेशिया 34. नाइजीरिया 35. फिलिपाइन 36. पाकिस्तान 37. पोलैण्ड 38. रुमानिया 39. स्वीडन 40. सीरिया 41. साऊदी अरब 42. सिंगापुर 43 श्रीलंका 44. तुर्की 45. तंजानिया 46. थाइलैंड 47. ताइवान 48. अमरीका 49. इंगलैंड 50. सोवियत रूस 51. वेनेजुएला 52. यूगोस्लाविया 53. यमन 54. जांबिया 55. सेंचलीज।

डाक तार विभाग के लिए माइक्रोवेव उपकरण

4373. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के लिये माइक्रोवेव उपकरणों की सप्लाई के लिये हंगरी की बुडावोक्स कम्पनी को तुरन्त क्रयादेश दिये जा रहे हैं ;

(ख) क्या कम्पनी द्वारा 3 वर्ष पूर्व सप्लाई किये गये 10 करोड़ रुपये मूल्य के माइक्रोवेव उपकरण से सरकार ने अपनी सन्तुष्टी कर ली है ;

(ग) इस सौदे से संबंधित व्यक्तियों के नाम क्या हैं / थे और क्या सरकार को किन्हीं अनियमितता के मामलों का पता लगा है ;

(घ) क्या मैसर्स एरिक्सन इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा सप्लाई किये गये दूरसंचार उपकरणों के मामले में भी किसी अनियमिता का पता लगा है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) 3 वर्ष पहले ऐसे कोई उपस्कर सप्लाई नहीं किए गए थे। फर्म को 1973 में जो आर्डर दिया गया था उस पर उपस्कर की सप्लाई 1976–77 में पूरी की गई थी। एक सेक्शन में उपस्कर लगाने का काम पूरा हो गया है। स्थापित उपस्कर संतोषजनक है और उसकी जांच की जा रही है।

(ग) विशेषज्ञ दलों द्वारा प्रस्तावों के व्यौरेवार मूल्यांकान और सरकार के अनुमोदन के बाद ये उपस्कर खरीदे गए हैं। इस खरीद से कोई एक अधिकारी संबंधित नहीं है। इस खरीद के संबंध में अनियमितता का कोई मामला संचार मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(घ) मैसर्स एरिक्सन इंडिया लि० कलकत्ता से दूरसंचार की मदों की खरीद के संबंध में अनियमितता का कोई मामला संचार मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाया गया है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक-तार विभाग के लिए क्रासबार एक्सचेंज उपकरण

4374. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद् में आलोचना के बावजूद डाक-तार विभाग के लिए क्रासबार एक्सचेंज उपकरण शीघ्र खरीद रही है ; और

(ख) क्या जापान की निप्पन इलैक्ट्रिक कम्पनी को उक्त उपकरण के अधिकाधिक क्रयादेश दिए जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) और (ख). पेंटाकोंटा किस्म का क्रासबार उपस्कर भारत में 1967 से लगाया गया है और यह उपस्कर संसद् में चर्चा का विषय रहा है । एक नई किस्म का क्रासबार उपस्कर सार्वदेशिक टेंडर मांगने के बाद विश्व बैंक के ऋण से हाल ही में जापान की दो कंपनियों से खरीदा गया है । निप्पन इलेक्ट्रिक कंपनी इन दो कंपनियों में से एक है । इस उपस्कर का कार्यकरण बेहतर है । भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हीं दोनों कंपनियों से येन क्रेडिट के अन्तर्गत ऐसे और उपस्कर प्राप्त करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र को आक्सीन वाल्व तथा बिरिंग की सप्लाई

4375. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत सहायता प्राप्त बोकारो इस्पात संयंत्रों के भंडार में आक्सीजन वाल्व तथा बियरिंग बहुत कम रह गये हैं क्योंकि सोवियत संघ ने नई दिल्ली को सूचित किया है कि वह कुछ समय के लिए इन महत्वपूर्ण मदों की सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है जैसाकि 17 अप्रैल॰ 1977 के इकानामिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख): बोकारो इस्पात कारखाने की माल-सूची में आक्सीजन वाल्व तथा बियरिंग की इतनी कमी नहीं हुई है जिससे इन मदों के देरी से प्राप्त होने अथवा न मिलने के कारण संयंत्र तथा मशीनरी को भारी क्षति पहुंच सके । जहां तक आक्सीजन वाल्वों का सम्बन्ध है सोवियत संघ ने सूचित किया है कि यह बोकारो की विशेष प्रकार की आक्सीजन वाल्व की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकेंगे चूंकि इन मदों का उनके देश में उत्पादन होना बन्द हो गया है । इस मद के लिये बोकारो कारखाना एक देशीय पार्टी को परीक्षण आर्डर दे रहा है तथा विश्वव्यापी निविदाएं भी आमंत्रित कर रहा है । जहां तक बियरिंग का प्रश्न है सोवियत संघ इनकी सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है ।

(ग) प्रकाशित समाचार में व्यक्त की गई धारणा सही नहीं है ।

Steel Requirement

4376. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the estimated quantity of steel required for consumption in the country in 1977-78; and

(b) whether production would be made to the extent to meet this demand?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik): (a) The domestic consumption of mild steel during 1977-78 is estimated at 7·37 million tonnes.

(b) The indigenous production is expected to be much in excess of domestic demand except for certain sizes/grades of steel which still need to be imported. A target of about 2·41 million tonnes for export has also been fixed for 1977-78.

Domestic Servants

4377. **Shri Yagya Datt Sharma:** Will the **Minister of Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether Government propose to take some special steps to improve the lots of domestic servants;

(b) if so, the features thereof; and

(c) when the same would be implemented?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a), (b) & (c). There was a suggestion sometime ago concerning suitable legislation covering domestic workers. The matter is being examined in consultation with the State Governments.

Post Offices in Rural Areas

*4378. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the **Minister of Communications** be pleased to state :

(a) the rural area viz. the number of villages grouped together for which there was one Post Office in March, 1977; and

(b) the rural area viz. the number of villages for which there will be one Post Office after the next 5 years?

The Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) In March, 1977 average number of villages served per post office was 6·08.

(b) The number of Post Offices to be opened during the next five years cannot be exactly assessed at this stage as it is dependent on resource availability. However, it is expected that the average number of villages to be served per post office, after the next five years will be less than six.

Economic and Cultural Relations with South East Asian Countries

*4379. **Shri Om Prakash Tyagi:** Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state:

(a) the action already taken by Government to improve the economic and cultural relations with Sourth East Asian countries during the last three years; and

(b) the new steps proposed to be taken in this direction in future?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) Action taken to improve economic relations with South East Asian countries includes conclusion of trade agreements, participation in exhibition/fairs, conducting of markets surveys, bidding for international tenders, dissemination of trade information and exchange of trade delegations.

As a result of this, trade with most of these countries has greatly increased and industrial cooperation with them has made rapid progress during the last three years. In the field of cultural relations, Cultural Agreements were signed during the last three years with Vietnam and Thailand. Efforts to enter into similar agreements with Malaysia and Sri Lanka and to exchange cultural programmes with Philippines and Indonesia were continued. Besides, scholarships for higher studies and training in India have been awarded to students from a number of countries in this region.

(b) All avenues are being explored to enter into further collaboration in joint ventures with these countries. It is also proposed to enter into a trade agreement with Indonesia and to conclude a new trade agreement with Vietnam as soon as possible.

Efforts are also being continued to enter into formal Cultural Agreements and to intensify the exchange of cultural troupes, academicians and scholars and other cultural programmes with more and more countries in the South-East Asian region.

बोकारो स्टील लिमिटेड में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

4380. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त स्थान बोकारो क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियों के लिए रक्षित थे,

(ख) क्या इस वचनबद्धता को गत तीन वर्षों में विशेषकर आपात काल के दौरान तोड़ा गया था; और

(ग) यदि हां तो बोकारो स्टील लिमिटेड में विस्थापित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). बोकारो स्टील लिमिटेड में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए विस्थापित व्यक्तियों अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों तथा भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाती है। चुने हुए उम्मीदवारों की सूची में विस्थापित व्यक्तियों को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाती है। कंपनी के मृत कर्मचारियों के आश्रितों की चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मानवीय आधार पर नियुक्ति के लिए भी विचार किया जाता है। विशेष कार्यों के कुछ मामलों को छोड़कर जिनमें अधिक शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है तथा जिनके लिए रोजगार केन्द्र में योग्य विस्थापित व्यक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण सामान्य श्रेणी के भी उम्मीदवार भर्ती किये गये हैं इस नीति का लगातार पालन किया गया है।

चसनाला कोयला खान दुर्घटना

4381. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान सुरक्षा निदेशालय के अधिकारियों तथा प्रबन्धकों को इस बारे में पता लगा कि सतह पर पानी कहां से आया जिससे 5–4–1976 को बिहार में चसनाला खान में दुर्घटना घटी ; और

(ख) यदि हां तो सरकार का विचार उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनको खतरे का पता था परन्तु जिन्होंने सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की ; क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) चसनाला खान में 5–4–76 को हुई दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों की जांच करने के लिये नियुक्त जांच न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि क्वारी के तल में जमा जिस पानी से दुर्घटना हुई उसकी जानकारी चसनाला कोलियरी की 3/4 इन्कलाइन तथा क्वारीज के ऐजेंट व क्षेत्रीय प्रबंधक श्री दीपक सरकार को थी और यह दुर्घटना उनकी लापरवाही से हुई ।

(ख) रिपोर्ट तथा इस अधिकारी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा स्कूल आफ माइनिंग इंजीनियरिंग, क्योंजागढ़ से खान सर्वेक्षण में डिप्लोमा होल्डर

4382. **श्री गोविन्द मुण्डा :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्कूल आफ माइनिंग इंजीनियरिंग क्योंजागढ़ के खान सर्वेक्षण में डिम्लोमा होल्डरों की इसी संस्थान के माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डरों के समाज अर्हताप्राप्त सर्वेक्षण नहीं समझा जाता है ;

(ख) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) उड़ीसा स्कूल आफ माइनिंग इंजीनियरिंग क्योंजागढ़ के डिप्लोमा को इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित डिप्लोमों की सूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) इस संबंध में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा एक अभ्यावेदन प्राप्त हो चुका है जोकि उनके विचाराधीन है ।

क्योंजागढ़ में मुख्य डाकघर भवन का निर्माण

4383. **श्री गोविन्द मुंडा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्योंजागढ़ में मुख्य डाकघर भवन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या होगी ; और

(ग) भवन का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नकली औषधियां बनाने के कारण काली सूची में नाम शामिल किया जाना

4384. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन द्वारा नकली औषधियां बनाते हुये पकड़ी जाने वाली फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या उक्त फर्मों का नाम काली सूची में शामिल किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :(क) नकली दवाइयां बनाते हुए पकड़ी गई फर्मों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मैसर्ज वीरानी फार्मेस्यूटिकल्स, फरीदाबाद ।
2. मैसर्ज महाका फार्मा, हैदराबाद ।
3. मैसर्ज मेडिकेम लेबोरेट्रीस, हैदराबाद ।
4. मैसर्ज माडर्न ड्रग्स, हैदराबाद ।
5. मैसर्ज किंग केमिकल्स, हैदराबाद ।

(ख) फर्मों को काली सूची में रखने के लिए औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा औषध और प्रसाधन नियम 1945 के अधीन कोई प्रावधान नहीं है । तथापि, उपर्युक्त 1 से 4 फर्मों के विरुद्ध अभियोग चलाया गया है । क्रम संख्या 4 वाली फर्म को न्यायाल द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है । राज्य औषध नियंत्रक, आंध्र प्रदेश से उपर्युक्त क्रम संख्या 5 वाली फर्म के विरुद्ध अभियोग चलाने के लिए अनुरोध किया गया है ।

Airconditioning of Telephone Exchanges

4385. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the **Minister of Communications** be pleased to state:

(a) whether it is very necessary that Telephone Exchanges should be air-conditioned for proper functioning of machines there;

(b) if so, the number of Telephone Exchanges in the country where arrangements for air-conditioning do not exist; and

(c) the time by which Government propose to air-condition them?

Minister of Communications (Shri Brij Lal Verma) : (a) Yes, Sir. It is necessary to air-condition large automatic Telephone Exchanges of the MAX-I Type, both Strowger and Crossbar, for their satisfactory performance.

(b) 35 out of 236.

(c) In all these cases, is hoped that air-conditioning will be available progressively over the next 24 months.

चसनाला कोयला खान दुर्घटना

4386. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 दिसम्बर, 1975 को हुई चसनाला खान दुर्घटना के जांच प्रतिवेदन में यह

निर्धारित किया गया है कि पुरानी पद्धति को, जिसके कारण दुर्घटना हुई, वर्ष 1949 में तैयार की गई पुरानी संवैधानिक योजना में नहीं दिखाया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि खान सुरक्षा विभाग ने वर्ष 1949/1950 में उक्त पुरानी योजनाओं की जांच की थी और अपने कार्यालय में उसे उचित रिकार्ड के रूप में रखा था ; और

(ग) उक्त गम्भीर त्रुटि के लिए कौन जिम्मेदार है और सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख): चसनाला कोयला खान में 27–12–75 को हुई दुर्घटना के कारणों की जांच और तथ्यों का पता लगाने के लिए नियुक्त जांच न्यायालय ने इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया के अन्तर्गत एककों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4387. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत सभी एककों में विभिन्न सभी ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और कुल कर्मचारियों की तुलना में उनकी अलग-अलग प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में, विशेषकर आपात स्थिति के दौरान, की गई भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की प्रतिशतता के पुनः निर्धारित स्तर पर लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग): जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Allocation of Funds for Speeches in Hindi in UNO

*4388. **Shri Surendra Bikram** :
Shri Jagdambi Prasad Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state whether Government have since taken a decision to provide the requisite sum of Rs. 6 crores to facilitate the Minister of External Affairs to speak in Hindi in U.N.O.?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : No, Sir. No Expenditure would be incurred in the Minister of External Affairs making his Plenary Statement at the forthcoming U.N. General Assembly Session in Hindi since an advance copy of the English translation would be made available to the interpreters.

The introduction of Hindi as an official language of the United Nations would require an affirmative decision of the United Nations General Assembly. The cost of introducing an additional language as an official language of the United Nations at the present time has been estimated at approximately Rs. 12 crores for the first three years. The expenditure in the fourth year would be approximately Rs. 4·2 crores which could be expected to increase every year by an annual inflationery rate of 7·5 % ?.

बोकारो नगर योजना

4389. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड ने उकरिंड गांव को अधिगृहीत किया था ;

(ख) क्या ग्रामवासियों को कोई ऐसा वैकल्पिक स्थान नहीं दिया गया जहां ये लोग बस सकें;

(ग) क्या पुनरीक्षित योजना के अनुसार बोकारो स्टील लिमिटेड को नगर बसाने के लिए उक्त गांव की आवश्यकता नहीं होगी ;

(घ) क्या ग्रामवासी उक्त गांव को रखने के लिए मुआवजा वापिस करने के लिए तैयार हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उकरिंड गांव को बोकारो नगर योजना से निकालने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) बिहार सरकार ने बोकारो स्टील लमिटेड के लिए उकरिंड गांव लिया था ।

(ख) बिहार सरकार द्वारा गांव वासियों को वैकपिल्क स्थान दिए गए थे ।

(ग) बोकारो स्टील लिमिटेड को कारखाने की बस्ती के लिए इस भूमि की अवश्य जरूरत है ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा के पंचायत मुख्यालयों में टेलीफोन

4390. **श्री गोविन्द मुंडा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977–78 में उड़ीसा में किसी पंचायत मुख्यालय में टेलीफोन लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (ब्रज लाल वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान स्टील लि०, राउरकेला में कर्मचारियों की संख्या

4391. **श्री डी० अमात** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला में इस समय सभी श्रेणियों के पदों पर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ख) कुल कर्मचारियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या क्या है और उसकी प्रतिशतता कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) और (ख): 30 जून, 1977 को राउरकेला इस्पात कारखाने में सभी श्रेणियों के नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या और उसमें

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या तथा उनकी प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

30-6-77 को राउरकेला इस्पात कारखाने में कुल नियमित कर्मचारी	अनुसूचित जाति के कर्मचारी	अनुसूति जाति के कर्मजारियों का प्रतिशत	अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारी	अनुसूचित जन-के कर्मचारियों का प्रतिशत
36,701	3,069	8.36	6,060	16.51

Disparity in Salaries and Allowances

4392. **Shri Hukmdeo Narain Yadav** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the total number of class I, class II, class III and class IV employees working in Durgapur, Bhilai, Rourkela and Bokaro Steel Plants, class-wise and plant-wise and the class-wise amount spent on their salaries and allowances during 1975 and 1976;

(b) the officer who is getting the highest salary and the amount of his salary and the salary per month being paid to the lowest paid employee;

(c) whether Government propose to remove the disparity in salaries and allowances in order to bring about parity; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

वीरभूम में शाखा डाकघर

4393. **श्री गदाधर साहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वीरभूम में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने शाखा डाकघर हैं ;

(ख) कितने शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उप-डाकघर बनाया गया है ; और

(ग) डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर पी-सी-ओ समेत डाकघर बनाने की शर्तें क्या हैं ?

संचार मंत्री (ब्रजलाल वर्मा): (क) वीरभूम जिले के देहाती क्षेत्रों में 319 शाखा डाकघर हैं।

(ख) 1-4-74 से 30-6-77 तक की अवधि के दौरान तीन शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप-डाकघर बनाया गया है ।

(ग) डाकघरों का दर्जा बढ़ाने और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की शर्तों का उल्लेख विवरण पत्र में किया गया है ।

विवरण

(क) शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप-डाकघर बनाने की शर्तें :

(i) प्रस्तावित शाखा डाकघरों के मूल उप-डाकघर का 20 से अधिक शाखा डाकघरों से लेखा संबंध हो और उसके उप लेखा कार्य का विकेन्द्रीकरण करना आवश्यक हो ।

या

प्रस्तावित शाखा डाकघर में ही रोजाना 5 घंटे या उससे अधिक का कार्यभार होना चाहिए चाहे उसके मूल डाकघर के साथ 20 या उससे कम शाखा डाकघरों का संबंध हो ।

(ii) प्रस्तावित शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने पर देहाती इलाकों में सालाना 1000/- रुपये और शहरी इलाकों में सलाना 500/– रुपये से ज्यादा घाटा नहीं होना चाहिए ।

(ख) --सार्वजनकि टेलीफोन घर खोलने की शर्तें :

(i) सार्वजनिक टेलीफोनघर सामान्यतः उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां डाकघर हों बशर्ते कि यह योजना आर्थिक दृष्टि से लाभकर हो ।

(ii) घाटे की स्थिति में यह सुविधा गारंटी के आधार पर दी जा सकती है बशर्ते कि कोई इच्छुक पार्टी यह घाटा भरने के लिए तैयार हो ।

(iii) नीचे लिखी श्रेणियों के स्थानों के मामले में यह सुविधा इस शर्त पर दी जा सकती है कि साधारण इलाकों के मामले में अनुमानित राजस्व सालाना आवर्ती खर्च का कम से कम 25 प्रतिशत पिछड़े इलाकों के मामले में सालाना आवर्ती खर्च का कम से कम 15 प्रतिशत और पहाड़ी इलाकों के मामले में सालाना आवर्ती खर्च का कम से कम 10 प्रतिशत प्राप्त हो ।

(1) किसी काम कर रहे टेलीफोन एक्सचेंज से 40 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्थान

(2) मौजूदा एक्सचेंज के 12.5 किलोमीटर के भीतर स्थित वे स्थान जिनकी आबादी 5,000 हो (पहाड़ी और पिछड़े इलाकों के मामले में आबादी की शर्त पर ढील देकर इसे 25,00 कर दिया गया है ।

(3) पर्यटक और तीर्थ स्थान ।

(4) कृषि/सिंचाई और बिजली परियोजना स्थल/टाउनशिप ।

नीचे लिखे स्थानों के मामले में ये शर्तें हटा दी गयी हैं :

(क) जिला मुख्यालय (ख) उप मंडल मुख्यालय (ग) तहसील मुख्यालय (घ) उप तहसील मुख्यालय (ङ) खण्ड मुख्यालय (च) 10,000 से अधिक की आबादी वाले स्थान ।

अस्पतालों में चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए स्थान बढ़ाने के बारे में महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव

4394. डा० वंसत कुमार पंडित :
श्री शंकरराव माने :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने राज्य में अस्पतालों में चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए स्थान बढ़ाने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जाने के उपरान्त भी स्थानों को बढ़ाकर दुगना करने का निर्णय किया है और आवश्यक धन राशि उपलब्ध कराने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ग) क्या स्थान न बढ़ाये जाने पर छात्र तथा युवा संगठनों ने बड़े पैमाने पर आन्दोलन करने की धमकी दी है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) और (ख) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के सीटों में वृद्धि करने संबंधी महाराष्ट्र का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है । तथापि यदि इन सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए तो राज्य सरकार ने अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करने के बारे में अपनी इच्छा व्यक्त की है ।

(ग) और (घ) केवल वर्तमान वर्ष के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने के बारे में अनेक छात्रों और कुछेक संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इस विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इन प्रस्तावों पर अनुकूल दृष्टि से विचार कर रही है ।

परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करने के मामलों में पुरस्कार

4395. **डा० वसन्त कुमार पंडित: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने अधिकारियों को परिवार नियोजन के लिये व्यक्तियों को प्रेरित करने के मामलों में पुरस्कार दिया गया उन्हें किस प्रकार का पुरस्कार दिया गया और इस पर राज्यवार कितना व्यय हुआ ;

(ख) क्या इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बल प्रयोग एवं अन्य गैर-कानूनी दबाव सहित सभी अनुसूचित तरीके अपनाये; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनसे पुरस्कार की राशि वापस लेने और पद तथा स्थिति के दुरुपयोग के लिये उन्हें सजा देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री राज नारायण : (क) (ख) और (ग) इस सम्बन्ध में अभी तक केवल महाराष्ट्र मणिपुर उड़ीसा केरल और पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों से ही उत्तर आये हैं और ये संलग्न विवरण में दिखाये गये हैं ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	(क) भाग	(ख) भाग	(ग) भाग
1.	महाराष्ट्र	कोई विशेष पुरस्कार प्रेरकों को नहीं दिया गया ।	प्रश्न नहीं उठता	
2.	मणिपुर	300 रुपये की राशि चार डाक-टरों को नसबंदी आपरेशन के उच्च निष्पादन के लिये दी गई ।	नहीं	प्रश्न नहीं उठता ।
3.	उड़ीसा	नहीं	प्रश्न नहीं उठता	

1	3	3	4	5
4	केरल	62 अधिकारियों को कुल 6525 रुपये के खर्चों के पुरस्कार दिये गये ।	प्रश्न नहीं	उठता
5.	पश्चिम बंगाल	106 अधिकारियों को पुरस्कार दिये गये, 52 को मेडल दिये गये और 54 को नकद पुरस्कार दिये गये । मेडल पर 624 रुपये और नकद पुरस्कारों पर 14,450 रु० व्यय हुए ?	नहीं	नहीं
6.	अरुणाचल प्रदेश	नहीं	प्रश्न नहीं उठता	
7.	दादर और नगर हवेली	नहीं	प्रश्न नहीं उठता	
8.	पांडिचेरी	नहीं	प्रश्न नहीं उठता ।	

जापान से दूरसंचार के उपकरणों की खरीद

4396. **श्री बलदेव प्रकाश** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने 1977 में उस देश से दूर संचार के उपकरणों की खरीद के लिए 3 करोड़ डालर का ऋण दिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य देशों से टेंडर मंगाये बिना संचार मंत्रालय का निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड को क्रयादेश देने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि 1974 में तथा उससे आगे निम्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड को बिना टेंडर मंगाये करोड़ों रुपयों के क्रयादेश दिए गए थे ; और

(घ) यदि हां, तो निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी के मामले में टेंडर मंगाने की सामान्य रीति को क्यों छोड़ा गया था ?

संचार मंत्री (श्री बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग): भारत सरकार ने सार्वदेशिक टेंडरों के आधार पर विश्व बैंक के ऋण समय समय पर निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी और अन्य जापानी फार्मों तथा दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों को भी आर्डर दिए हैं । ये आर्डर तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों के दलों द्वारा मूल्यांकन करने और विश्व बैंक की सहमति प्राप्त करने के बाद दिए गए हैं ।

यदा-कदा उपस्कर की अतिरिक्त मात्रा भी उन्हीं प्रतियोगी मूल्यों पर खरीदी गई है ; जो विश्व बैंक के ऋण से खरीद के लिए स्वीकृत किए गए थे ।

उपर्युक्त सारांश के अतिरिक्त निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी से अन्य कोई खरीद नहीं की गई है ।

सरकार येन ऋण से जापान की फार्मों से उन्हीं मूल्यों पर उपस्कर खरीदने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है जो विश्व बैंक के ऋण से खरीद के लिए स्वीकृत किए गए थे और जो प्रतियोगी भी हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैक्टरियों के बन्द होने, जबरी छुट्टी और तालाबन्दी की घटनाओं में वृद्धि

4397. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के औद्योगिक क्षेत्रों में हाल में मालिकों/प्रबंधकों की मनमानी नीतियों के कारण फैक्टरियों के बन्द होने, जबरी छुट्टी तथा तालाबन्दी की घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में गत दो वर्षों के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों के हितों तथा देश के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

Leasing out of an Island by Maldives Government

†4398. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Government of Maldives in the Indian Ocean is leasing an island to America or to some other country for its devlopment;

(b) whether he has ascertained the facts in this regard; and

(c) if so, the outcome thereof?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a), (b) and (c). In May-June 1976, the Government of Maldives had inserted advertisements in international press inviting offers for the lease of the tiny island of Gan, in the southern-most A toll of the Maldivian Archipelago, along with its existing facilities, for any reasonable use. A number of offers were reported to have been received by the Government of Maldives, but the Government of India are not aware that any final decision has been taken by the Government of Maldives in the matter. The Government of Maldives is engaged in developing its tourists potential and it appears that they would like to develop Gan also as a tourist complex with foreign collaboration.

एस० सी० बी० मैडिकल कालेज, कटक

4399. **श्री गोविन्द मुंडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977–78 के दौरान एस० सी० बी० मेडिकल कालेज कटक के कैंसर विंग में सुधार करने और उसे पूर्ण रूपेण उपकरणों से लैस करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) :(क) भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश इन्दौर

4400. **श्री फूल चन्द वर्मा : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पद के लिए निर्धारित अर्हताएं क्या हैं और क्या वर्तमान पदधारी की नियुक्ति इन अर्हताओं के आधार पर की गई थी ;

(ख) प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर द्वारा आपात स्थिति के दौरान कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, सेवा से निकाला गया तथा राज्य में अथवा राज्य से बाहर स्थानान्तरित किया गया और उनके स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या वर्तमान सरकार की नीतियों के अनुसार इन कर्मचारियों को सेवा में वापस ले लिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) समय समय पर यथा संशोधित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (आयुक्त) भर्ती नियमावली 1966 के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पद 2000–125/2–2250 वेतन मान में पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांन्तरण द्वारा भरा जाना अपेक्षित है । विभागीय पदोन्नति 1500–1800 रु० के वेतन मान के ऐसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों (विशिष्ट ग्रेड) के ग्रेड में से की जानी अपेक्षित है जिनकी नियमित आधार पर नियुक्ति होने पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी हो गई हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति आई० ए० एस० अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा या केन्द्रीय सेवाओं के श्रेणी के ऐसे उपयुक्त अधिकारियों में से की जानी अपेक्षित है जो भारत सरकार के सचिवालय में निदेशक के रूप में नियुक्ति के पात्र हों । अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अधीन समान पदों पर आसीन हों ऐसा न होने पर ऐसी नियुक्ति ऐसे अधिकारियों में से की जायेगी जिनकी 1500–1800 (संशोधित) वेतनमान वाले पदों पर यह केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अधीन समान वेतनमान के पदों पर कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो गई हो ।

इन भर्ती नियमों के अनुसार वर्तमान पदधारी को पदोन्नति पर विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया गया । संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य इस समिति का अध्यक्ष था ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

Statement made by Indian : High Commissioner in U.K.

4401. **Shri Mritunjay Prasad Verma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the official letter of Shri B.K. Nehru, India's High Commissioner in U.K., appearing in the 'Times', London about the treatment toward the political prisoners in the Indian Jails in which he has stated that "the care and the concern showed by the State authorities upon the welfare of the detenus who are wellhoused, well-fed and well-treated is almost maternal";

(b) what was the basis on which Shri Nehru wrote such a letter and how far he (the Minister) confirms/supports this statement by his personal experience and information;

(c) whether even after such statements given by Shri B.K. Nehru, Government considers it in the interest of the country to allow him to continue as its representative there; and

(d) the names of the members or near relations of the Nehru Family who have been appointed ambassadors in the foreign countries so far besides Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit, S/Shri R.K. Nehru and B.K. Nehru?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): Yes, Sir. In a letter to the Sunday Times which appeared in their issue of 6 June 1976, Shri B.K. Nehru, India's High Commissioner in U.K., *inter alia*, stated: "I do not therefore deem it necessary to make any comment on the charges about the number of people under arrest, or about their being tortured, except to reproduce, purely as a matter of interest, an extract from a judgement of the Supreme Court of India where allegations of ill-treatment of detenus were made: 'The care and concern bestowed by the State authorities upon the welfare of the detenus who are well-housed, well fed and well treated is almost maternal". The quotation under reference, however, is from a separate judgement delivered by Shri Justice H.M. Beg.

(b) Instructions along with background information had been issued by the former Government to Indian Missions abroad to explain and justify the declaration of emergency and other acts and measures. It is one of the duties of representatives serving in Missions abroad to explain as plausibly as possible the actions and policies of the Government that is in power. I do not subscribe to the views expressed in the extract quoted by the High Commissioner.

(c) As already stated by me in answer to Unstarred Question No. 1630 on 23rd June 1977, Shri B.K. Nehru is expected to relinquish charge on completion of his assignment within a period of three months.

(d) Shri A.K. Dar served as an Ambassador and has since retired. Shri A.N. Mehta is currently serving as Ambassador of India in Mexico. Both these officers belong to the Indian Foreign Service and were appointed Ambassadors in their capacities as senior members of the Service.

दिनांक 7-7-1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2800 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO U.S.Q. 2800 DATED 7-7-1977

7—7—77 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2800 में श्री आर० के० महालगी ने पूछा था कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे अस्पतालों में बाह्य रोगी के रूप में इलाज करवाने के लिए आने वाले किसी भी रोगी से कोई पैसा न लें ; यदि हां, तो यह अपील कब जारी की गई थी और राज्यों ने इसके बारे में क्या उत्तर दिए हैं । हमने इस प्रश्न के सभी भागों का उत्तर नकारात्मक दिया था ।

तथापि, प्रश्न के भाग (क) का उत्तर वास्तव में 'जी हां' में है । जहां तक भाग (ख) का संबंध है यह बतला दिया गया कि 4 जून, 1977 को एक अपील जारी की गई थी ।

प्रश्न के भाग (ग) के संबंध में यह बताया जाता है कि अब तक केवल 8 राज्यों एवं। केन्द्रीय शासित प्रदेश से उत्तर मिले हैं जो इस प्रकार हैं —

(1) **उड़ीसा सरकार :** सरकारी अस्पतालों/क्लिनिकों में बाह्य इलाज के लिए आने वाले रोगियों से न तो कोई शुल्क लिया जा रहा है और ऐसा शुल्क लगाने के बारे में फिलहाल न कोई ऐसा प्रस्ताव ही है ।

(2) **कर्नाटक सरकार :** हमारे राज्य में बंगलौर शहर को छोड़ कर शेष स्थानों में सरकार द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों में रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाता है। बंगलौर में रेफरेल प्रणाली आरम्भ की गई है जिसके कारण वहां रोगियों से 25 पैसे प्रति रोगी लिया जाता है। तथापि, यह बात अस्पतालों के अधीक्षकों पर छोड़ दी गई है कि वे चाहें तो वास्तव में गरीब और पैसा न दे सकने वाले रोगियों से रजिस्ट्रेशन फीस लें या न लें।

(3) **गुजरात सरकार :** 'गुजरात राज्य में राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी औषधालयों और अस्पतालों में हम ऐसी कोई फीस नहीं ले रहे हैं।'

(4) **पंजाब सरकार :** 'पंजाब सरकार के अस्पतालों, औषधालयों, प्राथमिक वास्थ्य केन्द्रों में सरकारी कर्मचारियों और मुफ्त इलाज पाने के हकदार लोगों के अलावा बाहरी रोगियों से 10 पैसे के हिसाब से पर्ची फीस ली जाती है। जिन गरीब व्यक्तियों के पास अपनी आय का कोई साधन नहीं है, उनके लिए अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी को छूट है कि वह उनसे पर्ची फीस न ले। किन्तु यह छूट पुरे दिन में आने वाले रोगियों में से 10 प्रतिशत रोगी तक सीमित हैं।'

(5) **सिक्किम सरकार :** 'सिक्किम राज्य में राज्य के विभिन्न अस्पतालों के बाह्य रोगी विभाग में इलाज के लिए आने वाले रोगियों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। गरीब रोगियों का पूरा इलाज राज्य के धन से मुफ्त किया जाता है।'

(6) **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन :** 'जहां तक इस संघ शासित क्षेत्र के अस्पतालों, औषधालयों, का संबंध है, इलाज के लिये आने वाले बाहरी रोगियों से इस समय कोई फीस नहीं ली जा रही है।'

(7) **हिमाचल प्रदेश सरकार :** 'इस राज्य में गरीब लोगों से चिकित्सा शुल्क नहीं लिया जा रहा है। बाकी लोगों को इस शुल्क से छूट देने के मामले पर सरकार विचार कर रही है।'

(8) **राजस्थान सरकार :** 'सौभाग्यवश राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।'

अध्यक्ष का चुनाव

ELECTION OF SPEAKER

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। अब श्री मोरारजी देसाई अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि श्री के० एस० हेगड़े को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

श्री यशवन्त राव चव्हाण (सतारा) : मैं प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री के० एस० हेगड़े को, जो इस सभा के सदस्य हैं, इस सभा का अध्यक्ष चुना जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : इसके पहले कि सभा के नेता और विपक्ष के नेता श्री के० एस०हेगड़े को अध्यक्ष पीठ तक ले जायें, मैं श्री हेगड़े को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर बधाई देना चाहता हूं । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं अध्यक्ष पद के कार्य-संचालन में उनका सहायक रहूंगा ।

अध्यक्ष का पद सुखद पद्र नहीं है । यह कांटों का ताज है । क्योंकि सभा के दोनों ओर से दबाव पड़ता है और जब श्री हेगड़े इस पद पर यहां होंगे तो उन्हें इन दबावों से संघर्ष करना होगा । परन्तु मुझे विश्वास है कि एक न्यायाधीश और विधायक होने के नाते वह यह जानते हैं कि इन दबावों से कैसे निबटा जा सकता है ।

पीठासीन अधिकारी को संसद की प्रक्रिया के अनुसार तथा संसद के लोकतंत्रीय ढंग से संचालन के लिए ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जैसी वह ठीक समझे । उन्हें किसी ख्याली अथवा राजनीतिक विचार के वशीभूत नहीं होना चाहिए । मुझे विश्वास है कि अध्यक्ष पद के कार्य-संचालन में आप इस सभा की इन सभी परम्पराओं को बनाए रखेंगे ।

मैं अब सदन के नेता और विपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूं कि वे आपको अध्यक्ष पीठ तक ले जायें ।

सदन के नेता तथा विपक्ष के नेता श्री के० एम०हेगड़े को अध्यक्ष पीठ तक ले गये

The Leader of the House and the Leader of the Opposition conducted Shri K.S. Hegde to the Chair.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair!*]

अध्यक्ष महोदय को बधाइयां

EFLICITATIONS TO SPEAKER

श्री मोरारजी देसाई : महोदय, आपको इस महान सदन के अध्यक्ष के रूप में देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं । आपने जो भी कार्य किया है, उसमें आपने अद्भुत बुद्धिमत्तापूर्ण सत्यनिष्ठा का परिचय दिया है और जब भी आवश्यकता पड़ी है तब आपने बिना किसी संकोच के त्याग करके विधि जगत में एक उल्लेखनीय छाप छोड़ी है । हमारे लिए यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको न केवल एक उत्कृष्ठ न्यायाधीश का ही अनुभव है, अपितु आपको एक विधायक का भी अनुभव है । यह आपके लिए अपने पद का कार्य संचालन में बड़ा सहायक होगा ।

हमने लोक तंत्र को बचा लिया है और हम लोकतंत्र में सशक्त हो गये हैं जिससे सुविधायें और कठिनाइयां दोनों ही उत्पन्न होती हैं । अब हम में से कोई भी अलोकतंत्रीय व्यवहार नहीं करेगा

और दमन के फलस्वरूप जो मनोवेग और आशायें उत्पन्न हो गयी हैं उनसे कुछ समय तक कठिनाइयां हो सकती हैं। परन्तु मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है कि ये कठिनाइयां आपकी बुद्धिमत्ता और न्याय से दूर हो जायेंगी।

मैं अपनी ओर से, अपने पक्ष की ओर से और यहां तक समूचे सदन की ओर से पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हम आपको आपके कार्य में पूरा सहयोग देंगे।

मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह कर आपको पुनः बधाई देता हूं कि राष्ट्र और संसद की गरिमा और स्वतन्त्रता आपके हाथों में सुरक्षित है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : अध्यक्ष पद पर चुने जाने के लिए आपको बधाई देने का यह खुशी का मौका है। आप के लिए यह उच्च पद कोई नया नहीं है, क्योंकि आपने अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है।

आपने न्याय पीठों में भी काम किया है। विधान मण्डल में कार्य के लिए भी आप कोई नए व्यक्ति नहीं हैं। इस सभा में आपको आए हुए दो महीने हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि आपको काफी अनुभव हो गया है, क्योंकि आप राज्य सभा के भी बहुत समय तक सदस्य रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप समस्याओं को राजनीतिक समझदारी से हल करेंगे।

अब आपसे मेरा अनुरोध है कि आप विपक्ष की सहायता करें। मैंने ऐसा इसलिए कहा है, क्योंकि विपक्ष ही सभा में संरक्षण चाहता है।

मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके पद को सभा में पुर्ण सम्मान दिया जाएगा। भविष्य में और आने वाले महीनों में भारत की जनता आप सहित हम सभी लोगों को आंकेगी, क्योंकि हम इस प्रभुत्व सम्पन्न सभा में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यह सभा भारतीय जीवन, भारतीय जनता, भारतीय लोकतंत्र का दर्पण है। अतः मैं आपको एक बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति समझता हूं कि आपने यह उत्तरदायित्वपूर्ण पद संभाला है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं अपने दल की ओर से आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चुने जाने के लिए बधाई देता हूं। देश के उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश और काफी समय तक विधायक रहने के नाते मैं समझता हूं कि आप अच्छे अध्यक्ष साबित होंगे, विशेषतया उस समय जब कि देश में सामान्य स्थिति नहीं है। आज जनता में अनेक कारणों से विशेषकर महंगाई के कारण असंतोष व्याप्त है। इसके साथ ही जनता में नयी जागृति पैदा हो रही है। जब कभी हरिजनों पर अत्याचार होते हैं तो इस नयी जागृति के अनुसार इनकी भर्त्सना की जाती है और उसे शीघ्र रोकने की मांग की जाती है। हम नेता लोग तो उनके विचारों को इस सभा में शीघ्र ही बताना चाहेंगे। इसके लिए सदस्यों को मौका दिया जाना चाहिए और वह आपके हाथ में है। इस कारण आपकी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है और हमें आशा है कि आप नयी जिम्मेदारियों को सफलतायूर्वक पूरा करेंगे।

मैं अपने दल की ओर से आपको आपके कार्य-संचालन में पूरा सहयोग दूंगा।

श्री अरविन्द बाला पजनोर (पांडिचेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अन्नाद्रमुक की ओर से आपको बधाई देता हूं। आप इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति हैं।

मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण में दिलचस्पी है और साथ ही साथ इस देश में यह लोकतंत्रीय ताकतों को भी प्रोत्साहन दे रही है।

[श्री अरविन्द बाला पजनौर]

महोदय मेरा यह अनुभव है कि आप इस सभा में यहां शक्तियों को विकेन्द्रित करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस सभा में अनुच्छेद 14 भली भांति लागू किया जाये तथा सदस्यों को इस सभा में समान अवसर प्रदान किये जायें, क्योंकि उनका अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति दायित्व है।

मुझे खुशी है कि एक न्यायाधीश एक राजनीतिज्ञ भी है। परन्तु उसे निर्णय देने में एक राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आपमें दोनों बातें हैं। यहां स्थिति न्यायालय से भिन्न है। न्यायालय में दो व्यक्तियों की दलीलें सुननी होती हैं, परन्तु इस सभा में पांच पांच व्यक्ति एक साथ बोलते हैं और अध्यक्ष के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है।

मैं आपको यह भी बता दूं कि हम सभी योग्य व्यक्ति हैं। अतः आपसे मेरा अनुरोध यह है कि आप हमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए उचित समय प्रदान करें।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, आपके सर्वसम्मति से चुने जाने पर मैं अपने दल की ओर से आपको बधाई देता हूं। आप कुछ ही सप्ताह पहले इस सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और इससे पूर्व आप राज्य सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अतः आप इन दोनों सदनों के कामकाज से भली प्रकार परिचित हैं। अध्यक्ष पद को आप चाहे कांटों की सेज कहो या फूलों की, यह तो व्यक्ति विशेष की मनोवृत्ति पर निर्भर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका न्यायाधीश के पद का बीस वर्ष का अनुभव अध्यक्ष पद के कार्य को सुचारु रूप से चलाने में काफी सहायक होगा। आपकी ईमानदारी और योग्यता सारे देश में सुविदित है। मुझे आशा है कि आप अपने विनिर्णयों में अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करेंगे।

श्री के० रघुरामैया (गुंटूर) : विपक्ष के नेता ने कहा है कि विपक्ष को आपके संरक्षण की जरूरत है। वास्तव में यदि किसी को संरक्षण की आवश्यकता है तो वह है निर्दलीय सदस्य। आपको न्यायपालिका और राजनीति दोनों का अनुभव होने की बात कही गई है। पर आप में और भी एक गुण है और वह गुण है सामान्य ज्ञान। इन सब गुणों का भण्डार आपके पास होने से आप इस पद की गरिमा को बनाये रखने और उसमें अभिवृद्धि करने में सक्षम हैं।

अमरीकी प्रणाली में अध्यक्ष को अधिक शक्ति प्राप्त है। पर ब्रिटिश प्रणाली में जिसका हमने अनुसरण किया है अध्यक्ष के अधिकारों की अपेक्षा उसकी प्रतिष्ठा अधिक है। हमें आशा है कि आपके कार्यकाल की समाप्ति पर हम यह कह सकेंगे कि आप ने इस पद को शक्ति, गरिमा और प्रतिष्ठा का पद बनाया है। आशा है कि आप प्रत्येक सदस्य के साथ समदृष्टि का व्यवहार करेंगे और हमारे सुपरिचित अध्यक्ष श्री पटेल के सिद्धान्तों का अनुसरण करेंगे।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : हमें गर्व है कि आप जैसे अनुभवी व्यक्ति इस पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। कार्यपालिका की मनमानी के कारण आपके साथ अन्याय हुआ पर आपने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देकर विश्व को यह बता दिया कि देश उस समय गलत दिशा में बढ़ रहा था। हमने भी उस समय अपना क्षोभ व्यक्त किया था पर थोड़ी संख्या में होने के कारण हमारी आवाज भारी बहुमत के शोर-शराबे में सुनाई नहीं पड़ी। जनता ने आपके साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया है। हम निर्दलीय सदस्य चाहे संख्या में कम हैं फिर भी कभी-कभी हम सभा की कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अतः आप से हम आशा रखते हैं कि आप हमें अपने विचार व्यक्त करने के अधिक अवसर प्रदान करेंगे।

श्री जार्ज मैथ्यू (मुवत्तुपुजा) : मैं अपने केरल कांग्रेसी संसदीय दल की ओर से आप के इस पद के लिए निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। यद्यपि आप इस पद के लिए नये हैं तथापि आप एक निष्पक्ष और प्रसिद्ध न्यायाधीश हैं। आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का अनुभव इस पद को महान बनाने में सहायक सिद्ध होगा। आप अपने अधिकार के लिए लड़े और हमें आशा है कि जब हम अपने अधिकारों के लिये लड़ें तो आप हमारी स्थिति को समझेंगे। हमारे दल की संख्या बहुत थोड़ी है पर जब हमारे राज्य का मामला यहां उठता है तब हमारा महत्व सामने आता है और आशा है कि ऐसे समय आप हमें शान्ति से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : इस सभा की इस गरिमामय और ऐतिहासिक पीठ पर पीठासीन होने पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आपके सर्वसम्मत चुनाव से मतभेदों के बीच एकता की भावना परिलक्षित हुई है। यह भविष्य के लिए एक शुभ शकुन है। आपके सर्वसम्मत चुनाव से वे कई समस्याएं हल हो जायेंगी जिनका कि हमें सामना करना होता है।

यह पद एक उच्चतम पद है जिसे हम सदस्य किसी एक सदस्य को दे सकते हैं। आप हममें से एक हैं इसलिए आप हमारे सम्मान के पात्र हैं। आपके अनेक पूर्ववर्ती माननीय अधिकारियों ने इस पद की गरिमा बढ़ाई है और देश के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। हमें पूरा विश्वास है आप भी इस पद की गरिमा को चार चांद लगायेंगे। आशा है कि इस सदन में उनके कार्यों और कथनों में उनकी निष्पक्षता, ईमानदारी, तथ्य, कल्पना, सूझबूझ और शिष्टाचार के गुण परिलक्षित होंगे जो इस सदन की कार्यवाही में काफी सहायक होंगे। हम सब को इस सभा में और बाहर जनजीवन में स्वतंत्रता, निष्ठा और निष्पक्षता के गुणों की आवश्यकता है। पर इन सब गुणों की अधिक जरूरत है उस व्यक्ति को जो इ समहान पद का अधिकारी है क्योंकि लोकतंत्र में इस पद का बहुत बड़ा महत्व है। हमें खुशी है कि इसका भार एक सुप्रसिद्ध विधिवेत्ता विशिष्ट संसदविद् और महान मानवतावादी व्यक्ति को सौंपा गया है।

श्री ए० ई० टी० बैरों (आंग्ल–भारतीय––नामनिर्देशित) : मुझे आपके निर्वाचन पर काफी प्रसन्नता है। इस सभा की कार्यवाही को दिशा देने के लिए आपकी बुद्धिमत्ता, कर्तव्यनिष्ठा और जिम्मेदारी की भावना को देखकर ही आपको सर्वसम्मति से इस महान पद के लिए चुना गया है। हम सभी सदस्य आपके निर्देश के अनुसार सभा की कार्यवाही में भाग लेंगे।

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) : मैं अपने छोटे दल की ओर से आपको इस पद पर निर्वाचित होने पर बधाई देता हूं। यह अच्छी बात है कि पीठासीन अधिकारी का चुनाव सर्व-सम्मति से हुआ है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष के पद का हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि हमारे देश ने सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संसद् को मुख्य पूरक साधन माना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके पद की भारी जिम्मेदारी है। आज हमारे देश में बहुदलीय राजनीतिक शक्तियों ने अपना स्थान बना लिया है। फार्वर्ड ब्लाक के सदस्य के रूप में मैं आप से अपेक्षा करता हूं कि आपके निर्देशन में इस बहुदलीय प्रथा का सम्मान होगा ताकि हम भी इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने में अपना तुच्छ योगदान कर सकें।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : अध्यक्ष पद के लिए आपके निर्वाचन पर मैं आपको बधाई देता हूं। मैं इस सभा का 21 वर्ष से सदस्य हूं पर उस तरफ के सदस्य जो बोलते हैं वह

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

मेरी समझ में नहीं आता। हो सकता है कि दक्षिण पर हिन्दी थोपे जाने के कारण इसके लिए मेरी द्वेषभावना जिम्मेदार हो। आशा है कि आपके मार्गदर्शन में इस नाजुक समस्या की ओर आप ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सदस्यों का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस पद पर सर्वसम्मति से निर्वाचित किया है और मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। इस सभा में सदन के नेता, विपक्ष के नेता तथा अन्य दलों के नेताओं और अन्य सदस्यों ने मेरे बारे में जो कुछ कहा है मैं उसके अनुरूप कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा।

अब से मैं सारे सदन का हूं और सभा के प्रत्येक वर्ग का मुझ पर हक है। मैं सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं और इस पद की गरिमा तथा अधिकार की रक्षा हेतु सदस्यों की सूझबूझ और सहयोग का प्रार्थी हूं।

मैं सब को आश्वासन देता हूं कि मैं सदस्यों दलों और क्षेत्रों के बीच कोई भेद नहीं करूंगा। मैं अपना कर्तव्य निर्भयता से निभाऊंगा। उसमें कोई पक्षपात नहीं होगा।

मैं जानता हूं कि हिन्दी की अच्छी जानकारी न होने के कारण मुझे अपने कर्तव्य पालन में कुछ कठिनाई होगी। पर मैं इस कमी को शीघ्र पूरी कर लूंगा। मैं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने और पारस्परिक सहानुभूति बनाये रखने के लिए सदस्यों के सहयोग की अपेक्षा रखता हूं जिससे कि लोकतंत्र का ठोस लक्ष्य प्राप्त करने और जनसाधारण का जीवन बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाये जा सकें।

प्रश्नकाल के दौरान संसद् सदस्यों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। सरकार के कार्यकरण पर अंकुश रखने का यह एक अच्छा साधन है। हम इस प्रक्रिया में विस्तार करने का प्रयास करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शीघ्र ही दलों और पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलाने का मेरा विचार है। हमारे प्रक्रिया नियम 25 वर्ष पुराने हैं। हम सभी चाहते हैं कि संसद् सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति लाने का एक साधन हो। इसलिए हो सकता है कि हमें अपने प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में और कार्यविधि में परिवर्तन करना पड़े। इन सब कामों के लिए मैं आप सभी के सहयोग की अपेक्षा रखता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

तीसरा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीद्र वर्मा) : महोदय, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभा में पेश किये गये प्रतिवेदन का पैरा 7 बड़ा ही विचित्र और अटपटा है जिसमें कहा गया है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 14वां प्रतिवेदन 8 मार्च, 1963 को सभा द्वारा स्वीकृत हुआ अर्थात् 14 वर्ष पहले।

अध्यक्ष महोदय : आप किस प्रतिवेदन की बात कर रहे हैं? यह प्रतिवेदन कार्य-मंत्रणा समिति का है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव–जारी

MOTION *Re.* ANNUAL REPORT OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1975-76—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : : श्री लकप्पा अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : शिक्षा मंत्रालय बंगलौर स्थित बिजनेस मैनेजमेंट संस्थान पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। इसलिए इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन किया जाना चाहिए। इस संस्थान में धन का दुरुपयोग हो रहा है। भ्रष्टाचार व्याप्त है। भवन निधि खाते से 5 लाख रुपये से अधिक की राशि भवन किराये पर लेने और कुछ लोगों को संरक्षण देने के नाम पर खर्च की गई है। गलत और गैर-कानूनी कार्यविधियों का सहारा लिया गया है। बंगलौर जैसे नैसर्गिक वातानुकूलित शहर में निवास स्थानों और कार्यालय को वातानुकूलित बनाने पर 3.35 लाख रुपया खर्च किया गया है। इमारत का बिना कब्जा लिये लाखों रुपया खर्च किया गया है। मनोरंजन के नाम पर काफी धन व्यय किया जाता है। निदेशक श्री रामास्वामी का निजी सहायक सिगरेटों पर 1900 रु० खर्च करता है। फोर्ड कारों का एक पूरा बेड़ा रखा हुआ है। मिनि-बसें हैं, जीपें हैं दो पहिए वाले वाहन और आटो-रिक्शा हैं।

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clocq.)

(मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर 5 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.)

[**श्री त्रिदिव चौधरी पीठासीन हुए**
Shri Tridib Chaudhuri *in the chair*]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव--जारी

MOTION *Re,* REPORT OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION 1975-76—*Contd.*

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : जिन भ्रष्ट तरीकों का मैंने पहले उल्लेख किया है मुझे आशा है कि मंत्री जी उनका निवारण करेंगे। इस सम्बन्ध में जांच का आदेश भी दिया गया था। पर उक्त व्यक्ति ने उसे भी सफल नहीं होने दिया।

इस संस्थान के सुचारु रूप से संचालन हेतु कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जाने चाहिएं। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन लाया जाना चाहिए और इसके लिए एक पृथक निकाय

[श्री के० लकप्पा]

बनाया जाना चाहिए। आयोग के प्रतिवेदन में उपयोगी सुझाव दिये गये हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाए गये हैं। इन परिवर्तनों में देश में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां प्रतिबिम्बित होनी चाहिएं।

आज हम देखते हैं कि बिना उद्देश्य के विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है। उनके लिए कोई मानदण्ड और सिद्धान्त निश्चित नहीं किये गये हैं। प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है।

खेद की बात है कि जिस जनता पार्टी के आन्दोलन का बिहार में छात्रों ने समर्थन किया था वही जनता पार्टी वहां छात्रों का दमन कर रही है। वहां के छात्रों ने इस विषय में गृह मंत्री श्री चरण सिंह को भी एक पत्र लिखा है। बिहार में जनता सरकार है। वहां 800 डाक्टरों को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया गया है। छात्रों ने डाक्टरों के विरुद्ध सभी मामले वापस लेने और गिरफ्तार व्यक्तियों को रिहा करने के सम्बन्ध में गृह मंत्री को एक ज्ञापन भेजा है। इतना ही नहीं उन्होंने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। यह स्थिति है छात्रों की बिहार में।

मेरे राज्य में कई सम्बद्ध कालेज हैं जिनका संचालन गैर-सरकारी लोग करते हैं। उनमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस पर कोई अंकुश नहीं है। वहां के छात्रों में असंतोष है। शिक्षा संस्थाओं में अर्ध-सैनिक संगठन कार्य कर रहे हैं। एक ही समुदाय द्वारा नियंत्रित एवं संरक्षित इन संस्थाओं द्वारा साम्प्रदायिक और अंधभक्ति की भावनाएं भड़काई जाती हैं। यह सब समाप्त होना चाहिए। कालेजों में प्रबन्धक अपनी ही जाति के लोगों को प्राध्यापक नियुक्त करते हैं। उपकुलपतियों की राजनीतिक आधार पर नियुक्ति होती है। पिछली सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। शिक्षा जगत में स्वतंत्रता आवश्यक है।

सरकार शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी नीति अपना रही है। कमजोर वर्ग को इस सम्बन्ध में न्याय नहीं मिल रहा है। केवल सम्पन्न व्यक्ति ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने चाहिएं। इससे कमजोर वर्ग के लोगों और हरिजनों को लाभ मिलेगा। आशा है कि नई जनता सरकार इस दिशा में नए प्रगतिशील मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करेगी।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण): अब तक शिक्षा, शिक्षकों और छात्रों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस सभा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1973-74 और 1974-75 के प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं हुई है और न ही उसके वर्ष 1976 के कार्यकरण पर किसी प्रकार की चर्चा हुई है। वास्तव में पिछली सरकार से हमें यही आशा करनी चाहिए थी क्योंकि वह विदेशों में यह प्रचार करने में व्यस्त थी कि श्री जय प्रकाश नारायण देशद्रोही हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण का अध्ययन करने पर पता चलेगा कि देश में दो प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, उनमें एक बड़ी संख्या राज्य विश्वविद्यालयों की है। दूसरे हैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय। गत 30 वर्षों में इन दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों के छात्रों पर होने वाले व्यय में भारी अन्तर रहा है। इस असमानता को दूर करने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया। आशा है कि शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस ओर ध्यान देंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिन वेतनमानों का सुझाव दिया था उन्हें सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है पर बहुत थोड़े राज्यों ने इन्हें लागू किया है। आश्चर्य की बात है कि भारत

सरकार द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मानों की मांग करने पर आसाम के शिक्षकों को जेलों में ठूंस दिया गया। अब इस प्रकार के अन्याय की इतिश्री होनी चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नए वेतनमान सुझाते समय अध्यापकों के कुछ अधिकार छीन लिए हैं। अब योग्य शिक्षक को भी 65 वर्ष की आयु तक सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि उन शिक्षकों का सेवा-काल भी 5 वर्ष कम कर दिया गया है जो छात्रों के लिए काफी उपयोगी थे और जिन्होंने अपनी प्रतिभा की धाक जमा रखी थी।

मैं राजनीतिक पीड़ित और स्वतंत्रता सेनानी अध्यापकों की हालत की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं : कुछ सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों में राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को उनकी नौकरी में अतिरिक्त समय का लाभ दिया जाता है। जो अधिकतम पांच वर्ष है। किन्तु यह लाभ अध्यापकों को देश में कहीं भी नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कई बार ध्यान दिलाया जा चुका है। अध्यापकों की समस्या के इस पहलू पर भी मंत्री महोदय विचार करें।

अध्यापकों और गैर-अध्यापक कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए केवल तीन राज्यों ने अभी तक कानून बनाएं है हालांकि इन कानूनों में भी काफी कमियां हैं। देश के सभी राज्यों द्वारा इसी प्रकार विधान बनाया जाना चाहिए।

लाइब्रेरियन और फिजीकल इन्स्ट्रक्टर के पदों के लिए नए वेतनमानों की सिफारिश नहीं की गई है, यद्यपि इस विषय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय से हमने अपील की थी। पर उसकी उपेक्षा की गई।

महोदय, यह बड़े खेद की बात है कि कुछ राज्यों ; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान अभी भी लागू नहीं हैं। मेरे विचार से अध्यापक ही एक ऐसा वर्ग है जिसे नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता है।

हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितम्बर को अध्यापकों को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें 500 या 1000 रुपए की धनराशि दी जाती है। मैं सभा से निवेदन करता हूं कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न की जाए कि एक भी अध्यापक को इस तरह की भीख के लिए न बुलाया जाए।

1966 में मैंने 10,000 अध्यापकों के साथ दिल्ली में नए वेतनाानों की मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया था। मुझे यह बताया गया कि अध्यापकों को प्रदर्शन में नहीं भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह एक अनुशासनहीनता है। उस समय मैंने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से कहा था कि जो अध्यापक गलत बातों का विरोध नहीं करता है, वह युवकों को शिक्षित करने और उनमें चरित्र की भावना उत्पन्न करने के योग्य नहीं है।

गैर-सरकारी कालेज देश भर में हैं। इन कालेजों की गहराई से जांच की जानी चाहिए जिससे हम स्थिति में परिवर्तन ला सकें। इनमें जबकि अध्यापकों, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी भूखों मरते हैं, वहां ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हमारी कुछ संस्थाओं की महान परंपराओं से लाभ उठाकर शिक्षा व्यवसायी बन गए हैं। गैर-सरकारी कालेजों की प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए।

[श्री दिलीप चक्रवर्ती]

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा भ्रष्टाचार है । यह भ्रष्टाचार अध्यापकों और छात्रों की ओर से नहीं है । यह विशेष कर उनकी ओर से है जो शिक्षा के लिए बिना कुछ किए हुए शोषण करते हैं।

कलकत्ता विश्वविद्यालय में समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक घानी समिति बनायी गयी थी इसकी सिफारिशें क्रियान्वित की जानी चाहिए ।

जवहारलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है । मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में प्रति छात्र व्यय भारत में सबसे अधिक है। इस विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां की गयी हैं वे राजनीतिक आधार पर की गयी हैं, योग्यता के आधार पर नहीं। इस विश्वविद्यालय में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है। भारत सरकार ने 4 करोड़ रुपए की धनराशि भवन निर्माण आदि के लिए दी थी। लेकिन निर्माण कार्य ठीक नहीं किया गया है। कावेरी होस्टल और डाइनिंग हाल एक साल के भीतर ही गिर गये हैं। इसकी जांच के लिए ज्ञापन दिए गए हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सी० ओ० एस० आई० पी० नामक एक अच्छी योजना है। कालेज समिति के नाम से इस आयोग की एक उप-समिति थी। इसकी केवल एक बैठक हुई है। यह तो सरकारी धन की बरबादी है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाता हूं।

सभापति महोदय : मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कार्य मन्त्रणा समिति ने इस विषय पर चर्चा के लिए 4 घंटे के समय की सिफारिश की है। अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है। मन्त्री महोदय को भी चर्चा का उत्तर देना है।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : आप समय बढ़ा सकते हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर): यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि समूची सभा सहमत हो तो हम इसका समय 5 बजे तक बढ़ा सकते हैं।

श्री वयालार रवि : हम 5.30 बजे तक इस पर चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : क्या सभा यह चाहती है कि इस विषय पर वाद विवाद 5.30 बजे तक होता रहे ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : इस बात से सभी सहमत है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर वाद विवाद 5.30 बजे तक जारी रहेगा। मन्त्री महोदय वाद विवाद का उत्तर 4.45 बजे देंगे ।

श्री सी० के चन्द्रप्पन : (कन्नानूर) : महोदय, मैं शिक्षा के सम्बन्ध में एक बड़ी समस्या की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाता हूं। समस्या यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता का निर्णय बिना अधिक सोचे-विचारे किया जाता रहा है। यह उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में ही नहीं है, परन्तु मेरी समझ में मन्त्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि स्वतन्त्रता के बाद देश अधिकांश लोगों को शिक्षा के अवसर प्रदान नहीं कर सका।

हमारे देश में यह भी एक वास्तविकता है कि निर्धन वर्ग के बहुत कम लोग ही विश्व-विद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय सहरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जवहार लाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक छात्र पर लगभग 10,000 रुपए खर्च

होते हैं जबकि बिहार में रांची विश्वविद्यालय में एक छात्र पर 145 रुपए खर्च होते हैं। शिक्षा के लिए सरकारी धन का यह अच्छा वितरण नहीं है। परन्तु मन्त्री महोदय इस तरह कह सकते हैं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए समूचा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च किया जाता हो गा। वह यह दलील दे सकते हैं। परन्तु मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विरुद्ध नहीं हूं। यदि ये केन्द्रीय विश्वविद्यालय विद्या के अद्वितीय मन्दिर बन गए हों तो इतना खर्च करना उचित है। परन्तु वे ये इसका दावा नहीं कर सकते। अतः केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि इनको समाप्त कर दिया जाए, परन्तु उनके स्तर में सुधार करके उन्हें विद्या के अच्छे केन्द्र बनाया जाए।

शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापार चलने लगा है। एक छात्र जो इंजीनियरिंग कालेज या मेडिकल कालेज में प्रवेश प्राप्त करना चाहता है, उसे प्रबन्धक को रिश्वत देनी पड़ती है। यह चीज समाप्त होनी चाहिए। गैर-सरकारी प्रबन्धकों की गम्भीरतापूर्वक जांच की जानी चाहिए।

दूसरी समस्या यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा में बड़ा अंतर है। इस अन्तर कम किया जाए। एक और महत्वपूर्ण समस्या है। शिक्षित बेरोजगार की। इसे हल करने का समाधान ढूंढ़ा जाए और इसे योजना में प्राथमिकता दी जाए। मन्त्रालय इस सम्बन्ध में समुचित योजना बनाए।

दूसरी समस्या भाषा की शिक्षा के माध्यम की है। हमारी मातृभाषा को इसमें समुचित स्थान नहीं मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि कोई विदेशी भाषा या राष्ट्रीय भाषा नहीं सीखी जानी चाहिए। मेरा कहना यह है कि छात्र को शिक्षा उसकी अपनी भाषा में दी जाए। परन्तु साथ ही साथ हमें साहित्य की भाषा के रूप में एक विदेशी भाषा को उचित स्थान देना चाहिए और इसके बाद राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को भी अपना स्थान मिले। त्रिभाषा सूत्र को निष्ठा के साथ लागू किया जाना चाहिए। इससे शिक्षा का स्तर ही नहीं सुधरेगा, अपितु राष्ट्रीय एकता भी सुदृढ़ होगी। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय शिक्षा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

एक और बात छात्रों तथा उनके लोकतन्त्रीय अधिकारों के बारे में है। छात्रों को शिक्षा संस्थाओं में पूर्ण लोकतन्त्रीय अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। मुझे दुःख है कि ऐसा अभी भी नहीं किया जा रहा है। छात्र संघों को सुचारु रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए। भारत ही एक ऐसा देश है जहां छात्रों का कोई राष्ट्रीय संघ नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठाएगी और वह हमारे देश में राष्ट्रीय छात्रसंघ की स्थापना करेगी।

शिक्षा के लिए आवंटित धन बहुत कम है। अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

दिल्ली जैसे शहर में उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलता है। इससे यही मालूम होता है कि नये महाविद्यालय खोलने के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध नहीं है। इस पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : अब देश में और विश्वविद्यालय परिसरों में कुछ शान्ति है और हमारे एक योग्य शिक्षा मंत्री हैं। आज हमें उन क्षेत्रों के बारे में विचार करना है जहां कार्यवाही करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में कार्यवाही करता है। इस आयोग का कार्य अब तक कांग्रेस दल की

[डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी]

नीतियों के अनुरूप रहा है और यह इस दल का एक साधन मात्र रहा है। यही कारण है कि शैक्षणिक क्षेत्र में एक संकट रहा है। इस सम्बन्ध में मैं आपके समक्ष तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और वे 1.7 प्रतिशत विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं किन्तु उन्हें 20 प्रतिशत धनराशि मिलती है। राज्य के विश्वविद्यालय 12.4 प्रतिशत छात्रों की व्यवस्था करते हैं और उन्हें 44.1 प्रतिशत अनुदान मिलता है। शेष 48 प्रतिशत में 86 प्रतिशत विद्यार्थी आते हैं और उनके लिए 36 प्रतिशत अनुदान मिलता है। इससे स्पष्ट है कि धनराशि का असम वितरण होता है। इससे हमारे समाज में असमानता है। यह और अधिक बढ़ेगी। साथ ही उच्च शिक्षा के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने की अपेक्षा इस का क्षेत्र संकुचित होता जा रहा है। उदाहरण के लिए 1950 से आरम्भ होने वाले दशक में उच्च शिक्षा में प्रवेश का प्रतिशत 14.5 था जबकि आपातकालीन स्थिति के दौरान यह 2.5 प्रतिशत था। इसका कारण क्या था ? सम्भवत: श्री संजय गांधी का भी शिक्षा स्तर यही था (**व्यवधान**)। जितने व्यय एक व्यक्ति को उच्च शिक्षा देने में होता है उतने ही खर्च में 21 व्यक्तियों को प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है। अत: उच्च शिक्षा काफी मंहगी है और जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए धनराशि का समान वितरण होना चाहिए। मंत्री महोदय ने कहा है कि निराक्षरों की संख्या बढ़ी है और यह 23 करोड़ हो गई है। वास्तव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्व योजनाबद्ध ढंग से धन के वितरण में पक्षपात किया है। हमने देखा है कि किस प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की पदोन्नति की गई।

प्रो० दलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : श्री नूरुल हसन का तरीका मुगल दरबार का जैसा था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में किया गया था। श्री चक्रवर्ती ने इसके बारे में कई तथ्यों पर प्रकाश डाला है। इस विश्वविद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा नहीं है। जिनकी विचारधारा का सम्बन्ध मास्को से है ऐसे लोगों को यहां लिया गया। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए आधार नहीं मानी गई। इस विश्वविद्यालय में यह व्यवस्था है कि बिना चयन समिति की सलाह के प्रोफेसरों और रीडरों की नियुक्ति की गई। प्रोफेसरों के ऐसे 44 पद बनाये गए और ऐसी 200 नियुक्तियां की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की पत्नी की भी इसी प्रकार नियुक्ति की गई। भारतीय साम्यवादी दल का इतिहास लिखने के लिए 3.5 लाख रुपए दिए गए। यह श्री पी० एन० हक्सर और डा० एस० गोपल के सुझाव पर किया गया। इन दोनों को विश्वविद्याशय अनुदान आयोग की विशेष समिति में नियुक्त किया गया। इनकी योग्यता को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, भारतीय साम्यवादी दल जैसी पार्टी के इतिहास लिखने के लिए कैसे 3.5 लाख रुपए दिये जा सकते हैं। यह पार्टी संकुचित होती जा रही है और इस दल को साम्यवादी दल (मा०) के विकास से ईर्ष्या है। (**व्यवधान**)

श्री सी० के चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : क्या भारतीय साम्यवादी दल का इतिहास लिखा जाना उचित नहीं है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह एक प्रश्न है **(व्यवधान)**। मैं नहीं चाहता कि जनसंघ के इतिहास लिखने पर 3.5 लाख रुपए खर्च किए जायें। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में केवल एक पुस्तक स्टाल है जो पीपुल्स पब्लिसिंग हाउस द्वारा चलाया जाता है यह हाउस लेनिन, स्टेलिन आदि पर पुस्तकें प्रकाशित करता है। इस स्टाल में एक भी पुस्तक महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण पर नहीं है किन्तु केवल आपातकालीन स्थिति पर पुस्तकें हैं। **(व्यवधान)** 1942 में आपने महात्मा गांधी को देशद्रोही कहा था **(व्यवधान)**। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि डा० नाग चौधरी जैसे व्यक्ति को क्यों उप-कुलपति बनाया गया। उसने 12 मार्च को अन्य बुद्धिजीवी लोगों के सहित एक याचिका पर हस्ताक्षर किए कि वे 42वें संशोधन पर श्रीमती इन्दिरा गांधी का समर्थन करते हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। श्रीमती इन्दिरा गांधी इस विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। वे कैसे इस विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। उन्हें स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिए अन्यथा कानून बनाकर परिवर्तन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के छात्र, प्राध्यापक, कर्मचारी सभी यह चाहते हैं **(व्यवधान)**।

मैं मंत्री महोदय के ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही नहीं किन्तु कुछ अन्य संस्थानों में इसी प्रकार कार्य हो रहा है ? उदाहरण के लिए भारतीय सामाजिक तथा वैज्ञानिक गवेषणा परिषद् को ही लीजिए। इस परिषद् द्वारा कितनी धनराशि वितरित की जा रही है। मैं समझता हूं कि इसकी बारीकी से छानबीन की जानी चाहिए। इस परिषद् ने श्री पी० पी० दत्त, राज्य सभा के नामांकित सदस्य को एक बड़ी रकम दी है। इन्होंने नेशनल फोरम फार टीचर्स का गठन किया जो पुलिस को सूचना देने का काम करता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) **:** इन्होंने दूसरे सदन के सदस्य का उल्लेख किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने अध्यापक के रूप में उनका उल्लेख किया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने ऐसे कई लोगों का नाम लिया है जो सदस्य नहीं हैं। अब यह दूसरे सदन के सदस्य का नाम ले रहे हैं। क्या यह नियमानुसार है।

सभापति महोदय : उन्होंने डा० वी० पी० दत्त का नाम एक शिक्षा शास्त्री के रूप में किया है। वह यह कर सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें संसदीय नियमों के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : समय की कमी है अतः सदस्य अपना भाषण कम करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इन शिक्षा-शास्त्री को जनवरी, 1978 में चीन पर एक सम्मेलन बुलाने के लिए एक बड़ी रकम का अनुदान दिया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल चीन के विरुद्ध रूस के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने का है। मंत्री महोदय इसकी छान बीन करें।

[डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी]

आपातकालीन स्थिति के दौरान विश्वविद्यालय में मानसिक यातना दी गई और इस बारे में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बारे में न्याय करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : मैं मंत्री महोदय का ध्यान ऐसे समुदाय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी शिक्षा की समस्या पर पिछले 30 वर्षों में विचार नहीं किया गया है। वे हैं अल्पसंख्यक समुदाय विशेष रूप से मुसलमान समुदाय। इन 30 वर्षों में इस समुदाय के मदरसे, मक्तब और इस्लाम के सांस्कृतिक केन्द्रों की पूरी उपेक्षा की गई है। 1947 में जो थे वे समाप्त होते जा रहे हैं। अरबी और फारसी की शिक्षा आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धनी तेल उत्पादक देशों का हमें सहयोग लेना है। इन 30 वर्षों में यहां जो संस्थान थे वे समाप्त हुए हैं।

ऐसा उल्लेख किया गया है कि कुछ विश्वविद्यालयों में उप-कुलपतियों ने तथा वहां के कार्यकारी अधिकारियों ने पुलिस से सांठ-गांठ कर विश्वविद्यालय के परिसर में आपातकालीन स्थिति के दौरान आतंक मचा रखा था और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय इसका एक उदाहरण है। क्या हम ऐसे उप-कुलपतियों को जिनके लिए विद्यार्थियों की कोई श्रद्धा नहीं है; बने रहना चाहते हैं। विद्यार्थी इस बारे में आन्दोलन कर रहे हैं।

आज दिल्ली में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर भी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलता है। साथ ही निरक्षरता बहुत अधिक बढ़ गई है। दिल्ली के दो महाविद्यालयों में वरीयता सूची में प्रकाशित होने से पहले ही दाखिला शुरू किया गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह कैसे सम्भव हुआ है और उन्होंने क्या कदम उठाये हैं।

हमने अंग्रेजों की परम्परा अपनाई है जिसमें राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति बनता है। ऐसे भी कुलपति हैं जो दो वाक्य भी अच्छी तरह से लिख नहीं सकते हैं। आज महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। इससे प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को दुख होता है।

जहां तक डिग्रियों की मान्यता का प्रश्न है मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने देश हैं जिनमें हमारी डिग्रियों की मान्यता गत दश वर्षों में समाप्त की गई है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी डिग्रियों की क्या कीमत है। विश्वविद्यालयों में भाई-भतीजावाद और पक्षपात चल रहा है और शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मंत्री महोदय सभा को आश्वासन दें कि विश्वविद्यालयों में सब ठीक चल रहा है।

श्री वयालार रवि (चिरयिनकील) : मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ है कि इस देश के बुधिजीवियों जैसे डा० नागचौधरी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य लोगों की बड़ी निन्दा की जा रही है क्योंकि सत्तारुढ़ दल उनके स्थान पर अपने व्यक्तियों को रखना चाहता है। एक सदस्य ने तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष की पत्नी की जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में नियुक्ति पर आपत्ति की है। उन्होंने डाक्टरेट की है तथा आनर्स में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। उनका चयन भी साक्षात्कार के बाद किया गया है। आप उनकी आलोचना इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वह यू० जी० सी० के चेयरमैन की पत्नी है। हमें अनावश्यक रूप से उनका नाम बदनाम नहीं करना चाहिए।

डा० नागचौधरी के बारे में भी कहा गया है । उन की सत्यनिष्ठा पर सन्देह नहीं किया जा सकता । इस सदन में श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी एक ऐसे दल—जनसंघ का प्रतिनिधित्व करते हैं जोकि महात्मा गांधी के हत्यारे हैं (**व्यवधान**) ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : : महात्मा गांधी की हत्या 1948 में की गई थी और जनसंघ 1951 में बना । कृपया अपनी तिथियों में सुधार करें।

श्री वयालार रवि : हां, यह आर० एस० एस० था जोकि जनसंघ की रीढ़ है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : न्यायिक आयोग का कहना है कि इसाका इससे कोई सम्बन्ध नहीं था ।

श्री वयालार रवि : डा० के० एन० राज देश के प्रमुख अर्थ-शास्त्री हैं। किन्तु इन्हीं लोगों ने उनका नाम भी बदनाम किया और उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा। डा० स्वामी सोचते हैं कि आज देश में केवल वहीं डाक्टरेट की उपाधी धारण किये हैं। मैं आज भारत के कांग्रेस दल को यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि वे देश के इतिहास का एक भाग है। देश के स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास कांग्रेस दल का इतिहास है । मुझे इस पर गर्व है। दूसरी ओर बैठे अनेक लोगों ने इस दल में, अपना योगदान दिया है । आप इसे पसन्द करें अथवा न करें, यह एक सच्चाई है । जनसंघ का इतिहास लिखा जा सकता है क्योंकि यह स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् का इतिहास है । इस इतिहास में गांधी की हत्या भी उन्हीं के नाम पर है । यह दुर्भाग्य की बात है कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति देश में आर० एस० एस० के इतिहास की ओर से आंखें बन्द किए हुए हैं।

श्री ज्योर्मय बसु : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। गांधी जी की हत्या के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था । और बाद में छोड़ दिया गया । बाद में उन्हें श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा पद्म श्री या पद्म विभूषण दिया गया वह श्री हंसराज गुप्त थे (**व्यवधान**) ।

Shri Ugrasen (Deoria) : Mr. Chairman Sir, I want to request that the honourable member should speak on his subject only. He is talking about the murder of Mahatma Gandhi. Has he forgotton that these were the very people who murdered independence in 1942. They used to get us arrested during 1942 movement.

Chaudhary Balbir Singh : Shrimati Indira Gandhi said that the persons around her were dishonest persons and she had faith only in Sanjay Gandhi. (*Interruptions*).

श्री वयालार रवि : हमारे देश में बालकों पर अनेक वर्षों से परीक्षण किए जा रहे हैं । गत 30 वर्षों में से इस देश के बच्चों को उचित शिक्षा देने के मामले में राजनीतिक नेतृत्व का अभाव महसूस हो रहा है । अब फिर 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है । 4000 कालेजों में से केवल 2000 कालेजों को केन्द्रीय सहायता मिली है । इसका यह अर्थ है कि 50 प्रतिशत कालेजों को अधिक धन नहीं मिलता है । विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उन विश्वविद्यालयों या कालेजों, जो 17 जून, 1972

[श्री वयालर रवि]

के बाद स्थापित हुए हैं, को तब तक किसी केन्द्रीय सरकार मे निधि प्राप्त करने वाले संगठन से सहायता नहीं मिलेगी जब तक आयोग यह घोषणा नहीं करे कि ये संस्थान केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं । इसमे इन कालेजों को सहायता नहीं मिलेगी । इस मामिले पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए ।

अगर इस प्रकार का यह उपबन्ध है तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार कालेज खोल सकते हैं? जहां तक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का सम्बन्ध है, यह एक बहुत भारी समस्या है विशेषकर केरल में यह एक बड़ी विकट समस्या है। इस सम्बन्ध में कई अनियमिततायें प्रचलित हैं अत : सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए । कालेजों के स्तर के बारे में उठाये गए उपायों की बात कही गई है ? अनेक कालेजों का स्तर बड़ा ही निम्न है क्योंकि उनमें न तो पूरा स्टाफ है और न ही उनमें अन्य सुविधायें हैं। अतः देश के सभी कालेजों में विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग के वेतनमान भी लागू नहीं किए जा सकते क्योंकि अनेक राज्य वित्तीय दृष्टि मे काफी पिछड़े हुए हैं अत : मंत्री महोदय को विभिन्न राज्यों में इन वेतनमानों को लागू करने के सम्बन्ध में कदम उठाने चाहिए।

शिक्षा के स्तर में भी सुधार करना होगा। आप यथासम्भव अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा दें। किन्तु आज हमारे देश में शिक्षा का ढंग क्या है? अगर आप उन विद्यार्थियों को देखें जो आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० और अन्य संवर्गों के लिए परीक्षा पास करते हैं तो पता चलेगा कि उनमें से 70 से 80 प्रतिशत विद्यार्थी पब्लिक स्कूलों के होते है । ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जिन्हें साधारण शिक्षा मिलती है, वे पिछड़े ही रह जाते है । इसमें परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि राजनीति को शिक्षा के विषय से दूर रखें । अन्यथा इससे अधिक तनाव तथा समस्याएं बढ़ेगी । हमें शिक्षा के स्तर में सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

मैं अब त्रिभाषा सूत्र की बात कहता हूं। यह एक बड़ी ही नाजुक समस्या है । प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने जो पत्र तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामाचन्द्रन को लिखा दें उसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है । इस पत्र में प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि द्वि-भाषा सूत्र ही जारी रखा जायेगा । भिन्न भिन्न राज्यों की भिन्न भिन्न समस्यायें हैं, जिन लोगों को हिन्दी नहीं आती उन्हें कर्पूरी ठाकुर की बात पर बड़ी ही हैरानी हुई और उन्हें धक्का लगा है । उन्होंने कहा है कि वह केवल हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे, अन्य किसी भाषा का प्रयोग वह कदापि नहीं करेंगे । त्रि भाषा सूत्र ही देश के लिए एक अच्छा समाधान है । अगर आप इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल सकेंगे तो देश का भविष्य अंधकार में पड़ जायेगा । हम भाषा समस्या का समाधान जनता के समर्थन और सहायता के बिना नहीं कर सकते । त्रि-भाषा सूत्र से देश की एकता और अखण्डता बनाये रखा जा सकता है । किन्तु दुर्भाग्य से देश के उत्तरी भाग में कहीं भी मलयालम, तामिल, कन्नड़ और तेलुगु और बंगाली

भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है। अतः आप यह सुनिश्चित करें कि त्रि-भाषा सूत्र का सही अर्थों में कार्यान्वयन किया जाये, तभी देश में एकता बनी रह सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

Shri Nathu Singh (Dausa) Mr. Chairman Sir, I am happy that the statement made by our Education Minister has given a ray of hope that some radical changes would be made in educaion. But I have an objection to what have been stated on the very first page of the U. G. C's report for 1975-76 that there had been peace in the colleges and universities that year. But at what cost this peace was maintained ? Thousands of students and teachers were put behind the bars and even many of the university officers got these people arrested. Take the case of Delhi University 230 teachers and thousands of students were put in jails. So the report of 1975-76 may be corrected because I have strong objection to this mis-statement.

It has also been stated in this report that there was an increase in the number of new admission in the colleges. I do not object to this increase but I want to point out that teachers appointed should be such who understand the socio-economic reality. They should not be like our Narul Hasan Sahib. Good teachers should be appointed in the Universities.

As regards the students' welfare, I want to say that during the emergency, the Dean of students Welfare was indulging in activities such as creating groupism among the students and making them fight among themselves. He also worked for the propogation of 20-point and 5 point programmes. I suggest that the post of the Dean of students' Welfare should not be made permanent but should be given on rotation basis. Career Guidance Bureaus should be set up in the Universities and Employment Information and Advertising Bureaus should also be set up at many places.

It is also stated in the report of U. G. C. that radical examination reforms such as grading and assessment system have been introduced. A lot of efforts were made in regard to examination reforms under the leadership of Lok Nayak Shri Jayaprakash Narayan and suggestions were sent to the U. G. C. But those suggestions were not considered. Now those should be considered.

Moreover, the central Universities are not given uniform amount of aid. In the Delhi University, the per student expenditure in one year comes to only Rs. 383 where as it is Rs. 5221 and Rs. 7013 in the Aligarh University and Nehru University respectively, The Congress and the Communists wanted to usher in socialism in the country but the kind of socialism usher ed in the field of education is there for everybody to see. Jawahar Lal Nehru University was given huge amounts of aid as non-plan grants by Smt. Indira Gandhi.*

Amount spent on each student in the Universities under the state Governments is very less. It is, therefore, necessary that all the Universities should be brought under the central Government and equal amount of grants should be given to them.

There is irregularity in admission to the Universities and colleges. It has been stated in the Report that 32 Universities and 85 colleges have been given assistance for promotion of sports. But what is the use of this sort of assistance ? The standard of sports in our country is going down day by day. We can not compete with other countries in the matter of sports.

[श्री सोनू सिंह पाटिल पीठासीन हुए]

[SHRI SONU SINGH PATIL *in the chair.*]

An inquiry should be made in this regard. I am giving a suggestion that the salary of the Director of Physical Education should be equal to the salary of a Professor so that he may take more interest in his work and perform his duty properly.

*सभापति के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[Shri Nathu Singh]

It has been stated in the Report that in correspondence course the number of students is increaing and it has been successful. I am happy to note it. But in a poor country like India some arrangements should be made for those who can not pay the fees of correspondence course. My suggestion is that open University should be set up in the country as in other countries.

There is irregularity in sending persons abroad. The persons responsible for such irregularities should be punished.

The Congress Government disbanded students unions with a view to crush students agitations. I am sure that Janata Government will try to establish students union in every University and college and U. G. C. should give grant for this purpose.

There is always talk of making radical changes in education. But it has not been done so far...... (*Interruption*).

A National Education Commission should be set up for bringing about radical changes in education. A report should be submitted within 6 months and it should be implemented.

In the end I submit that a commission should be set up to go into the irregularities in appointments made in the universities and the persons found guilty therefor should be punished. In the Universities appointments should be made from academic point of view and not from administration point of view.

श्री जे० रामेश्वर राव (महबूब नगर) : माननीय सदस्य ने असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है । इसे उनके भाषण से निकाल दिया जाये ।

सभापति महोदय : वह शब्द क्या है ?

श्री जे० रामेश्वर राव : मैं इसे इस शर्त पर दोहराता हूं कि इसे भी कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये ।

He said*

Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : If you allow me to speak, I would like to say that such language should be spoken in Parliament as does not injure the feelings of any body. I would, therefore, request the Member to withdraw the words.

Shri Nathu Singh : I did not mean that. It was in this connection as to how money is spent. I withdraw those words.

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये ।

श्री जे० रामेश्वर राव: मैंने जो कुछ कहा है उसे भी निकाल दिया जाये ।

सभापति महोदय: इसे भी निकाल दिया जाये ।

श्री० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है । मैं समझता हूं कि इससे हमारे देश के विश्वविद्यालयों में सुधार के बारे में कोई कार्यवाही करने का रास्ता निकल आयेगा । जब तक विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का ढांचा सही नहीं होगा तब तक हमें अपनी विकास योजनाओं से लाभ नहीं मिलेगा ।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका विश्वविद्यालयों और सरकार के बीच एक पुल के समान है । यदि यह सरकारी विभाग बन गया तो इससे उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा । और दूसरी ओर यदि य विश्वविद्यालय मात्र ही बन कर रह जाएगा तथा यह विश्वविद्या-

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

*Expunged as ordered by the Chair.

लयों के कार्यों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रभुत्व स्थापित नहीं करेगा, तो वह अपना कर्तव्य पालन नहीं करेगा। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को अधिक धन उपलब्ध करे। यह धन समान रूप से खर्च किया जाए और धन का अधिकांश भाग किसी एक विश्वविद्यालय को न दिया जाए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत सरकार का नौकरशाही विभाग न बनने दिया जाये। इसे एक स्वतंत्र संस्था या एजेंसी के रूप में कार्य करने दिया जाये जो भारत सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच एक पुल का काम करे।

1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में केवल तीन विश्वविद्यालय थे। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना। 1916 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और मैसूर विश्व विद्यालय बने। इस तरह से अगस्त, 1947 में केवल 16 विश्वविद्यालय थे। अब 102 विश्वविद्यालय हैं और बहुत से बनने वाले हैं। इससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर बहुत भार पड़ गया है तथा अनेक समस्यायें पैदा हो गई हैं। भारत में 4,508 कालेज हैं जिनमें छात्रों की संख्या 24,26,109 है। लोकतन्त्र और शिक्षा के हित में कालेजों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। निम्न स्तर के कालेज बहुत बढ़ गए हैं। इस तरह से कालेज बन्द किए जाने चाहिएं। मुझे इस बात की खुशी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास एक कालेज विकास परिषद् है।

शिक्षकों के वेतनमानों और सेवा शर्तों पर भलीभांति विचार किया जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए। मेरे विचार में प्रोफेसरों को अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। उनकी सेवा शर्तें भी अच्छी होनी चाहिएं। उन्हें अध्यापन, परीक्षण और अनुसन्धान की सुविधा होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रोफेसरों और अध्यापकों को पुस्तक भत्ता देने में उदारता बरतनी चाहिए। उनके अपने निजी पुस्तकालय होने चाहिएं।

छात्रों को यह अभियान चलाना चाहिए कि अध्यापक उन्हें अच्छी तरह पढ़ायें। छात्रों से परीक्षा शुल्क, ट्यूशन फीस, पुस्तकालय शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क अधिक नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को विश्वविद्यालयों को अधिक धन देना चाहिए।

मुझे यह जानकर के प्रसन्नता हुई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा सुधार शिक्षा जारी रखने, गोष्ठियों आदि के बारे में योजना और कार्यक्रम तैयार किए हैं। हाल ही में हैदराबाद और पूने में गोष्ठियां हुई हैं। पूंजीगत विकास परियोजनाओं, भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों, उच्च शिक्षा केन्द्रों, अनुसन्धान कार्यक्रमों, संकाय-सुधारों आदि के बारे में बहुत कार्य किया जा रहा है।

मेरे दो सुझाव हैं। एक यह है कि सरकार को यथाशीघ्र एक खुला विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए। दूसरा सुझाव यह है कि कुछेक संस्थाओं को स्वायत्तशासी कालेजों के रूप में चला कर के कालेज शिक्षा के स्तर को उठाया जाना चाहिए। जब तक स्वायत्तशासी कालेज नहीं होंगें तब तक हम ऐसा नहीं कर सकेंगे।

***श्री पी० एस० रामलिंगम** (नीलगिरी) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। कुछ प्रश्न हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी क्या शिक्षा से हमारी समस्याएं हल हो पायी हैं ? क्या शिक्षा से बेरोजगारी बढ़ी है ? दुर्भाग्य से शिक्षा में कोई प्रगति नहीं हुई है। युवकों का कोई विकास नहीं हुआ है। वे अंधकार में हैं। देश के सामाजिक संस्कृतिक और आर्थिक विकास में उनका कोई योगदान नहीं रहा है। शिक्षा का उद्देश्य मानव समाज के हित के लिए प्रतिभा को पैदा करना है ?

पृष्ठभूमि के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 1975–76 के प्रतिवेदन पर विचार करने के वाद यह दिखाई देता है कि हमारे देश में विश्वविद्यालयों में अनुदान का समान वितरण नहीं किया गया है। देश में 105 विश्वविद्यालय हैं जिन में से 7 केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में हैं जिन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। 36 करोड़ रुपए की कुल धन राशि में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पांच केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को इस वर्ष 17.21 करोड़ रूपए दिए और शेष 100 विश्वविद्यालयों को 18.79 करोड़ रुपये की धन राशि सें ही संतोष करना पड़ा। अतः मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन 100 विश्वविद्यालयों के प्रति सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है।

हम कहते रहते हैं कि हमारा कृषि-प्रधान देश है और देश की 70 प्रतिशत आय कृषि से होती है ; तथा अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है किन्तु देश में कृषि की शिक्षा की प्रगति के लिए हम अभी तक बहुत कम कर पाए हैं। वर्तमान योजना के अनुसार अधिकांश धनराशि विज्ञान और गैर विज्ञान विषयों की शिक्षा पर व्यय की जाती है और कृषि शिक्षा के लिए बहुत कम राशि रह पाती है। गत पंच वर्षीय योजनाओं में इस के लिए कुछ नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय के लिए योजना में केवल 2083 रुपए की रकम का नियतन किया गया है। आशा है कि जनता सरकार आने वाले वर्षों में कृषि विश्वविद्यालयों के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था करेगी जिससे इन विद्यालयों से निकलने वाले कृषि स्नातक कृषि को देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दें सकें।

ग्रंथालयों में पुस्तकों के लिए तथा विज्ञान के उपकरणों के लिए इस वर्ष बहुत कम धन राशि खर्च की गई है। जब तक महाविद्यालयों में अच्छे पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं नहीं होंगी शिक्षा का स्तर गिरता जाएगा। 1975-76 में पुस्तकालयों को पुस्तकों के लिए 2.42 करोड़ रुपए तथा वैज्ञानिक उपकरणों के लिए 3.63 करोड़ रुपए की धन राशि दी गई। विश्व-विद्यालव अनुदान आयोग को इस कार्य के लिए पर्याप्त धन राशि प्रदान करनी चाहिए।

महात्मा गांधी तथा अन्ना यह कहते थे कि बच्चों को शिक्षा उनकी मातृ भाषा में दी जानी चाहिए। 30 वर्षों के बाद भी मातृ भाषा में उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। परिणामस्वरूप शिक्षा का स्तर गिरा है। उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकें मातृभाषा में प्रकाशित की जानी चाहिए। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आयोग को इस कार्य के लिए विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

1975–76 में आयोग ने पाठ्य पुस्तकों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए कोई धन राशि नहीं दी हैं। मंत्री महोदय इस संबन्ध में उचित व्यवस्था करने की कृपा करें।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : It is good that Shri Sathe is present. He had stated that the year 1975-76 was a year of discipline. But I say that it was a year of terror and mis-administration. In the history of the Universities never before was there such a terror in the Universities. 200 teachers in Delhi were detained. This gives an indication of the state of affairs throughout the country. In the report it has been stated that this year was a year of peace. It is a statement full of lies. There must be some improvement in the report. Education was the worst sufferer. It was brought under administrators.

U. G. C. has committed a breach of trust with the people of India. Only 300 crores are spent on primary education out of 1650 crores and the rest is spent on higher education. In fact in India there is class education. The Universities and colleges are only increasing the number of unemployed persons. There should be an economy in expenditure on U. G. C. According to Gandhiji the entire money should not be spent on higher education. It should be made self reliant. If it is not done it will amount to breach of trust with the country. There is no purpose in educating only some people and keeping them unemployed when there are 70 percent of the population is illiterate in the country.

U. G. C. is a grant giving commission but there has been uneven distribution of grants. A major share has been given to Delhi University and Jawahar Lal Nehru University. Other small universities are suffering for want of funds. Therefore, there shoud be fair distribution of grants.

In India we are having Oxford and Cambridge education. We are living in Colonial education. It is useless to have an education which does not make a person self-dependent. It is only capable of preparing the people for white collared jobs.

Those who were in charge of the Universities had a specific purpose. They had no consideration of freedom of the people. Students who had agitated that the question papers contained questions which were not in the syllabus, were detained under MISA. We have, therefore, to look into the mode of distribution of the grants and the functioning of the Universities.

In the report of U.G.C. it has been mentioned this is rural biased. But where are the rural Universities. In fact no concrete steps have been taken for the development of rural Universities, rural areas and agricultural Universities. Unless there is Indianisation of education we will be non-Indians in India. I hope in the next report of the commission there will be an effort in this direction.

The Universities produce educated unemployed youths and it is increasing. After spending thousands of crores of rupees on Universities, unemployment is increasing. This expenditure is, therefore, not a proper expenditure. It is true that this report is not a report under Janta tenure. It is a painful responsibility on us to adopt it.

Hon'ble Minister has stated that Public Schools will continue. When we talk of Socialism we cannot name public and private schools. We have full faith that our Hon'ble Minister of Education would look into it.

Prof. Shibban Lal Saksena (Maharajganj) : Mr. Chairman, Sir, for 16 months there was no Chairman of U.G.C. Shri, Satish Chandra, Vice-Chairman was asked to look after. It was a wrong step. He was never a professor . After 16 months he was made Chairman. It has been stated that he got his wife appointed in Jawahar Lal Nehru University. This is an irregularity. I hope he would himself resign otherwise he should be removed.

His only achievement is that this year affiliated Colleges were given a grant of only Rs. 3.60 crores whereas during the tenure of Dr. Kothari grants of Rs. 8.24 crores. 8·39 crore, 9·96 crores and 12·15 crores were given. Jawahar Lal Nehru University was given a major share of grants whereas other Universities with a larger number of students were given far less grants. Gorakhpur University is such an example.

[Prof. Shibban Lal Saksena]

The Universities have an enrolment of 3,67,581 students out of the total enrolment of 24,26,109 students in the Colleges and Universities. But the universities were given a grant of Rs. 60 crores whereas the Colleges were given only Rs. 3.60 crores. I hope this would not be repeated in future.

It is a matter of shame for the U.G.C. to say that it has brought down the rate of growth. Backward areas are being denied the opening of new colleges for want of funds whereas Jawahar Lal Nehru University is being given a grant of Rs. 3 crores. I want that a Committee of this House should investigate the working of Jawahar Lal Nehru University during the last 10 years as also its expenditure and the achievements during this period.

The ban on opening new colleges in backward areas should be lifted and arrangements should be made for introducing new subjects in the existing colleges.

It was decided that for 5 years Central Government would meet 80 per cent expenditure towards introducing new pay scales of the teachers. I think Central Government should continue to meet the expenditure even after 5 years as it will not be possible for the states to meet this expenditure.

I am sorry to say that an attempt has been made to mislead the House in this repor There was a table indicating the plan and non-plan expenditure for 1972-73 and 1973-74 and this table has stated to be included in the appendix II. But the table for 1974-75 is missing. It is very bad. The report should be enlightening and nothing should be kept back. I hope this will not happen again.

Shri Bhagat Ram (Phillaur) : Mr. Chairman Sir, the function of University Grants Commission is to ensure co-ordination among the universities, raise educational values and to provide assistance to the universities and colleges. But it is a matter of great regret that the university Grants Commission has created imbalances among the different parts of the country and different sections of society. It has paid attention only towards the well-to-do people and to the urban areas. More and more colleges have been opened in the urban areas whereas only few colleges have been opened in the rural areas.

Moreover, the condition prescribed by the University Grants Commission for giving assistance for the development of colleges is that a boys' college with 400 students and a girls' college with 300 students only are eligible for U.G.C. assistance. Due to this condition, the colleges in the rural areas are adversely affected because the number of students in them is very low. The limit should be reduced to 250 students in order to enable the colleges in the rural areas to progress. I would also request that more post graduate colleges should be opened in the rural areas in future.

I would also request that the pay scales recommended by the U.G.C. should be implemented in every college and steps should be taken for its implementation in private colleges also if the private colleges are finding it difficult to introduce these pay scales. they should be helped to ensure that the teachers do not suffer on this account. The directors of physical education and librarians should also be given the pay scales which are being given to the U.G.C. teachers.

The Government should pay more attention to the girls' education. I suggest the education for the girls particularly those belonging to harijans and weaker sections should be made free. Moreover, the girls' colleges in the rural areas should be given grants for purchase of buses with a view to providing transport facilities to the girl students of these colleges.

Corruption charges have been levelled against the vice-chancellors of many universities. Demands have been made to order enquiries against them but nothing has been done so far in this regard. It has also been alleged that U.G.C. is a den of corruption. So, there is need to ensure its democratic functioning. All these measures will help in the development of education in the country.

Shri Ram Sewak Hazari (Rosera) : Mr. Chairman Sir, it has been stated in the U. G. C. report that there was an increase of 2·6% in the number of students. It has also been stated in the report that the number of higher secondary students would be restricted. It is a contradictory thing. If the number of students is to be restricted, what about the students who have passed higher secondary examination? Where these students will go? The Government should give serious thought to this matter.

There has been a gradual decline in the number of students for higher education from 1970-71. Moreover, there were different standards of education in different universities. We should bring about uniformity in standards in various universities.

I have no hesitation in saying that the members now in the opposition have done nothing to bring uniformity in education. The children of leaders and officers receive education in public schools whereas the children of the common man receive their education in schools which neither have walls nor roofs. Now the 60 crores of our people expect from the Janata Party that it should bring uniformity in education provided to the children belonging to the different strata of society. Son of the President, minister and of an ordinary person should get the same type of education.

One of the causes leading to fall in university education is that caste and party considerations played an important role in the appointments of vice-chancellors. In case of I.A.S. appointments, the same story is being repeated. The sons of agriculturists, shopkeepers, or labourers. do not become I.A.S. officers. It is the sons of high salaried, officers and of persons in high positions who get I.A.S. appointments. This practice should be ended.

It has also been said in the report that 20 per cent quota reserved for scheduled castes and scheduled tribes has not been filled up. Steps should be taken to see that quota reserved for them should be filled up.

Some of our universities have been named after certain persons. We should name our universities after the names of persons like Prabhavati and Babu Suraj Narain Singh who made sacrifices for the country. It would be a matter for gratification of Patna University is named as Prabhavati University.

Shrimati Chandravati (Bhiwani) : Mr. Chairman Sir, it is a fact that the number of universities in our country has gone up but it is a matter of regret that the standard of universities has gone down. A number of universities such as Punjab and Kurukshetra Universities have become hotbed of politics. Moreover it is unfortunate that certain undeserving people have come at the helm of affairs of universities by certain influences. The son of Shri Bansi Lal, who is a third divisioner is perhaps the member of the Senate. When such undeserving people control the affairs of the universities, the obvious result will be that degeneration will set in.

The Universities are the tamples of learning and they should not be made hotbed of politics. The name of the Kurukshetra university was kept after an historical name. That has been changed to Chakravarti University. Shri Bansi Lal and Chakravarti looked the state of Haryana. Lakhs of rupees were spent even on the occasion of the death of Shri Chakravarti.

Our teachers are not paid good salaries and other facilities. If we want to attract good and competent people in teaching, we must give proper pay scales and service conditions to the teachers.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : To say that three language formula is not good, is not correct. A person who has to go and work in the south will have to learn south Indian languages. Like this, everybody will have to learn Hindi. The first and foremost duty of U.G.C. should be to teach Hindi to everybody. The protest against Hindi from the people of south is due to political reasons. So, politics should not be brought into this. Moreover, politics should also not be brought into the working of our educational institutions to ensure their proper functioning.

The U.G.C. and the Vice-Chancellors are doing good work. By bringing charges against Vice-chancellors openly, we would be encouraging indispline in Universities. The tendency should be stopped.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : यह प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 का है और इसमें वर्तमान सरकार के समय का कोई जिक्र नहीं है । मैं इस प्रतिवेदन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं तथा जो भी चर्चायें हुई हैं वे भी निस्सन्देह बड़े महत्व की है । कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामले उठाए गए है जिन्हें मैं संक्षेप में निपटाना चाहूंगा,

[डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र]

क्योंकि मेरे पास सामान्यत: विश्वविद्यालयों और विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समस्यायें निपटाने के लिए अधिक समय नहीं है । उदाहरणार्थ एक सदस्य ने यह बताया है कि मौलाना आजाद की पुस्तक में कुछ गोपनीय अंश थे जो गुम हैं । इसकी जांच करायी गयी है और अभिलेखागार निदेशक ने यह बताया है कि यह आरोप सही नहीं है । सील किया गया पैकेट अभी भी वहां है । अत: सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे आरोप लगाने से पूर्व मामला मेरे समक्ष लायें और मेरे द्वारा जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात भी यदि वे मेरे उत्तर से सतुष्ट न हों तो मामला सदन में उठायें । इससे निस्सन्देह समय में बचत होगी और अधिकारी भी परेशान नहीं होंगे ।

श्री लकप्पा ने एक अन्य मामला भारतीय प्रबन्ध संस्थान की कठिनाइयों, भ्रष्टाचार और अन्य मामलों के बारे में उठाया है । मैं छात्र प्रतिनिधियों से मिला हूं और मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मामलों की जांच की जा रही है । कर्नाटक सरकार के लेखा विभाग द्वारा उठाई गई बातों और लेखे में पाई गयी गड़बड़ियों के मामले को प्रबन्ध संस्थान को भेज दिया गया है और इसके बारे में उत्तर मेरे पास आएगा । यदि कोई मामला बनता है तो समुचित कदम उठाए जायेंगे ।

माननीय सदस्य श्री मावलंकर ने सही ही कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सरकार और विश्वविद्यालयों के बीच एक पुल का काम करे । जब इस आयोग की स्थापना की गयी थी तो प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख था कि इसका उद्देश्य समन्वय बनाए रखना और विश्वविद्यालयों में स्तर का निर्धारण करना होगा । यदि हमें आयोग की सफलता या विफलता को आंकना है, तो हमें इसके कार्यों का संविधि में दिए गए उद्देश्यों से मिलाना होगा । इनका मुकाबला करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अधिकांश रूप से यह आयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सफल रहा है । मैं यह जानता हूं कि सुधार की काफी गुंजाइश है । पिछली सरकार भी आयोग के कार्यकरण से पूर्णतया सतुष्ट नहीं थी । इसलिए एक समीक्षा समिति गठित की गयी थी । समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है । प्रतिवेदन तैयार हो गया है और सभा के समक्ष रख दिया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि इस आयोग के कार्यकरण में सुधार की निस्सन्देह गुंजाइश है । परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ कार्य हुआ है, उसकी हमें उपेक्षा करनी चाहिए ।

कालेजों और विश्वविद्यालयों के स्तर के बारे में मैंने जो विचार व्यक्त किया था उस पर श्री ज्योतिर्मय बसु ने आपत्ति की है । फिर भी हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है । परिशिष्ट I से पता चलता है कि वर्ष 1946 तक 18 विश्वविद्यालय थे और अब 105 विश्वविद्यालय हैं और 9 संस्थायें है जो विश्वविद्यालय के समान ही हैं । अत: उच्च शिक्षा में विस्तार करने की काफी गुंजाइश है । कुछ माननीय सदस्यों ने यह आलोचना की है कि इसमें भारी असतुलन है । कुछ हद तक तो हम इस बात से सहमत हो सकते हैं ।

प्रौढ़ शिक्षा पर भी अधिक बल देना होगा । हमने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया है और सभा को यह जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं योजना आयोग से बातचीत कर रहा हू ।

यह भी सत्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बीच असंतुलन है। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय बनाये जायें। निस्सन्देह सुझाव बहुत अच्छा है। परन्तु इस पर खर्च बहुत अधिक पड़ेगा।

माननीय सदस्य श्री रामजी सिंह यह चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के लिए आंवटित की जाने वाली धनराशि में कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि यह आवंटन उच्च शिक्षा के लिए हैं। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक समाजवादी विचार है। हम उच्च शिक्षा संस्थाओं को बन्द नहीं कर सकते, क्योंकि यह सच्चा समाजवाद नहीं है। सभी को समान अवसर प्रदान किये जाते हैं। विश्वविद्यालय स्तर में भी पिछड़े वर्गों या समाज के निर्धन वर्गों के लोगों को भी समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मुझे मालूम है कि इस बारे में पर्याप्त व्यस्था नहीं की गयी है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रवेश के मामले में विस्तार से चर्चा की गयी है और सम्बन्धित अधिकारियों ने इस पर विचार भी किया है। अन्तोगत्वा सीमा 20% रखी गयी है। जब मामला अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की 42 वें बैठक में उठाया गया तब यह पाया गया कि सिद्धान्तों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया।

इस मामले पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अप्रैल, 1976 में विश्वविद्यालयों को लिखा और उन से अनुरोध किया कि वे सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए सीटों के आरक्षण के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति सूचित करें। 110 विश्वविद्यालयों से उत्तर आए हैं। इनमें से केवल 16 विश्वविद्यालय ऐसे है जिन्होने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था नहीं की है लेकिन साथ ही उन्होने यह भी बतायाहै कि इन जातियों के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं किया जा रहा है। आयोग इस तथ्य से अवगत है और विश्वविद्यालयों पर यह दबाव डाल रहा है कि वे इन जातियों के छात्रों के प्रवेश के लिए उचित सुविधाओं का प्रबन्ध करें।

तकनीकी एवं उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाओं में इन जातियों के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पर दाखिला होने के बाद भी कभी कभी ये छात्र वहां के प्रशिक्षण मानक को समझने में असमर्थ रहते है। इस से उनमें निराशा की भावना पैदा हो जाती है। सरकार इन विषयों में इन छात्रों को विशेष शिक्षण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिस से इनकी निराशा दूर हो सकें। मैं माननीय सदस्यों की ओर से अपेक्षा करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में अपने मूल्यावान सुझाव देंगे और हम उन पर अमल करने का प्रयास करेंगे।

श्री बी० राचैया (चामराज नगर): अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्र इन पाठ्क्रमों को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। अनुसन्धान में लगे व्यक्ति तथा प्रतिशिक्षित व्यक्ति इन छात्रों को प्रशिक्षण देकर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने योग्य बना सकते हैं। वास्तव में इन्हें थोड़े से प्रशिक्षण की जरूरत होती है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: छात्रों की प्रवेश सख्या के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि विश्वविद्यालयों एव कालेजों पर छात्रों की अधिक संख्या थोपने की बजाय अनौपचारिक शिक्षा शुरू करने तथा आधुनिक जन संचार एवं जन संचार माध्यमों का इस्तेमाल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए।

[डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र]

कुछ विश्वविद्यालयों में इस उद्देश्य के लिए रेडियो और टेलीविजन का उपयोग किया जा रहा है। आज खुले विश्वविद्यालयों की जरूरत है इस विचार को वास्तविकता में बदलने से ही समस्या हल होगी। पर अभी हम पत्राचार पाठयक्रमों पर अधिक बल दे रहे है और इस से अधिक से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की समस्या उठाई गई है। यह समस्या हर वर्ष रहती है पर इस वर्ष कुछ ज्यादा ही है हमने यह निश्चय किया है कि दाखिले के लिए जो संख्या पिछले वर्ष निर्धारित की गई थी उसे कम किया जाए। इसके अलावा 10 प्रतिशत अधिक छात्रों को प्रवेश देने की व्यवस्था भी की गई है। नियमित कालिजों में 1000 सीटें बढ़ा दी गई है। पत्राचार पाठयक्रम स्कूल में भी 1500 सीट बढ़ा दी गई है। इस स्कूल में बी० काम (आनर्स) पाठक्रम आरम्भ करने पर भी विचार किया जा रहा है। इस सबके बावजूद भी यदि सभी इच्छुक छात्रों को प्रवेश नहीं मिला तो वर्तमान कालेजो में सांयकालीन कक्षाएं आरम्भ की जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो कालेजों हैं उनमें यह समस्या है कि वहां प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपलब्ध नहीं होते। कुछ कालेज ऐसे हैं जो अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रहे है। मुख्य कठिनाई अचानक ही 10+2+3 प्रणाली लागू होने से हुई है। कोठारी आयोग चाहता था कि यह प्रणाली 20 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तारीके से लागू की जाए। पर यह अचानक लागू की गई। कई राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। हम उस शिक्षा नीति पर अमल करना चाहते है जिसे सदन ने 1968 में स्वीकार किया था जिस के अनुसार +2 योंजना स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर स्कूल या कालेज में लागू की जा सकती हैं। पर इस से समस्या का दीर्घकालीन हल नहीं हो पायेगा। इस विषय पर विचार करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई है।

जमा तीन चरण पर विचार करने के लिए मैंने विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की दो दिन की एक बैठक बुलाई है। इसमें शिक्षा सम्बन्धी समान्य समस्याओं पर विचार किया जाएगा। जिसमें विश्व विद्यालय और उच्च शिक्षा भी शामिल है। शिक्षा राज्य सूची में शामिल है इसलिए इस विषय पर विचार करते समय हमें सभी राज्यों को विश्वास में लेना होगा।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों को मिलने वाले अनुदान में असंतुलन के सम्बन्ध में सदस्यगण जानते हैं कि यह अनुदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिया जाता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रोजमर्रा के व्यय एंव विकास खर्च की पूरी व्यवस्था आयोग ही करता है। उधर राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में बराबर का अनुदान दिया जाता है। राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विकास अनुदान देता है और आवर्ती व्यय या तो विश्वविद्यालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। अतः प्रतिवेदन में दिए गए आंकड़ों से यह पता नहीं चलता कि राज्य स्तर के विश्वविद्यालयों द्वारा कितना खर्च किया गया है। उन पर इससे कहीं अधिक रुपया खर्च होता है क्योंकि यह धन राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध किया जाता है। इसलिए अनुदान के मामले में राज्य और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बीच तुलना करना ठीक नहीं होगा।

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

RESIGNATION BY MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री एन० संजीव रेड्डी के, जो आन्ध्र प्रदेश के नारायण निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, 21 जुलाई, 1977 के पत्र की सूचना देनी है जिसमें

उन्होंने लोक सभा से त्यागपत्र दिया है । यद्यपि सभा को त्याग के कारण सूचित करने की प्रथा नहीं है किन्तु इस विशेष मामले में मुझे यह है सूचना देते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है । मैंने आज दिनांक 21 जुलाई, 1977 के अपराहन से उनका त्याग- पत्र स्वीकार किया है ।

आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

निर्धन ग्रामीण

श्री चित्त बसु (बारसाट) : निर्धन ग्रामीण, अध्यक्ष महोदय, देश के जिनर्धन ग्रामीणों से सम्बद्ध प्रश्न पर मैं चर्चा उठाता हूं ।

[**कुमारी आभा मैत्री पीठासीन हुईं**
MISS ABHA MAITI *in the Chair*]

सभापति महोदया, ग्रामीण निर्धनता के कई पहलू हैं । चूंकि समय कम है अतः इस बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती है । मैं इस समस्या के कतिपय पहलूओं पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा ताकि इस समस्या की भंयकरता की ओर सभा का ध्यान आकर्षित हो सके ।

ग्रामीण निर्धनों के बारे में "इकानिमक्स टाइम्स" के सम्पादकीय में यह उल्लेख किया गया है कि 1975 के राष्ट्रीय नमूना सर्क्षेण के अनुसार प्रत्येक पांच भारतीयों में एक अति दीन-हीन है और भारत की आधी जनसंख्या गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर है । देश में गरीबों की कुल जनसंख्या 24 करोड़ 50 लाख है । भारत में 20 करोड़ ग्रामीण लोग केवल 92 पैसे अति आवश्यक जरुरतों पर व्यय करते हैं । तमिलनाडु ,आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ऐसे सबसे अधिक निर्धन परिवार हैं जिनकी परिसम्पत्ति 500 रुपए है । अतः सभा इससे वास्तविक गरीबी का अनुमान लगा सकती है । मैं अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने की अनुमति दी है ।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता इस समस्या का एक पहलू है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण के अनुसार, तमिलनाडु की कुल ऋण ग्रहस्ता 447 करोड़ रुपये, आन्ध्रप्रदेश की 44 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश की 475 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल की 122 करोड़ रुपये और इस प्रकार कुल ऋण ग्रस्तता लगभग 4,000 करोड़ रुपये हैं । ग्रमीण परिवारों की देन दारियां 3, 921 करोड़ रुपये की हैं जिसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा 475 करोड़, रुपये, तमलिनाडु का 447 करोड़ रुपये, आन्ध्र प्रदेश का 444 करोड़ रुपये, कर्नाटक का 400 करोड़ रु० और पश्चिम बंगला का 122 करोड़ रुपये का है । इसमें भूमिहीन तथा उन लोगों की, जिनके पास पांच एक ड़ तक जमीन है, देनदारी 48.72 प्रतिशत है, अर्थात इस कमजोर वर्ग की कुल देनदादारी लगभग 2000 करोड़ रुपये है । इस से सभा को इस समस्या के स्वरुप के बारे में जानकारी हो सकती है। यही सबसे बड़ी समस्या है जिसका जानना सरकार का ही नहीं वरन समस्त राष्ट्र को आज सामना करना है । आज तक इस बारे में कार्यवाही की गई है । किन्तु इस समस्या का सामना करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई है ।

[श्री चित्त बसु]

विधि मंत्रालय गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन के प्रतिनिधियों के ग्रुप ने सिफारिश की है कि :—

1. भूमिहीन मजदूरों, सीमान्तिक किसानों, छोटे किसानों अथवा ग्रामीण कारीगरों से देय ऋण को उपयुक्त कानून द्वारा एक वर्ष के लिए स्थगित किया जाये।
2. ऐसे सीमान्तिक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों को जिनकी आय 2400 रु० वार्षिक से अधिक नहीं है कानून द्वारा पूरी राहत दी जाये।
3. प्रक्रम वार ग्रामीण ऋण का कानून द्वारा परिशोधन हो।

इस आधार पर विभिन्न राज्यों में कानून बनाये गये किन्तु इसका सामना करने के लिए ये पर्याप्त नहीं थे। इन निर्देशों का अभिप्राय ऋणों को रद्द करना नहीं था। मैं सभा को यह कहना चाहता हूं कि ऐसे कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों के जिनकी वार्षिक आय 5000 रु० है तथा उन सीमान्तिक किसानों के जिनके पास पांच एकड़ भूमि है, ऋणों को तुरन्त रद्द किया जाये।

एक माननीय सदस्य : क्या इसमें सरकारी ऋण भी शामिल हैं ?

श्री चित्त बसु : जहां तक मैं मझ पाया हूं इसमें सरकारी ऋण तथा सहकारी संस्थाओं के ऋण शामिल नहीं हैं। मेरा विचार है कि इस बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए।

वर्तमान ऋणों को समाप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि आगे ऋणों की आवश्यकता नहीं होगी। अभी तक ऐसा वैकल्पिक साधन नहीं बनाया गया है। इस सम्बन्ध में नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति के अनुमानों के अनुसार उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 175 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। यह अनुमान उन लोगों के बारे में है जिनके पास 5 एकड़ भूमि है। नई सरकार को चाहिए कि उपभोक्ता ऋण समस्त ग्रामीण निर्धनों को दिये जायें जिससे समस्त ग्रामीण जनता की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

जहां तक ग्रामीण बेरोजगारी का प्रश्न है, भूमि सुधार एक साधन है। इससे ही रोजगार की गारंटी हो सकती है। इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं कि समस्त राज्यों में 30–4–77 को 37,08641 एकड़ अधिशेष भूमि थी तथा 8,16544 लोगों को बांटी गई। महालानोविस समिति के अनुसार कुल उपलब्ध अधिशेष भूमि 630 लाख एकड़ है। 1970–71 में डांडेकर और राज समिति ने अधिशेष भूमि का अनुमान 4 करोड़ और 20 लाख लगाया है। 1972 में कृषि मन्त्री ने कहा था कि उपलब्ध अधिशेष भूमि 4 करोड़ एकड़ है। इस समय 37 लाख एकड़ है जिसमें से केवल 10 लाख सरकार के पास है।

सरकार के अनुसार ग्रामीण रोजगार योजनाओं पर 1972–73 से 1974–75 तक 992 लाख रुपये व्यय किये गये। इससे 181 लाख कार्य-दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध किया गया। आज कम से कम 5 करोड़ ग्रामीण बेरोजगार हैं।

मेरा सुझाव है कि एक उच्च शक्ति शाली समिति इस समस्या का गहराई से अध्ययन करे और दीर्घ कालीन एवं अल्पकालीन उपायों की सिफारिश करे तथा 1975 में मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के ग्रुप द्वारा दिए गये मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा करे। साथ ही अब तक इस सम्बन्ध में जो कानून बनाये गए हैं उनकी समीक्षा की जाये। इसमें कृषि श्रमिकों, गरीब किसानों जिनके पास 5 एकड़ तक भूमि है और उन ग्रामीण कारीगरों के,

जिनकी आय 5000 रुपए वार्षिक से अधिक नहीं है, ऋणों को लिया जाये। ऋणों में सरकारी और सहकारी संस्थाओं के ऋणों को लिया जाये और ग्रामीण रोजगार के साधनों को बढ़ाया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदया, ग्रामीण निर्धनों की समस्या के समाधान पर यह आधे घंटे की चर्चा पर्याप्त नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिव्यक्ति आय के बारे में प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि 30 वर्ष के कांग्रेस शासन के बाद हमारी दशा और भी अधिक खराब हुई है। हमारी विश्व में सबसे कम प्रतिव्यक्ति आय ही नहीं है किन्तु कैलोरीज और प्रोटीन का उपयोग भी विश्व में सबसे कम है। उनके अनुसार बंधुवा मजदूर 75,000 हैं और केवल 3000 मजदूरों के लिए रोजगार उपलब्ध किया गया है।

मेरे संकल्प पर भगवती समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने प्रतिवेदन दे दिया है। इसका योजनापत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में विश्वस्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तीसरी योजना के बाद योजना आयोग ने आंकड़े देने बन्द कर दिए। आज 12 करोड़ लोग हैं जिनके पास नियमित रूप से अनाज खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। सस्ते कपड़े का 15 प्रतिशत भी 15 प्रतिशत गरीब लोगों के पास नहीं पहुंचता है। ग्रामीण रोजगार की तवरित योजना के लिए 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार 150 करोड़ रुपए देश में कतिपय राजनीतिक तत्वों की निर्वाह व्यवस्था करने के लिए दिए गए। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं किन्तु यह जानना चाहता हूं कि सरकार का देश की गरीबी को दूर करने के बारे में क्या विचार हैं।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : यह विषय बड़ा रुचिकर, लाभदायक और महत्वपूर्ण है। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखा जाये क्योंकि इस देश में जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो इस महत्वपूर्ण समस्या को सुलझा नहीं पाता। किन्तु अब कोई भी इन ग्रामीण निर्धनों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अब स्थिति बड़ी विकट हो गई है। श्री ओ० आर० कृष्णस्वामी ने एक लेख लिखा है जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतय: कृषि मजदूर अनपढ़ हैं और वह निम्न जातियों के हैं और भूमिहीन हैं। उन्हें अनेक सामाजिक, आर्थिक समस्यायें जैसे बेरोजगारी, कम मजदूरी, अल्प आय, ऋण, आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके रहन सहन का स्तर बड़ा ही निम्न है। आवास और स्वास्थ्य समस्या भी बड़ी गम्भीर है। देश की तिहाई जनता को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार देश से गरीबी उन्मूलन कैसे कर रही है। बंधक मजूरी उन्मूलन के सम्बन्ध में अनेक अधिनियम बनाये गए। गरीबों की सहायता के लिए हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। किन्तु अब वह उनकी सहायता नहीं कर रहें क्योंकि वर्तमान सरकार की नीति उसके राह में रुकावट बन रही है। इस प्रकार समाज में कोई आमूलचूल और क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैं वर्तमान सरकार की नीति को समझ गया हूं। उनकी नीति निर्धनों की सहायता करना नहीं बल्कि मगरमच्छी आंसू बहाना है। किन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि अब यह बातें नहीं चल सकती अब किसी प्रकार की समिति अथवा आयोग बिठाने का कोई लाभ नहीं क्योंकि यह सरकार आयोगों के लिए बड़ी प्रसिद्ध है।

[श्री के० लकप्पा]

मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता सरकार गांवों से हमेशा के लिए गरीबी हटाने के लिए कौन-से कदम उठा रही है, क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया जायेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, आप जानते हैं कि ग्रामीण निर्धनों में कृषि मजदूर, बटाईदार और गरीब किसान आते हैं। उनकी स्थिति इतनी गम्भीर हो चुकी है कि प्रधान मंत्री ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है कि ग्रामीण निर्धन को भूमिपतियों के हमलों से बचाने का प्रबन्ध किया जाये । कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजूरी दी जा रही है और बटाईदारों को उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा है । जिन भूमि हीनों को भूमि वितरित की गई थी उनसे उसे छीना जा रहा है। हमें पता चला है कि सामन्तशाही प्रवृत्ति ही ग्रामीण ऋणों और ग्रामीण निर्धनता के लिए उत्तरदायी है । अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसे सामान्तशाही शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए वह क्या कर रही है ? क्या किसी प्रकार के भूमि सुधारों सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? इन निर्धनों को शोषण से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : गरीबी हटाने की समस्या बड़ी ही विकट समस्या है । मैं यह जानता हूं कि इसे केवल कृषि मन्त्री ही नहीं हटा सकते, इसमें वित्त मंत्री का सहयोग भी चाहिए । मैं श्री लकप्पा को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस से 30 वर्षों में ग्रामीण जनता का और अधिक शोषण हुआ है.... (**व्यवधान**) ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि अकाल और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों को दिए गए केन्द्रीय ऋण माफ किए जायेंगे । मुझे यह बताया गया है कि राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या किया जायेगा। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा उपाय करना चाहती है जिससे ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता को पूर्णतया समाप्त किया जा सके और एक नई बैंक नीति लागू की जाय ताकि ग्रामीण लोगों को भूमिपतियों और साहूकारों के पास न जाना पड़े और वह ग्रामीण बैंकों से लाभ उठा सकें । अगर हम इस समस्या का समाधान कर लें तो गरीबी हट सकती है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : इस विषय पर बड़ी ही लाभ-दायक चर्चा हुई है और इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं । ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता की समस्या कई वर्षों से गम्भीर बनी हुई है । अंग्रेजी शासन में भी और अब पिछले 30 वर्षों में भी यह समस्या गम्भीर ही बनी रही। 1975 में इस दिशा में कुछ कार्यवाही की गई और समस्या की विकटता को देखते हुए राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए । कुछ राज्यों ने इन सिद्धांतों के अनुरूप कानून पारित किए और कई राज्यों ने इन सिद्धातों का पालन नहीं किया । कमजोर वर्गों के बारे में ऋण माफ करना और अन्य वर्गों के बारे में ऋण कम करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे । कुछ ऋणग्रस्तता की राशि 3921 करोड़ रुपए है ; यह पता लगाया गया है कि 5 एकड़ जमीन वाले कृषकों की ऋणग्रस्तता 1910 करोड़ है और यह ग्रामीण क्षेत्रों का परिवार का 78.1 है। अतः यह एक बड़ी समस्या है और राज्यों ने मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुरूप विधान पास करने शुरू कर दिए हैं और अधिकांश राज्यों ने समाज के कमजोर वर्गों को अधिकतम लाभ

पहुंचाने के उद्देश्य से भी कानून पारित किए हैं। उदाहरणतया, आसाम में 1976 में आसाम ग्रामीण ऋणग्रस्तता अधिनियम पारित किया गया जिसका उद्देश्य सीमान्त कृषकों, खेतिहर मजदूरों और कारीगरों को लाभ पहुंचाना था। इससे अनुसूचित ऋणियों को ऋण से पूरी तरह छुटकारा दिलाना तथा 8 बीघा तक जमीन रखने वाले सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों को 8–11–77 तक ऋण स्थगन किया गया।

पश्चिम बंगाल में वर्ष 1975 में अधिनियम पारित किया गया और 1976 में इसमें संशोधन किया गया। इसमें सीमान्त कृषकों, छोटे कृषकों, बटाई दारों, खेतिहर मजदूरों एवं कारीगरों को शामिल किया गया। 2400 रुपए प्रतिवर्ष की आय वाले उक्त वर्गों के ऋण माफ कर दिए गए। सिंचित भूमि वाले छोटे कृषकों एवं सीमान्त कृषकों का ऋण कृषि उत्पाद के अनुमानित कुल मूल्य का 20 प्रतिशत कर दिया गया और उसे 7 से गुणा करके 7 वर्षों में वापस करने की व्यवस्था की गई।

बिहार सरकार ने 4 एकड़ तक जमीन वाले वर्गों के ऋणों की पूरी माफी के बारे में कार्यवाही की है। तमिल नाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश ने 5 एकड़ तक जमीन रखने वाले सभी वर्गों की ऋण माफी के बारे में कानून बनाये हैं। यह सब किया गया है (**व्यवधान**) . . . लेकिन हम गत सरकार की गलतियों को थोड़े समय में दूर नहीं कर सकते, फिर भी हम यथासम्भव अच्छा कार्य कर रहे हैं। . . . (**व्यवधान**)

Shri Yuvraj (Katihar): Since this Government took over,not even a single evicted tenant has been restored. Have you got any report from any state where any of the evicted tenant was given land?

Shri Ugra Sen : What are you talking about Congress Party ? It has been committing sins for the last 30 years.

श्री सुरजीत सिंह (बरनाला) : अब जो प्रश्न पूछा गया है उसे चर्चा के आरम्भ में नहीं उठाया गया है। इस समय चर्चा ग्रामीण ऋण ग्रस्तता सम्बन्धी विषय पर हो रही है। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन में बेदखली के बारे में कुछ बात कहीं गई है और मेरे से पहले वाले मंत्री ने बताया था कि उन्हें इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। यदि हमारे ध्यान में कोई विशिष्ट मामला लाया जायेगा तो तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। गत ऋणियों की कठिनाइयों का जिक्र किया गया है। उनके गत ऋण माफ कर दिए गए हैं परन्तु जब भी उन्ह विवाहादि अवसर पर धन की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें व्यय करना पड़ता है। पहले गरीब लोग ग्रामीण साहूकारों से ऋण ले लेते थे किन्तु अब यह व्यवस्था की गई है कि उन्हें खपत ऋण दिया जायेगा. . . . (**व्यवधान**)

Shri Mani Lal (Bijnor) : The argument given by the honourable minister is as if he is speaking on behalf of the!big farmers and capitalists.

Shri Surjit Singh Barnala : It is not like this.

Shri Ugra Sen (Deoria) : Will the honourable minister tell the percentage of people living below the poverty line in 1950-51 and now 1970 in 1977?

सभापति महोदय : क्या आप पहले माननीय मंत्री को सुनेंगें ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : जैसाकि मैं बता रहा था कि समाज के कमजोर वर्गों को खपत ऋण दिया जा रहा है। इन लोगों की हर सम्भव सहायता करने का प्रयास किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदया : अब कल 11 बजे तक सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 22 जुलाई, 1977/31 आषाढ़, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 22, 1977/ Asadha 31, 1899 (Saka).

म० मु० मि० रो० न० दि०—एल० एस० III 2031 एल० एस० 3-11-77—200

P. L. S. 48. V. 35/77 (N)

200

©1977 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और महाप्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय; मिन्टो रोड; नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

© 1977 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixth Edition) and Printed by the General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi.